खण्ड-361, अंक-1
शुक्रवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(4 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1—4
प्रश्नोत्तर	...	5—77
केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के कानपुर स्थित दलहन निदेशालय को भूमि दिये जाने में उदासीनता बरते जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	....	77
जनपद बहराइच के पकरिया दीवान तथा बाजपुर बनकटी ग्रामों में हुये अग्निकांड से जन-धन की क्षति तथा समुचित सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	78
झाँसी के रायगंज मुहल्ले में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	78
सुल्तानपुर को सी वर्ग का नगर बनवाने की माँग के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	78
मगरवारा (उन्नाव) स्थित रेलीज इण्डिया केमिकल्स के दो सुरक्षा गार्डों की रहस्यात्मक मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना कतिपय सदस्यों द्वारा अपनी नियम 301 की सूचनाओं को पढ़े जाने का प्रयास	....	79
दिनाँक 28 फरवरी, 1983 को सचिवालय अनेकसी काण्ड पर संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा कही गयी बातों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	....	80—82
दिनांक 3 मार्च, 1983 को कानपुर के मगरासा ग्राम में एक ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या किये जाने से सम्बन्धित चर्चा को निर्धारित समय से पूर्व समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	....	83—85
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	....	85
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982, (राष्ट्रपति महोदय को अनुमति की घोषणा)	....	85
उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (1982-83) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	....	86
श्रीराम आसरे वर्मा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	....	86
मुजफ्फरनगर के ग्राम हुन्टू खेड़ा तथा हस्सोपुर के दो मन्दिरों पर कथित हमला और 4 व्यक्तियों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	....	86—90
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	....	90—96

राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित)	....	96 — 106
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति	....	107—110
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 (पारित)	....	110—140
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 को स्थगित किये जाने की सूचना	....	140—141
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु वैद्य पाये गये नामों की सूचना	....	141
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	....	141
नत्थियाँ	....	143—159

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 4 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—346

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनबार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबूल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अतमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री(फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री(बलिया)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला,श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुवेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त,श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रवली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दल गंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनीराम बर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी,श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फरारे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बनसिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)

भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)

राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियामत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 4 मार्च, 1983

तारांकित प्रश्न

*1 —**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा** —

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*2—**श्रीमती गौरी देवी**—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

*3—**श्री हुकम सिंह**—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

नवाबगंज, जिला बरेली में चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेन्स

*4 —**श्री चेतराम गंगवार**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के मुख्यालय पर सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई प्रस्ताव या प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-6-82 व 22-9-82 को उन्हें मिला है ? यदि हां, तो क्या वह केन्द्र सरकार से एक मिल नवाबगंज, जिला बरेली में लगाने हेतु लाइसेन्स दिए जाने की संस्तुति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

जी हां। इस चीनी मिल की स्थापना के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है और यथासमय गुणावगुण के आधार पर इस संबंध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री चेतराम गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के डी० सी० सी० कार्यालय से जिला गन्ना अधिकारी की संस्तुति सहित, इस क्षेत्र में चीनी मिल लगाये जाने हेतु उनको कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह जो आपके आवेदन पत्र थे, उनके आधार पर सर्वेक्षण कराया गया था, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि माननीय तिवारी जी के जमाने में, यहां चीनी मिल लगने के औचित्य को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने यहां नवाबगंज में चीनी मिल स्थापित करने के लिए केन्द्र से एक सिफारिश की थी ? बीच में चूँकि वहां जनता सरकार आयी और इस पर कार्यवाही नहीं ही सकी। तो क्या वर्तमान सरकार केन्द्र सरकार से यहां चीनी मिल लगाने हेतु, उस औचित्य को देखते हुए, लाइसेन्स दिये जाने की संस्तुति करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन, 1981 में आश्वासन दिया गया था, उसके बाद उसका परीक्षण कराया गया, उस रिपोर्ट के आधार पर तो कोई औचित्य नहीं पाया गया। अब पुनः उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है, उसके बाद उसकी स्थिति को देखकर फैसला लिया जायेगा।

श्री चेतराम गँगवार—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि माननीय तिवारी जी के जमाने में, जब वे यहां मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने कोई संस्तुति यहाँ चीनी मिल लगाने हेतु, केन्द्र सरकार के लिए की थी, जब माननीय बादल वहां एग्रीकल्चर मिनिस्टिर थे, तो उसमें इसके औचित्य को माना गया था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का प्रश्न देखें, इसमें सन् 1982 के बाद के आवेदन पत्र वगैरह का रेफरेंस दिया गया है, इसमें किसी और चीज का जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने प्रश्न को स्वीकार कर लिया है, और यदि आपको इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपको इसकी सूचना नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद —

मान्यवर, बरेली में नवाबगंज में एक सहकारी चीनी मिल खोलने की बात चल रही है। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसी भी जगह सहकारी मिल खोलने के लिए कौन-कौन से आधार देखे जाते हैं ? दूसरे, उन आधारों में से कौन-सा आधार बाकी है, यहां चीनी मिल खुलने में, उसके लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? और उसकी अब तक क्या उपलब्धि है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए विचार चल रहा है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट की गाइड लाइन्स होती हैं और उसी के आधार पर फैसला लेना पड़ता है।

श्री हुकम सिंह —

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मिल को खोलने के लिए कोई औचित्य नहीं पाया गया था। जिन मिलों के बारे में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है, उनमें भी मान्यवर, प्रगति शून्य है। मोरना मुजफ्फरनगर के बारे में माननीय मन्त्री जी को जानकारी है ही। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसके लिए आपको लाइसेन्स प्राप्त हुआ है ?

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न में मौरना, मुजफ्फरनगर का जिक्र नहीं है। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा

श्री हुकम सिंह —

अगर मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी हो, तो बता दें ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

कार्यवाही हो रही है।

श्री चेतराम गंगवार——

मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिला बरेली के नवाबगंज की मुख्य पैदावार गन्ना है। यहां का गन्ना पीलीभीत, बीसलपुर, किच्छा और एटा को सप्लाई किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये क्या मन्त्री जी शीघ्र सिफारिश करेंगे मिल लगाने की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

परीक्षण किया जा रहा है। गन्ने की उपलब्धता और सेण्ट्रल गवर्नमेंट की गाइड लाइन के आधार पर।

श्री किरनपाल सिंह——

मान्यवर, हुकम सिंह जी के प्रश्न से ही मिलता जुलता मेरा सवाल है। मेरे जनपद में चीनी मिल लगनी है। पिछले 8 सालों से इसकी संस्तुत करते आ रहे हैं रिपोर्ट इसके बारे में यह है कि यदि प्रदेश में सबसे प्राथमिकता पर चीनी मिल लगनी है तो वह बुलंदशहर के सैदपुर के पास लगनी है। जानकारी हो तो बतादें।

श्री अध्यक्ष——

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

श्री रियासत हुसैन——

मान्यवर, नवाबगंज में चीनी मिल लगाने की बात है। यहां कोई चीनी मिल 25-30 किलोमीटर की कम दूरी पर नहीं है। यहां पर जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें सेन्ट्रल नेताओं ने वादा किया था कि चीनी मिल लगायेंगे। तो क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नियमों का उल्लंघन करके यहां चीनी मिल लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष —

इसकी मैं आज्ञा नहीं देता।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि दिसम्बर, 82 में डिप्टी केन कमिश्नर ने जिला गन्ना अधिकारी की संस्तुति के साथ अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है और मंत्री जी कहते हैं कि प्राप्त नहीं हुई। इसका आंकलन किया जा रहा है तो कब तक आंकलन न हो जायेगा और रिपोर्ट मिल जायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

10-2-83 को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है परीक्षण किया जा रहा है।

सुगर फैक्ट्री बस्ती में अधिक रिकवरी तथा बढ़नी सहकारी गन्ना समिति द्वारा पूर्ति किए हुए गन्ने के मूल्य में विभिन्नता

***5—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शुगर फैक्ट्री बस्ती की विगत पांच वर्षों की रिकवरी बस्ती जनपद की अन्य शुगर फैक्टरियों की अपेक्षा अधिक है ? क्या यह सही है कि बढ़नी सहकारी गन्ना समिति उक्त फैक्ट्री तथा अन्य फैक्ट्रियों को गन्ने की पूर्ति करती है ? क्या पूर्ति किये हुए गन्ने के मूल्य में विभिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैंने 19-10-82 को इसको दिया था इतने दिन हो गये सूचना एकत्रित की जा रही है जबकि एक जिले से सूचना प्राप्त करनी है । मैंने केवल इतना जानना चाहा है कि एक सोसायटी का गन्ना दो फैक्ट्रियों में जाता है तो उनकी अलग-अलग रिकवरी क्या है ? मान्यवर, इससे जो पूरब और पश्चिम के गन्ना भावों में जो भेद किया जाता है उसको समाप्त करने में इसका बहुत अंशदान होगा । मैं इसको सदन में लाने का प्रयास कर रहा हूं मान्यवर, आप निर्देश दें कि इसके बाद निश्चित रूप से....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस सदन के अगले सप्ताह में इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

तथ्यों को छुपाने की बात नहीं है । प्रश्न तीन जगह से जुड़ा हुआ है । ऐसी स्थिति में जानकारी एकत्रित की जा रही है । आप देखें । शुगर फैक्ट्री बस्ती की विगत 5 वर्षों की रिकबरी बस्ती जनपद की अन्य शुगर फैक्टरियों की अपेक्षा अधिक है ।

इसमें तमाम तथ्यों का ताल्लुक है । मेरा आशय तथ्यों को छुपाने का नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न की पहली पंक्ति देखें—प्रश्न से ही इसका महत्व विदित हो जायेगा । शुगर फैक्ट्री बस्ती को विगत पाँच वर्षों की रिकवरी बस्ती जनपद की अन्य शुगर फैक्ट्रियों की अपेक्ष अधिक है । इस वर्ष का नहीं बल्कि विगत 5 वर्षों की जानकारी चाहिए । यदि हाँ, तो कृपया बताने का कष्ट करें ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसीलिये तो लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम छिदरापार तथा सिकसौली, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती की चकबन्दी में अनियमितताओं सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

*6—**श्री पंचानन राय** (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छिदरापार तथा सिकसौली, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती की चकबन्दी में भारी अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 16 जनवरी, 1981 चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी ? जाँच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

जी हाँ। शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1981 की जाँच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बस्ती द्वारा की गई। जाँच में कतिपय कमियां थीं। विस्तृत जांच मुख्यालय के अधिकारी द्वारा करायी जा रही है।

जनपद मेरठ के बड़ौत क्षेत्र में नई चीनी मिल की स्थापना की मांग

*7—**श्री नरेन्द्र सिंह**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1982 तक की अवधि में प्रदेश के किन-किन स्थानों पर सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं ? क्या कस्बा बड़ौत, जनपद मेरठ में सहकारी चीनी मिल्स लगाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त चीनी मिल लगाई जायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 1980 से 1982 के बीच में ननौता (सहारनपुर) बेलरायाँ (खीरी) तथा तिलहर (शाहजहाँपुर) में सहकारी चीनी मिलें स्थापित की गई हैं; जनपद मेरठ के बड़ौत क्षेत्र में नई चीनी मिल की स्थापना के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है और यथा-समय गुणावगुण के आधार पर उस सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह—

प्रदेश में जो उद्योग धन्धे लग रहे हैं वह गुणावगुण के आधार पर नहीं बल्कि कोरी राजनीति के आधार पर। अरबों रुपये के उद्योग धन्धे ऐसे जनपदों में लगाये जा रहे हैं जैसे रायबरेली, सुल्तानपुर आदि। मेरठ जनपद में जितना गन्ना पैदा होता है वहाँ उसके मुकाबले बहुत कम पैदा होता है इसके साथ-साथ यह भी हो सकता है कि पूरे तौर पर गन्ना सप्लाई हो सकेगा ? मेरठ उन जनपदों में से है जहां पर सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है। बड़ौत में इतना गन्ना उपलब्ध है कि, वहाँ सरकार को जमीन भी ग्रहण करने में दिक्कत नहीं होगी, जमीन काफी पड़ी है, तो मैं आश्वासन चाहूँगा मंत्री जी से कि जल्द से जल्द बड़ौत में मिल स्थापित करने पर क्या विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेंगे। जहाँ तक गन्ने की खपत का सवाल है तो वहाँ बहुत सारे कोल्ह हैं, फैक्टरियाँ हैं, उनका विस्तार भी किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह—

दो, फैक्ट्रियां हैं 12 सौ टन की और दूसरी बागपत में है। गन्ना जितना पैदा होता है उसको देखते हुए मंत्री जी ने कहा परीक्षण करा रहे हैं, तो अगर कोई अन्तरिम रिपोर्ट आयी हो तो बता दें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वहाँ तीन फैक्ट्रियाँ हैं। साढ़े बारह की है। बागपत की वह 18 सौ की जा रही है। रामाले, साढ़े बारह से 18 सौ करने का प्रस्ताव है। और एक को तीन हजार से साढ़े चार हजार करने का प्रस्ताव है। तो इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास है। दूसरे केन्द्र सरकार की गाइड लाइन्स हैं। आप जिसको कह रहे हैं, गाइड लाइन्स के आधार पर 30 किलोमीटर से कम में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जानी चाहिए। आप जिस स्थान का सुझाव दे रहे हैं वह केवल 19 किलोमीटर की दूरी पर है।

श्री महेश चन्द्र—

नरेन्द्र सिंह जी ने जो सवाल किया है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मान्यवर, एक मलिकपुर स्थान है। बड़ौत में जो मिल लगाई गई है उसके बराबर पर ही मलिकपुर स्थान है जहाँ पर वर्षों से मिल लगाने के सम्बन्ध में माँग की जा रही है। पिछले दिनों जब लोकदल की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, इस स्थान का परीक्षण कराया गया और मिल लगने से रोक दी गयी। अब इसका दोबारा परीक्षण कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना न दें, आप प्रश्न करें।

श्री महेश चन्द्र—

आपने इस उत्तर में कहा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक परीक्षण पूरा कर लिया जायेगा और क्या आपकी सरकार मलिकपुर में जल्दी से जल्दी मिल लगाकर किसानों को राहत देगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मलिकपुर और बड़ौत दोनों जुड़े हैं। मलिकपुर की दूरी भी 22 किलोमीटर है फैक्ट्री से।

श्री धर्मवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि उन्होंने कहा कि 30 किलो मीटर की दूरी के अन्दर फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे, अभी मुख्य मंत्री जी ने किसी सम्मेलन में घोषणा की थी कि 10 नई फैक्ट्रियाँ और लगाई जा रही हैं, कि इनके लगाये जाने में पालिटिकल कन्सीडरेशन नहीं होगा। अभी उरई, नन्दगाँव आदि जगहों पर लगाई गयीं वे सभी पालिटिकल कंसीडरेशन पर ही लगाई गयीं जहाँ गन्ने की पैदावार नहीं होती। बड़ौत, बागपत के सारे क्षेत्र में कहीं भी एक फैक्ट्री और लगवाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

फैक्ट्री स्टेबलिस तो गुणावगुण के आधार पर ही की जाती है। जहाँ गन्ना नहीं

होता वहाँ विशेष अवसर देने के सिद्धान्त को अपनाया जाता है। नन्दगाँव में इसी आधार पर फैक्ट्री लगाई जा रही है।

श्री भीखालाल--

मैं माननीय मंत्री जी के पहले हिस्से के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहता हूँ। अपने प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें चीनी की मिलें नहीं हैं। क्या मा० गन्ना मंत्री जी प्रदेश स्तर पर यह सर्वेक्षण करा रहे हैं कि जिन जिलों में गन्ना मिलें नहीं हैं वहाँ मिलें लगाने की आवश्यकता हैं या नहीं। अगर सर्वेक्षण करा रहे हैं तो कौन से जिले उनकी दृष्टि में ऐसे हैं जिनमें गन्ना मिल लगाये जाने की आवश्यकता है। क्या उनमें जिला उन्नाव भी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह सही है। यह शासन का दृष्टिकोण है कि जिन जिलों में एक भी फैक्ट्री नहीं है वहाँ फैक्ट्री लगाने पर विचार किया जाय। उनमें उन्नाव का भी सर्वेक्षण कराया गया है।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत से जनपद ऐसे हैं जहाँ 80-90 प्रतिशत ईख की खेती होती है। जैसा कि मा० मन्त्री जी ने बताया कि 30 किलो मीटर के अन्दर दूसरी मिल नहीं लगेगी, गन्ने की पैदावार को देखते हुए क्या इन नियमों को शिथिल करेंगे। किन जगहों में गन्ने की खेती होती है, कहां नहीं इस हिसाब से नीति की घोषणा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह संभव नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। माननीय मंत्री जी ने कहा कि गन्ने की उपलब्धता और गाइड लाइन दोनों को देखते हैं। अगर कहीं तीन लाख की उपलब्धता है तो दो हजार पर डे की मिल लगाई जाती है। भले ही उसके नजदीक मिल हो और उससे वह प्रभावित हो रही हो। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गन्ना की उपलब्धता को देखकर करते हैं या गाइड लाइन्स को देखकर करते हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, ये दोनों ही चीजें गन्ने की उपलब्धता और गाइड लाइन्स महत्वपूर्ण हैं। वैसे छोटी-छोटी फैक्टरीज में साढ़े बारह सौ टन प्रति दिन की क्षमता होती है इसके लिये औसतन पूरे सीजन में 18-20 लाख टन गन्ने की क्षमता का होना आवश्यक है।

श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में मुरैना सहकारी चीनी मिल के लिये भूमि का अधिग्रहण हो गया है लेकिन अभी तक वहाँ किसी को इसका पैसा नहीं मिला है और न ही उस फैक्ट्री में काम चालू है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय श्री भीखा लाल जी के प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ जिलों का सर्वेक्षण कराया गया है—नयी चीनी मिल खोलने के लिये, चूँकि माननीय श्री भीखालाल जी उन्नाव के निवासी हैं, उनको माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि सर्वेक्षण कराया गया हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वे कानपुर के निवासी हैं तो क्या कानपुर का सर्वेक्षण कराया गया है या नहीं ? यदि कराया गया है तो मिल किस स्थान पर और किस तहसील में खोली जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हाँ, कराया गया है। घाटमपुर में कराया गया है।

श्री इन्द्रजीत—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि चीनी मिल की स्थापना हेतु प्रदेश में सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस सर्वेक्षण में फतेहपुर जिले का नाम भी शामिल है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री नन्दराम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले समय 1982 में देवरिया के हाकिमपुर में नये शुगर फैक्ट्री हेतु प्रस्ताव आदेश दिये थे ? यदि दिये थे तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि जहाँ गन्ना उत्पन्न नहीं होता है वहाँ भी गन्ना मिल खोलेंगे, यह सरकार की नीति है। मान्यवर उसी उत्तर से संबंधित, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ काफी दूर मिल खोलने से शासन के पैसे की काफी बरबादी होती है, क्यों न उसे पैक्ट एरिया में खोला जाय। या फिर जहाँ आप चाहते हैं वहाँ खोल लें। इस संबंध में माननीय मंत्री जी अपनी नीति स्पष्ट करें क्यों कि जहाँ गन्ना पैदा नहीं होता है सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से गन्ना लाने में शासन के पैसे की काफी बरबादी होती है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया।

श्री केदारनाथ सिंह —

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जहाँ पर गन्ना उत्पादन नहीं होता है वहाँ भी सरकार चीनी मिल खोलेगी, ऐसी सरकार की नीति है तो मेरा कहना यह है कि जहाँ

गन्ना मिल काफी दूर से खोले गये हैं वहाँ गन्ना काफी दूर से लाना पड़ रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितनी भी चीनी मिल खोली जाँय व एक पैक्ट एरिया में खोली जाँय जब तक वहाँ ग़न्ना उत्पन्न न हो तब तक के लिये गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था की सुविधा बनी रहे।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ !

*8—**श्री मोहन सिंह** —

[दिनाँक 18-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित]

न्यायालय, बैकुण्ठपुर, महाराजगँज, गोरखपुर में हसनअली बनाम जमील अहमद के नाम से मुकदमे पर निर्णय

*9—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र** —

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, ब्लाक निचलोल के ग्राम रमपुरवा उर्फ लालपुर के 23 पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के काश्तकारों का मुकदमा चकबन्दी न्यायालय, बैकुण्ठपुर महाराजगंज, गोरखपुर में हसनअली बनाम जमील अहमद के नाम से लगभग 12 साल से चल रहा है ? क्या यह सही है कि वादी प्रतिवादी गणों ने मुकदमें में शीघ्र निर्णय देने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, गोरखपुर को 30–5–82 को कोई प्रत्यावेदन तत्काल निर्णय हेतु दिया था जिस पर बन्दोबस्त अधिकारी ने बिना किसी विलम्ब के मुकदमें में कार्यवाही करने का निर्देश उपरोक्त तिथे को चकबन्दी अधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोरखपुर ने किया ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)

मामला न्यायालय में विचाराधीन (सब जुडिस) है।

श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, कि हसन अली बनाम जमील अहमद के नाम से 12 वर्षों से चल रहा है जिसमें 30–5–82 को बन्दोबस्त अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिये कि वादी और प्रतिवादी के प्रार्थना पर तत्काल निर्णय ले लिया जाय क्योंकि वादी और प्रतिवादी इस पर सहमत हैं। दिनांक 30–5–82 के आदेश के बावजूद भी मुकदमे को निलम्बित करने के क्या कारण हैं ? क्या मा० मन्त्री जी सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस बात के निर्देश देंगे कि इस प्रकार के मुकदमें तत्काल निर्णीत किये जांय ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मुकदमा है, विचाराधीन है। यह कहा गया है कि जल्दी करें लेकिन कोई जोर नहीं डाल सकते।

श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

जोर डालने की बात नहीं कही जा रही है। पक्ष और प्रतिपक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उनका मुकदमा जल्द ही निर्णीत कर दिया जाय। बन्दोबस्त अधिकारी ने आदेश भी

दिया हुआ है। चकबन्दी अधिकारी मौके पर जाकर डिस्प्यूट देखता है। फिर उसको निर्णीत न करने का कारण निहित स्वार्थ और चकबन्दी अधिकारी की स्वयं की स्थिति को संदिग्ध बनाता है। क्या मा० मन्त्री जी इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के लिये आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील —

यह सही है कि दोनों पक्षों ने यह चाहा है कि उनका मुकदमा जल्दी हो जाय। इसके बावजूद उन्होंने तारीख मांगी, सबूत पेश करने के लिये तथा अन्य कारणों से, इसलिये डिले हुई है, जल्दी हो जायगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

मा० मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि 10–15 वर्ष के बीच में जितने भी इस प्रकार के मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा है या वे न्यायालय में विचाराधीन पड़े हुए हैं, उनके कारणों की जांच कराने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं कि 10 वर्ष के ऊपर के जितने भी केसेज पैण्डिंग हैं, उनकी सूची तैयार करायी जाय।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने पिछड़े वर्ग के हैं और कितने अनुसूचित जाति के हैं और क्या अनुसूचित जाति के लोगों को कोई कानूनी सहायता दी है ?

श्री बैजनाथ कुरील —

वह सूची मेरे पास नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान —

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ, कि क्या मा० मन्त्री जी अपने विभाग के अधीनस्थ न्यायालयों को कोई मुकदमा जल्द निस्तारण के संबंध में निर्देश दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं दे सकते हैं, आप बैठें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद —

मा० मन्त्री जी इस बात को छिपा रहे हैं। महाराजगंज में चकबन्दी अधिकारी है, उसने अपने प्रभाव से अभी हाल में ही अपने न्यायालय के अन्दर कार्य करने वाले अधिकारियों और स्टाफ को सिसवा में ट्रांसफर कर दिया है, हफ्ते में दो दिन यहाँ और 4 दिन वहां बैठने लगे हैं, इसलिये बैकुण्ठपुर चल रहे मुकदमें में काफी विलम्ब हो रहा है, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष —

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप बैठें।

***10—श्री गोपीनाथ वर्मा—**

[8 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी के ग्राम कसारी में प्रधान द्वारा पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता

***11—श्री नन्दराम –**

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा कसारी, परगना मवई, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में उक्त मौजा के निवासियों में सर्वश्री बदलू, हरीराम, कामता आदि 160 अन्य व्यक्तियों को उक्त मौजा के ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह की गलत संस्तुति पर बाढ़ राहत के रूप में इसी वर्ष बाढ़ में सहायता प्रदान की गई है जबकि उक्त व्यक्तियों को बाढ़ से कोई भी क्षति नहीं हुई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं ।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम कसारी परगना मवई में वर्ष 1982 में लेखपाल व पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा बनाई गई सूची व नियमानुसार निर्धारित पात्रता के अनुसार 163 बाढ़ प्रभावित पात्र व्यक्तियों को प्रधान की शिनाख्त पर अहेतुक सहायता खाद्यान्न के रूप में बाँटी गई । इन व्यक्तियों में श्री हरी राम शामिल हैं किन्तु सर्वश्री बदलू व कामता शामिल नहीं हैं । प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द राम –

मान्यवर, श्री बदलू, हरीराम व कामता आदि अन्य 160 व्यक्तियों को बाढ़ सहायता दी गयी ग्राम प्रधान की संस्तुति के आधार पर वह सबके सब मालदार व्यक्ति हैं और गरीबों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है तो क्या इस अनियमित्ता के खिलाफ ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बाढ़ पीड़ित लोगों की सूची ग्राम प्रधान द्वारा नहीं बनाई जाती है, यह सूची तो लेखपाल व कानूनगो आदि के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए प्रधान के खिलाफ कोई कार्य-वाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नन्द राम—

गरीबों को छोड़कर मालदारों को यह सहायता जो दी गयी है, ऐसा ग्राम प्रधान की सिफारिश पर किया गया है, जो पूर्णतया गलत हुआ है, क्या ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के आश्वासन मा० मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

जिन 160 व्यक्तियों की सूची मा० मंत्री जी को प्राप्त हुई, चाहे वह प्रधान द्वारा या लेखपाल व कानूनगो द्वारा प्राप्त हुई हो, उस सूची की नियमों के अनुसार पात्रता पर ध्यान देते हुए कोई जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो उसमें क्या तथ्य सामने आए और यदि नहीं करायी गयी जाँच, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उस सूची की जाँच कराई गयी, जिसमें पाया गया कि पात्र व्यक्तियों को ही सहायता दी गयी है, जो बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति थे उन्हें सहायता दी गयी है, वह कैश में नहीं दी गयी है, वह तो 15 किलो अनाज, नमक, मिट्टी का तेल तथा माचिस आदि प्रति व्यक्ति दी गयी है ।

***12—श्री राम आसरे वर्मा—**

[4 थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

***13—श्री हरी किशन श्रीवास्तव श्री रेवती रमण सिंह तथा प्रदीप कुमार यादव—**

[7 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० शेखूपुर, बदायूँ पर कृषकों के गन्ना मूल्य का बकाया

***14—श्री फखरे आलम—**

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सहकारी चीनी मिल, नौसेरा सेखूपुर, जनपद बदायूँ के जिम्मे काश्तकारों का गन्ने का लाखों रुपये बकाया है ? यदि हां, तो वह रकम कितनी है और अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, शेखूपुर बदायूँ पर दिनाँक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1981-82 तक का 87.61 लाख रु० किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया है ।

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिल की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण नहीं हो पाया है परन्तु इसे शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय मा० मंत्री जी ने जो जवाब दिया है हमारा सवाल 2-11-82 का था और यह बकाया 31 जनवरी, 1983 तक का है, तो इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूँछना चाहूँगा कि पहले का बकाया 87-61 लाख थी और इधर की अवधि में लगभग 13-14 लाख रु० और बढ़ गया, जो बढ़कर करीब एक करोड़ रु० के हो गया तो इस रुपये की अदायगी कब तक करा दी जायगी तथा दूसरा, मा० मंत्री जी ने कहा कि शीघ्र से शीघ्र भुगतान करा दिया जायगा तो क्या इससे यह समझा जाये कि 31 मार्च, 83 तक यह समस्त भुगतान करा दिये जायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, अब 87-61 से घटकर 70-60 लाख रु० की अदायगी रह गयी है । इसमें स्थिति यह हुई कि शकर स्टाक में काफी रह गयी, बिक नहीं सकी, जिसकी वजह से यह भुगतान नहीं हो सका । अब इस शकर के बेचने की व्यवस्था की जा रही है और जैसे ही वित्तीय व्यवस्था हो जाएगी तो शीघ्र से शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करादी जायेगी ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मेरे सवाल के दो हिस्से थे, एक के बारे में तो इन्होंने जवाब दे दिया है कि अब 87 लाख रुपये के बजाय 70 लाख रुपये ही बाकी रह गये हैं। मैं आपसे यह मालुम करना चाहता हूं कि जो बरबादी हुई है जिस तरह से शक्कर की बरबादी की गयी है जो त्यागी जी वहां कन्ट्रोलर बना दिये गये हैं, तो बरबादी से शक्कर को बचाने के लिये आपने कोई और इन्तजाम किया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो कोटा आता है उसी के आधार पर बिक्री होती है और उसी के लिये प्रयास किये जाते हैं।

श्री महेश चन्द्र--

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में यह बताने का कष्ट करेंगे कि काश्तकारों का जो रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, उस बकाये पर आप किसानों को ब्याज दिलाने पर विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन् जो भी नियम हैं उसका तो पालन होगा ही।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि गन्ना का बकाया इतना बढ़ता चला जा रहा है और जो आपके नियम हैं उससे आप बकाया अदा नहीं कर पायेंगे तो क्या आप किसानों के बकाये को अदा करने के लिये शासन द्वारा कोई विशेष नीति निर्धारित करने के लिये विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

शासन इस बात को गम्भीरता से लेता है और किसानों के बकाये को अदा करने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि शुगर परचेज ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी बकाये के पैसे के भुगतान में 15 दिन से अधिक देर हो जाती है तो उस बकाये की राशि पर 15 प्रतिशत किसानों को ब्याज दिया जायेगा। तो किसानों का जो बकाया रुपया है उस पर आप उन्हें ब्याज दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस पर नियमतः कार्यवाही होगी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि नियम यह है कि जो देय धन होगा और उसके भुगतान में 15 दिन से अधिक विलम्ब होता है तो ऐसी व्यवस्था है कि उस बकाये पर 15 प्रतिशत ब्याज दिया जाय। तो जो 70 लाख रुपया आपके पास किसानों का बकाया है उसमें से कितना रुपया ऐसा है जो कि 15 दिन से ज्यादा का बकाया है ? और क्या आप इस पर ब्याज दिलाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

श्रीमन्, जो नियम में व्यवस्था है, वह हम करेंगे इस बात में कोई फर्क नहीं है।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि किसानों का जो पैसा सरकार पर बाकी है, किसानों को जो पर्चियां काटी जाती हैं तो इसमें जिलेवार उनको उत्पीडित किया जाता है, तो बकाये की राशि की उगाही के लिये पर्चियों द्वारा एडजस्टमेन्ट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा

इस तरह की उगाही से बड़ी गड़बड़ हो जायेगी । वैसे शासन ने आदेश दिया हुआ है कि किसानों के साथ किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय, यदि माननीय सदस्य कहते हैं, तो इसे आगे देख लेंगे ।

श्री फखरे आलम—

अभी आपने सेन्टर से बकाये के भुगतान के लिये 50 लाख का कोटा मंगाया है, तो क्या उसमें से किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा

जो तमाम सारा पैसा बकाया है उसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सहयोग लेने की हमने मांग की है और उसे लेने के लिये हम प्रयत्नशील हैं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, गन्ना किसानों का तमाम पैसा बाकी है और आपने तमाम विभागों से ऋण भी लिया हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो गन्ना किसानों का पेमेन्ट नहीं हो रहा है और जो किसानों को ऋण दे रहे हैं, उसे सरकार पर्चियों के रूप में लौटाने की कृपा करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

पर्चियों के रूप में लौटाने से भारी अव्यवस्था खड़ी हो जायेगी । प्रदेश स्तर पर विभिन्न विभागों का जो देय है वह शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा और शासन ने आदेश भेज दिये हैं कि उनको उत्पीड़ित न किया जाय ।

चीनी विभाग में खाण्डसारी निरीक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*15—**श्री दामोदर शर्मा** (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के चीनी खण्ड में लोक सेवा आयोग के परिधि में आने वाले कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो 8–10 वर्षों से अपने पदों पर कार्यरत हैं, परन्तु उनका अनुमोदन अभी तक आयोग द्वारा नहीं कराया गया ? क्या ऐसे कर्मचारियों को आयोग द्वारा अनुमोदित कराने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

चीनी विभाग के कुल 33 कर्मचारी ऐसे हैं जो खाण्डसारी निरीक्षक के पदों पर आठ-दस साल से कार्यरत हैं। यह पद उत्तर प्रदेश चीनी विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1981 जो 14-7-81 से प्रभावी हुई है, के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि में अनुमोदन हेतु आए हैं। अतः इनकी ज्येष्ठता निर्धारण के उपरान्त ही इनके अनुमोदन के विषय में कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त 7 पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत निरीक्षकों को उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अनुसार उनकी उपयुक्तता का परीक्षण करके विनियमन की कार्यवाई की जायगी।

शुगर मिल बिसवां, सीतापुर के अन्तर्गत गन्ना सोसाइटी द्वारा किसानों से कटौती की गई धनराशि

*16---**श्री हरिगोविन्द वर्मा--**

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में शुगर मिल, बिसवां के अन्तर्गत कार्यरत गन्ना सोसाइटी के द्वारा 1975-76 और 1976-77 में सहकारी शुगर मिल, महमूदाबाद के लिए किसानों से कितना पैसा कटौती में काटा गया? क्या उनको पैसों का प्रमाण-पत्र या बांड दिए गये और वह पैसा सहकारी शुगर मिल, महमूदाबाद के हिस्से में ट्रांसफर किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक हो जायगा?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जनपद सीतापुर में शुगर मिल बिसवां के अन्तर्गत गन्ना समितियों के द्वारा किसानों से कटौती की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :--

1974-75 (नकद वसूली)	=	2,46,514·51
1975-76	=	5,97 185·03
1976-77	=	4,86,446·20
कुल	=	13,30,145·74

उपर्युक्त धनराशि में से 42,021 कृषकों के मद में प्राप्त रुपया 11,10,600·00 अंश पूंजी हेतु महमूदाबाद सहकारी चीनी मिल को हस्तान्तरित किया गया, जिसका तिथिवार विवरण निम्न प्रकार है :--

26-5-75	1,09,693·00
27-5-75	65,307·00
26-6-75	600·00
25-9-76	3,00,000·00
23-2-77	25,000·00
30-5-77	3,00,000·00
27-5-77	3,00,000·00
12-8-78	10,000·00
	11,10,600·00

बिसवां सहकारी गन्ना विकास समिति से महमूदाबाद सहकारी चीनी मिल को शेष अंकन रु० 2,16,482·74 प्राप्त नहीं हुआ जिसके सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

मिल को प्राप्त धनराशि में से नियमानुसार निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले कुल 1076 कृषकों को अंकन रु० 2,85,184·90 के अंशक प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं । अवशेष कृषकों में अधिकांश कृषकों के अंश पूर्ण न होने के कारण तथा बिसवां समिति से कृषक सदस्यों की सूचियां प्राप्त होने के अभाव में अंशक प्रमाण पत्र जारी न हो सका ।

निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के पद पर डा० एच०एन० सिंह की नियुक्ति तथा उच्च वेतनमान देने की अनुमन्यता

*17–श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के निदेशक डा० एच०एन० सिंह की नियुक्ति वर्ष 1977 में किन नियमों के अन्तर्गत एवं कौन-सी विशेष परिस्थितियों में की गयी ? उन्हें कौन सी विशेष उपलब्धियों के आधार पर उच्च वेतनमान रु० 2000-2500 स्वीकृत किया गया ? क्या इसकी स्वीकृति वित्त विभाग से ली गयी ? यदि नहीं तो अब तक इनके द्वारा आहरित अधिक वेतन की वसूली की जायगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के पद पर डा० एच०एन० सिंह की तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्ति 2 फरवरी, 1977 को अध्यक्ष, गवर्निंग बाडी, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा की गयी, जिसका अनुमोदन 30·3·77 की गवर्निंग बाडी की बैठक में प्राप्त किया गया । इसी बैठक में इन्हें वेतनमान रु० 2000-2500 दिया जाना निर्णित हुआ । तत्पश्चात् दिनांक 6.5.77 को हुई गवर्निंग बाडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निदेशक के पद के लिए नियमानुसार सीधी भर्ती से नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही की जाय और डा० एच०एन० सिंह की तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्ति, उनके विशिष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों को देखते हुए जारी रक्खा जाय । यह भी निर्णीत हुआ कि उन्हें दिये गये वेतनमान रु० 2000-2500 पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त की जाय । वित्त विभाग ने निदेशक के पद हेतु वेतनमान 2000-2500 देने पर सहमति प्रदान कर दी । डा० एच०एन० सिंह को उक्त वेतनमान देने की अनुमन्यता पर शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के निदेशक डा० एच०एन० सिंह की नियुक्ति 2 फरवरी, 1977 को की गयी । इस पद पर नियुक्ति के संबंध में सीधी भरती से चयन करने के लिए क्या प्रयास किए गए ? इस पद पर नियुक्ति हेतु कितनी बार पदों को एडवरटाइज किया गया और उसकी न्यूनतम योग्यता कितनी रखी गयी थी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एम०एम-सी० प्रथम श्रेणी, तथा पी०एच-डी० है । 35 साल से 50 वर्ष तक की आयु सीमा है । दिनांक 22-12-1981

को इसको विज्ञापित किया गया था जिस में से 8 व्यक्तियों ने एप्लाई किया था और उनमें से 4 व्यक्तियों को काल किया गया और केवल 3 व्यक्ति ही साक्षात्कार के लिए आये। इनमें कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं पाया गया। दुबारा 23 फरवरी, 1982 को विज्ञापित किया गया, उसमें भी जो व्यक्ति आये वह अयोग्य पाये गये।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि इनकी वर्ष 1977 में नियुक्ति की गयी थी, उस समय इनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए की गयी थी और रु० 2000-2500 का जो वेतन मान दिया गया है, उसकी स्वीकृति क्या वित्त विभाग से ली गयी है ? यदि हां, तो कब ली गयी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

वित्त विभाग से सेंक्शन ली गयी थी।

श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मा० मंत्री जी ने कहा कि इस वेतन मान की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त की गयी। तो डा० सिंह को यह वेतन मान किस तारीख को प्रदान किया गया है और कितने दिनों के लिए यह नियुक्ति दी गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की नियमित नियुक्ति न हो जाये। वित्त विभाग को कब लिखा गया है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री किरनपाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एच० एन० सिंह थे उनका दो बार इन्टरव्यू हुआ और एडहाक बेसिस पर उनका एप्वाइन्टमेंट हुआ, वे भी परमानेन्ट हो सकते थे। क्या ये भी साक्षात्कार के लिये वहां गये थे, यदि नहीं, तो क्यों नहीं गये ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह तो उनका दृष्टिकोण है....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बिना आज्ञा के खड़े न हों।

श्री किरन पाल सिंह--

मंत्री जी सवाल को टाल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने शैक्षिक और एक्सपीरेयैन्स की निम्न योग्यता निर्धारित की थी डाइरैक्टर पद के लिये, क्या मौजूदा डाइरेक्टर उनको पौजेस करते हैं या नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन् अनुभव अपनी जगह पर है। योग्यता प्रथम श्रेणी की है। उम्र अधिक थी इसलिये नहीं किया होगा।

डा०ब्रज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि उसके लिये विशेष योग्यता एम० एस-सी० फर्स्ट क्लास रखी गयी थी तो क्या एम० एस-सी० फर्स्ट क्लास से सुपीरियर कन्डीडेट्स भी उसमें एपीयर हुये थे ? यदि हां, तो इनका चयन कैसे कर दिया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मैं समझा नहीं ।

डा० बृज किशोर मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शोध संस्थान के डाइरेक्टर के लिये बेसिक क्वालिफिकेशन एम० एस-सी० फर्स्ट क्लास रखी गई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या एम० एस-सी० फर्स्ट से सुपीरियर कंडीडेट भी वहां आये थे जो कि मेरिट में रहे हों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो कंडीडेट्स आये थे, वे उपयुक्त नहीं समझे गये इसलिये उनका चयन नहीं हुआ ।

[कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।]

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें ।

डा० बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने क्वालिफिकेशन इस पद के लिये एम० एस-सी० फर्स्ट क्लास रखी, क्या उनसे भी मेरिट वाले कंडीडेट्स साक्षात्कार में आये थे । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि उनको उपयुक्त नहीं पाया गया ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो योग्यता निर्धारित की गई थी उसके आधार पर आवेदन पत्र आये थे । आयोग ने उन्हें उपयुक्त नहीं समझा इसलिये उनका चयन नहीं किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न के दो मुद्दे हैं । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः सदर्थ और अस्थायी थी । क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सदर्थ नियुक्तियों के बारे में स्पष्ट आदेश हैं कि इनकी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । तो जब इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय यह शर्त न लाने का क्या कारण है कि आपकी नियुक्ति मात्र एक वर्ष के लिये की जा रही है । दूसरी बात यह है कि जैसा आपने अपने उत्तर की आखिरी तीन पंक्तियों में कहा है कि वित् विभाग ने निदेशक के पद हेतु दो हजार से दो हजार पांच सौ रुपये वेतन निर्धारित कर दिया है लेकिन डा० एच० एन० सिंह को यह वेतनमान दिया जाय या नहीं, यह भी विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि

जब उनको उक्त वेतनमान देने की अनुमन्यता पर शासन विचार कर रहा है तो उनको इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

श्रीमन् इनकी जो नियुक्ति का प्रश्न है वह गवर्निंग बाडी ने अग्रिम व्यवस्था तक नियुक्ति के आदेश किये थे और सुयोग्य अधिकारी होने के नाते दो हजार से दो हजार पांच सौ तक का वेतनमान निर्धारित किया था ।

गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के माध्यम से कराने की व्यवस्था

*18---**श्री हरिवंश सहाय---**

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के गन्ना किसानों को आगामी पेराई सीजन 1982-83 मे गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के माध्यम से कराया जायगा तथा किसानों को स्थायी पासबुक दी जायगी ? यदि हाँ तो यह कब से लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

किसानों को सीजन 82-83 में स्थाई पासबुकों को उपलब्ध कराने हेतु सभी गन्ना समितियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं । गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के माध्यम से कराने की व्यवस्था विचाराधीन है ।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्थायी पास बुक जारी करने के आदेश कब दिये गये तथा इस आदेश का पालन किसी यूनियन ने किया है या नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

श्रीमन्, सीजन जब प्रारंभ हुआ था उस समय यह स्थायी पास बुक छापी गयी थी लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थीं जिनको पुनः संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है चूंकि सीजन चल रहा था इसलिए पुरानी पासबुक के आधार पर फिलहाल काम कराया जा रहा है ।

श्री हरिवंश सहाय---

मैं जानना चाहता हूं कि यह पास बुक कब तक जारी कर दी जायेंगी उसकी कोई निश्चित तिथि बतायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

अविलम्ब किया जायेगा । जो हमारा अगला सीजन प्रारंभ होगा उसमें हमारी स्थाई पासबुक का प्रचलन रहेगा ।

सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ मुख्यालय के परिसर में बने हुये भवनों में आवासित अधिकारी तथा कर्मचारी तथा किराया

*19---**श्री पन्नेलाल---**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ मुख्यालय के परिसर में बने हुए भवनों में कितने अधिकारी/कर्मचारी रह रहे हैं ?

क्या ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों का मकान का किराया उनके वेतन से काटा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लखनऊ मुख्यालय के परिसर में बने हुये भवनों में तीन अधिकारी तथा 32 कर्मचारी रहते हैं। इनमें से एक अधिकारी तथा एक कर्मचारी अपना मकान किराया नकद जमा करते हैं। शेष सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से मकान किराया उनके वेतन से काटा जा रहा है।

श्री पन्नेलाल---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3 अधिकारी और 32 कर्मचारी परिसर में बने भवनों में रह रहे हैं जिसमें एक अधिकारी तथा एक कर्मचारी अपना मकान किराया नकद जमा करते हैं और शेष के वेतन से किराया काटा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 2 अधिकारी और 31 कर्मचारियों के वेतन से काटा जा रहा है वे कब से उन मकानों में रह रहे हैं और कब से वेतन से काटा जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यह छोटे छोटे कर्मचारी हैं कोई चपरासी है, कोई ड्राइवर है, कोई जमादारिन है कोई बरामदे में रहता है कोई कहीं पर। तो यह 76 से व्यवस्था की गयी है। हमारे गन्ना आयुक्त ने जैसा निर्धारित किया है उसी के आधार पर काटा जा रहा है।

रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, जिला रामपुर का औसत चीनी का परता, पेराई क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

20—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार को जानकारी है कि रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, जिला रामपुर का वर्ष 81-82 का औसत चीनी परता इस क्षेत्र की अन्य चीनी मिलों से बहुत कम है और इस कारण इस सीजन में एक करोड़ रुपये से भी अधिक का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शासन ने कोई कार्यवाही की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

"जी हाँ" रुद्रविलास किसान सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर जिला रामपुर के वर्ष 1981-82 का औसत चीनी का परता उस क्षेत्र की अन्य चीनी मिलों से कम है। वर्ष 1981-82 का आर्थिक चिट्ठा अभी सम्प्रेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु अनुमानित हानि लगभग रुपया 81 लाख है। उक्त चीनी मिल में चीनी का परता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार क्षेत्र में बी०ओ० 70 किस्म के गन्ने के प्रतिशत को कम करने एवं उन्नतशील गन्ने की जातियों के क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। चीनी मिल में तकनीकी कमियों को दूर करने तथा मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही चल रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार —

श्रीमन्, मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि प्रश्नगत बी.ओ. 70 प्रजाति का गन्ना जो है उससे आसपास की मिलों से इस बिलासपुर की चीनी मिल से अधिक मात्रा

में परता है और तत्कालीन अक्षम अधिकारियों ने मशीन की खराबी को छुपाने के लिए यह आरोप गन्ना किसानों पर बी. ओ. 70 का बहाना लेकर लगा दिया तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि समय समय पर तकनीकी जांच से इस मिल की रिकवरी 50-52 प्रतिशत से अधिक नहीं पायी गई है जबकि दूसरी मिलें जो उसके पास हैं उनमें 64 प्रतिशत तक रिकवरी होती है, तो इसका क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, फैक्टरी के विभिन्न स्तरों पर उसकी छानबीन की जा रही है कि किस किस तरह की उसमें खराबी है, उसी के आधार पर गन्ने की जो उपलब्धता है उसको देखा गया है। बी०ओ० 70 में जहां रस कम और खोई ज्यादा है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और टेक्नीशियंस की रिपोर्ट के आधार पर फैक्टरी में जो यांत्रिक खराबियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं स्पष्ट जानना चाहूँगा कि तकनीकी जांच समय समय पर की गयी है और वह मिल जूस कम देती है जबकि दूसरी मिलों में आपकी जांच के अनुसार अधिक जूम और पेराई क्षमता अधिक है, तो आपकी जांच रिपोर्ट के अनुसार इस मिल की उन कमियों को दुरुस्त न करने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, उसके सुधार के प्रत्येक संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस मिल के पास उसी क्षेत्र में दूसरी बाजपुर फैक्टरी है जिसकी रिकवरी ज्यादा है जबकि इस फैक्टरी का चौथा सीजन चल रहा है, तो इस फैक्टरी की रिकवरी बाजपुर फैक्टरी से क्यों कम है और उन कारणों का समाधान करने का क्या प्रयास किया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यांत्रिक खराबियां हैं और जहां तक संभव होता है उनका बराबर सुधार किया जा रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, रुद्र विलास मिल का इक्सपैंशन होने जा रहा है जिससे उसकी पेराई क्षमता बढ़कर 2 हजार टन हो जायेगी तो जो घाटा हो रहा है वह भी बढ़ जायेगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ, कि पेराई क्षमता बढ़ाने से पहले इस मिलिंग प्लांट की कमियों को ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, गन्ने की उपलब्धता के आधार पर उसके खपत के दृष्टिकोण से विस्तार करने का हमारा दृष्टिकोण है और साथ ही साथ कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों काम साथ साथ किये जा रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां

मान्यवर, यांत्रिक खराबियों के अलावा प्रोडक्शन कम होने की एक और वजह यह भी रहती है कि जनरल मैनेजर्स जितने फैक्टरीज के हैं वह नान-टेकनिकल हैंड हैं, उनको नहीं मालूम कि मशीनरी में क्या खराबी है। इसलिये क्या मंत्री जी इस पर गौर कर रहे हैं कि जनरल मैनेजर्स टेक्निकलम हों।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, फैक्टरी में प्रत्येक अधिकारी का दायित्व अलग अलग काम देखने का होता है जैसे चीफ इंजीनियर मिल की मशीनरी की खराबी को देखता है, गन्ने की सप्लाई को केन मैनेजर्स देखते हैं, इसलिये फैक्टरी में जिम्मेदारियां अलग अलग बटीं हैं।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या—20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आयुर्वेदिक तथा यूनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के रिक्त पद तथा नियुक्ति

****1—श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री अकबाल हुसैन**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय 500 आयुर्वेदिक तथा यूनानी स्वास्थ्य अधिकारियों की जगहें विभाग में काफी दिनों से रिक्त चली आ रही हैं जिसकी पूर्ति के लिये आवेदन पत्र जमा करने के लिए अन्तिम तिथि दिनांक 31-1-81 तथा दिनांक 15-12-82 निर्धारित कर प्रार्थना पत्र लिये गये थे एवं परीक्षा एवं मौखिक साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात् भी उन पदों की पूर्ति अभी तक नहीं की गई ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

जन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

इस समय कुल 251 पदों में से 148 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के पद मैदानी क्षेत्र में तथा 103 चिकित्साधिकारियों के पद पर्वतीय क्षेत्र में रिक्त हैं। रिक्त पदों पर चयन के लिए लोक सेवा आयोग को अधिवाचन भेज कर शीघ्र चयन कराने का अनुरोध किया गया है।

जिस विज्ञापन द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31-1-1981 थी उससे सम्बन्धित परीक्षा व साक्षात्कार शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक, 15-12-1982 तक मांगे गये थे इनसे सम्बन्धित चयन की कार्यवाही शीघ्र होने वाली है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जनवरी, 81 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और दूसरी बार जो दिसम्बर, 82 में आवेदन पत्र मांगे गये थे, उसमें कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? और कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण से दिसम्बर, 81 में जो आवेदन पत्र मांगे गये थे और जिन पर साक्षात्कार और परीक्षा भी हो चुकी थी, उनको निरस्त कर दिया गया ?

श्री हरि सिंह---

31-1-81 तक जो आवेदन पत्र आने थे, उसमें करीब 3 हजार उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था और दूसरी बार 15-12-82 तक जो आवेदन पत्र मांगे गये, उसमें करीब 1600 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह पूछी है कि सारा साक्षात्कार हुआ, इम्तहान हुआ, फिर क्यों निरस्त कर दिया गया। तो मान्यवर, इम्तहानों, सर्विसेस में चयन हेतु आजकल नई प्रणाली, आधुनिक प्रणाली, आब्जैक्टिक पद्धति से परीक्षा ली जा रही हैं। इसके लिए बड़ा जोर है और हमारे विभाग में भी इसके लिए प्रयास किया गया था। उसमें कुछ शिकायतें, विभाग की जानकारी में आई, जैसे कि कुछ उम्मीदवारों ने इसको लेकर रिट भी दायर कर दी कि उर्दू में भी पेपर होना चाहिए था या आब्जैक्टिव पद्धति से परीक्षा देने की हमने तैयारी नहीं की थी, इस परीक्षा प्रणाली की हमें पहले से इसकी जानकारी नहीं थी। इस आधार पर निरस्त हुआ है और इस बारे में एक माननीय सदस्य ने भी लिखा था। सब सुनने के बाद यह उचित लगा कि इसमें दुबारा परीक्षा करा ली जाए।

श्री केदार नाथ सिंह —

हमारी जानकारी को सही मानते हुए कि इसमें नियुक्तियों में जो पोलेटिकल प्रेशर रहा उसके अनुसार चयन नहीं हो पा रहा था, इस नाते यह निरस्त किया गया, क्या यह सही है ?

(श्री हरिसिंह के खड़े होकर उत्तर देने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, आप बैठिये, अभी मैंने आपको नहीं बुलाया है। अभी आप क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मैंने जैसा निवेदन किया, हमारी जो यह प्रथम बार आब्जेक्टिव टाइप परीक्षा हुई, उसके लिए कई उम्मीदवार हाईकोर्ट में चले गये इस बात को लेकर कि इस प्रणाली की हमको पूर्व घोषणा नहीं की गई थी, माडल पेपर हमारे सामने उदाहरण के तौर पर पेश नहीं किये गये थे। इस सबकी वजह से हमने इसको रद्द किया। जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसकी वजह से इसको निरस्त नहीं किया गया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

जो अश्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, हाईकोर्ट मेरिट में चले गये, तो उस रिट पर हाईकोर्ट ने क्या कोई निर्णय दिया ? यदि दिया, तो क्या दिया है ?

श्री हरि सिंह—

यह परीक्षा निरस्त करने का निर्णय शासन ने हाईकोर्ट के डिसीजन से पहले ही ले लिया था।

श्री हुक्म सिंह—

आपने अपने विभाग की दोषपूर्ण प्रणाली का उदाहरण देते हुए बताया कि इस कारण हम परीक्षा नहीं ले सके और चयन नहीं कर सके, तो अब तो उसको एक वर्ष हो

गया है और आपके विभाग में काफी रिक्तियां हैं, तो उसको देखते हुए आपने कोई पुनरीक्षित प्रणाली निकाली है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और कब तक आप इन पर नियुक्तियाँ करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरि सिंह—

यह पहला अनुभव है, इसके बारे में इस बात का गहराई में विचार किया जा रहा है कि परीक्षा में ऐसी बात दोहराने न पावे और हम निश्चित तौर पर एक प्रणाली निकालेंगे, जिसमें यह दोष सामने न आने पावे ।

श्री मुईद अहमद—

जैसा कि प्रश्न से विदित है 80, 81 से यूनानी और आयुर्वेदिक के छात्र बेकार पड़े हुए है और उनकी नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और केवल कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चले गये, और हाई कोर्ट के निर्णय का इन्तजार नहीं किया और सरकार ने निरस्त कर दिया । उसकी पैरवी न करने के कारण, उन लड़कों को, जो बेकार पड़े हुए थे, उनको नौकरी में नहीं लिया गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन रिक्त पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया ?

श्री हरि सिंह —

मान्यवर, जो हमारी पोस्टस खाली हैं, उनके लिए हम जल्द से जल्द परीक्षा लेकर इन रिक्त पदों को भरने का हमारा प्रयास है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, अब तक उन पदों को क्यों नहीं भरा गया ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप बैठिये ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जो-जो विभागीय चुनाव होते हैं, उनमें कुछ अभ्यर्थियों में मंत्रियों की दिलचस्पी होती है, कुछ अभ्यर्थियों में अधिकारियाँ की दिलचस्पी होती है, कुछ अभ्यर्थियों में हमारे माननीय सदस्यों की दिलचस्पी होती है । यह दिलचस्पी होना कोई बुरी बात नहीं है । अगर किसी परीक्षा में मंत्री या अधिकारियों के अभ्यर्थी पास नहीं हो पाये, तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है । यदि ऐसी चीज होती है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसको भी गहराई से पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरी सिंह —

मान्यवर, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है पता लगाने के संबंध में, मान्यवर, हमने तो पहले ही, जो उनका शक था, उससे पहले ही उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नौकरी के लिए जो आवेदन पत्र हैं, वह दो बार में प्राप्त किये गये, उसके बाद इण्टरव्यू के लिए आपने एक

तारीख निश्चित की, जब आपने इण्टरव्यू की तारीख निश्चित की थी, तो क्या आज आयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय में कौन सी पद्धति अपनाई थी, कि इस पद्धति के माध्यम से जो लोग इण्टरव्यू में भाग लेने वाले हैं, उनकी मौखिक और लिखित परीक्षा ली जायगी ? क्या प्रक्रिया अपनाई थी ? यदि उस प्रक्रिया के आधार पर यदि यह इण्टरव्यू लिया गया था, तो कौन से कारण हैं कि आपने उनको निरस्त कर दिया ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, निरस्त करने का कारण तो हमने अभी बतला दिया है। आगे की जो कार्यवाही है, उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री महेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों की जो जगह खाली है, इनका वेतनमान एलोपैथिक चिकित्साधिकारी की तरह से उनके बराबर है और योग्यता भी सरकार ने बराबर ही माना है। तो क्या यह सारे सेलेक्शन आप पब्लिक सर्विस कमीशन से कराने के लिए विचार करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, हमारी तो कोशिश यही होती है कि जो पोस्ट्स हमारे यहाँ हैं, उनको कमीशन के द्वारा चयनित करा लें। जो इम्तहान निरस्त किया गया, इसके लिए भी बाकायदा कमीशन को सूचित किया गया था और कहा गया था, लेकिन कमीशन बड़ी देर तक नहीं कर पाया जगहों को शीघ्र भरने के लिए हमारा प्रयास है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

हमारे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मान्यवर, दिलाने की कृपा करें। मान्यवर, जब कोई इण्टरव्यू तय होता है, तो विभाग जो है, इण्टरव्यू लेने के लिए एक प्रक्रिया निश्चित करता है, बिना कोई प्रक्रिया निश्चित किये हुए इण्टरव्यू के लिए कोई पत्र नहीं जाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इण्टरव्यू के पहले जो आप लिखित और मौखिक परीक्षा लेने वाले हैं, वह कौन सी प्रक्रिया निदेशालय में निश्चित की गयी थी ? यदि कोई प्रक्रिया निश्चित की गयी थी तथा वह कौन सी प्रक्रिया थी और वह कौन सी परिस्थिति थी कि आपने उनका परिणाम घोषित करके उनकी नियुक्ति नहीं की। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने बताया कि संबंधित परीक्षा को एवं साक्षात्कार को निरस्त कर दिया गया और उसका हमने परिणाम घोषित नहीं किया। दूसरा जो सवाल है वह मैं समझ नहीं पाया, कृपया आप दोहरा दें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि आपने जो परीक्षा लेनी चाही थी उसके लिये विभाग ने कोई न कोई प्रक्रिया तय की होगी। तो वह कौन सी प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा हुयी थी तो फिर कौन से कारण हैं कि परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मौखिक साक्षात्कार तथा शैक्षिक योग्यता, का जो आधार है वही नियम रखा गया है। यह जो व्यवधान पैदा हुआ है वह रिटिन पेपर था उसके कारण पैदा हुआ।

डा० बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब आयुर्वेदिक और यूनानी छात्रों की लिखित परीक्षा हो गयी थी? इण्टरव्यू कार्ड ईशू हुये थे और उसी बीच में हाई कोर्ट का स्थगन आदेश आ गया। तो जिन लड़कों की लिखित परीक्षा हो गयी वह पास हो गये और उनको इन्टरव्यू लेटर ईशू हो गये तो क्या उनका इन्टरव्यू पुनः करवाने की कृपा करेंगे?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने निवेदन किया कि वह सारी परीक्षा निरस्त हो गयी है। इण्टरव्यू कराने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री छत्तर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कथनानुसार चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। अब यह जो नयी प्रक्रिया बनाई जा रही है उसमें किस स्तर के कर्मचारी उस चयन प्रक्रिया का निर्माण कर रहे हैं?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, हमारे विभाग में प्राध्यापक लोग और अन्य विशेषज्ञ लोग है और निदेशालय के लोग हैं वही सब प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, एक प्रश्न इतना स्पष्ट और साफ है कि आपने परीक्षार्थियों की परीक्षा ली। इन्टरव्यू कार्ड जारी हुये और साक्षात्कार हुआ। सारी कार्यवाही करने के बाद नियुक्ति नहीं हो रही है तो जन साधारण पर इस बात का असर पड़ता है कि कुछ लोग पैसे के बल पर नियुक्ति कराना चाहते हैं। तो यह जो जन साधारण में भ्रम फैल रहा है इसको निवारण कैसे करेंगे? साक्षात्कार करने के बाद आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं तो यह किस नियम, किस कायदे के अन्तर्गत किया जा रहा है यह मैं जानना चाहूँगा?

श्री हरि सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि भ्रम फैल रहा है तो उस भ्रम को खत्म करने के लिये परीक्षा निरस्त की और जैसा आपकी जानकारी में है परीक्षा व इन्टरव्यू ले करके उसे खत्म किया गया ताकि किसी को अनुचित लाभ न पहुँच पाये।

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिखित परीक्षा इसमें ली गयी थी कि नहीं?

श्री हरि सिंह—

लिखित परीक्षा हुयी थी।

खेतिहर मजदूरों को अन्य प्रदेशों की भांति मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव

**2—श्री मित्रसेन यादव

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के अर्हता प्राप्त 60 वर्ष से अधिक आयु वाले खेतिहर मजदूरों को अन्य प्रदेशों की भांति मासिक पेंशन देन का कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं

कोई समुचित योजना न होने के कारण ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जब बिहार सरकार ने अपने यहां इसे देने का तय कर लिया है तो आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

हमारे पास इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं है । हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि हम केंद्रीय सरकार को तथा अन्य राज्यों को लिखेंगे और वहां से सूचना प्राप्त करेंगे कि कहां-कहां पर यह दी जा रही है और किस आधार पर । अभी तक की सूचना के अनुसार यह किसी भी राज्य में नहीं दी जा रही है ।

श्री रामकुमार भार्गव—

जिन प्रदेशों में यह योजना लागू है वह क्या है और वह किस आधार पर दी जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वह तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास दूसरे प्रदेशों से अभी सूचना नहीं आयी है । लेकिन हमारे यहां वृद्धावस्था पेन्शन योजना लागू है, उसमें खेतिहर मजदूर भी आते हैं जो भी खेतिहर मजदूर 65 वर्ष का होगा उसे यह पेंशन मिलेगी ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

अगर कोई पुरुष अपंग है और उसको कोई देखने वाला नहीं है न कोई कमाने वाला ही है मगर उसकी आयु 65 वर्ष से कम है, तो ऐसी सूरत में क्या आप नियमों को रिलैक्स करते हुए उसी प्रकार सुविधायें पेंशन के लिए देंगे जिस प्रकार से आप विधवाओं को देते हैं ?

श्री सुनील शास्त्री

जिस व्यक्ति के यहां कोई कमाने वाला नहीं है और वह अपंग है तो उसको रिलैक्सेशन देते हैं और 60 वर्ष की आयु में ही, जिस प्रकार विधवाओं को देते हैं इनको भी देते हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मेरी निश्चित जानकारी है कि बिहार सरकार ने अपने यहां खेतिहर मजदूरों के लिए यह योजना लागू कर रखी है। तो वहां की स्कीम के अनुसार क्या सरकार अपने यहां भी उसे लागू करेगी ? और जो जनरल स्कीम है पेंशन वाली, उसमें खेतिहर मजदूर नहीं आते, क्योंकि वह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि वह पूरी नहीं कर पाते, इसलिये क्या मंत्री जी उसकी प्रक्रिया को भी सरल बनायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

हम बिहार सरकार को लिखेंगे और उनसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और उस पर विचार करेंगे यदि कोई योजना ऐसी उनके यहाँ है। जहां तक ओल्ड एज पेंशन की प्रक्रिया का सवाल है, वह तो बहुत सीधी है साधारण सी है, जो व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया है या जो अपंग है, वह तहसीलदार को लिख कर देता है, वहां से कार्यवाही पूरी करने के बाद वह पत्र जिलाधिकारी को दे दिया जाता है और वह पेंशन स्वीकृत हो जाती है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

वृद्धावस्था पेंशन 65 वर्ष के बाद ही आयु होने पर स्वीकृत की जाती है। क्या सरकार उसको और लिबरल बनाकर 65 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने पर विचार करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे।

आतारांकित प्रश्न

1—**श्री राम चरण सिंह—**

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अनुसूचित जनजाति के लिए ज्येष्ठता के आधार पर तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति तथा श्री सुल्तान सिंह की तदर्थ रूप से नियुक्ति

2—**श्री गुलाब सिंह—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 65/2-69 रा० एकी० दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति में 2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार समस्त उ० प्र० में कितने तहसीलदार के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तथा इस समय अनुसूचित जनजाति के कितने तहसीलदार समस्त उ० प्र० में कार्यरत हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार तहसीलदारों के संवर्ग के कुल 325 पदों में से 6 पद होते हैं तथा इस समय अनुसूचित जनजाति का केवल एक तहसीलदार कार्यरत है।

3—श्री गुलाब सिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत श्री सुलतान सिंह, अनुसूचित जनजाति जो वर्तमान में स्थायी सदर कानूनगो, जिला सहारनपुर है 18 जून, 1980 से तहसीलदार पद के लिए पात्र व्यक्ति है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक तहसीलदार पद पर प्रोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री सुल्तानसिंह, जो अनुसूचित जन जाति के स्थायी सदर कानूनगो हैं, को तदर्थ रूप से प्रोन्नत करके तहसीलदार/सहायक निदेशक के पद पर सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में नियुक्त किया गया है। जहां उन्होंने 7 फरवरी 1983 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

4—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[5 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के तहसील सदर में चपरासियों को स्वीकृत अवकाश में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

5—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील सदर में कार्यरत राजपति, राजनाथ, जोखूराम, रामप्रसाद, रामजियावन, रामदुलारे, दलजीत, सलटूराम चपरासियों की छुट्टी की फर्जी दरख्वास्त 1-3-81 से 1-5-82 के बीच की तिथियों के आधार पर उनकी छुट्टी दिखाकर उनके स्थान पर फर्जी चपरासियों की नियुक्ति दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया ? क्या इस संबंध में कार्यरत चपरासियों ने प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों एवं मंत्री महोदय को दिया जिस पर जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या है और गबन से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

दिनांक 1-3-81 से 1-5-82 के बीच चपरासियों को स्वीकृत अवकाश के 10 मामले प्रकाश में आये। उक्त मामलों में छुट्टी की अवधि में नियुक्त किये गये चपरासियों को वेतन आदि का भुगतान किया गया। प्रश्न में उल्लिखित चपरासियों का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर परगनाधिकारी सदर से जांच कराई गई जांच में कुछ वित्तीय अनियमितायें पाई गई, जिसके लिए उत्तरदायी सदर तहसील के दो नायब नाजिरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दो गई है और सम्बन्धित तहसीलदार से जांच आख्या के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गांव कठिरांव, तहसील व जिला वाराणसी के मुसहरों के आवासीय भूमि आबंटित करने के निर्देश

6—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कठिरांव परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी की अराजी नं० 4202 में करीब 40 घर मुसहर आबाद हैं और आबादी के लिए चकबन्दी विभाग ने सिर्फ 90 डी० ही जमीन छोड़ी है और भूमिहीन होने

पर भी इन लोगों को जमीन नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी के अलावा जो 1 एकड़ 53 डी. जमीन आबादी के किनारे है उन मुसहरों को बन्दोबस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गाँव कठिरांव, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी की आराजी नं. 4202 में 40 नहीं बल्कि 20 घर मुसहर आबाद हैं। आबादी का क्षेत्रफल 0-96 एकड़ है। इसके अतिरिक्त चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आबादी प्रसार हेतु गाटा सं. 4202 मि./ 1-74 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस प्रकार आबादी हेतु कुल 2-70 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो पर्याप्त है। उक्त ग्राम में अभी भी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत अंतिम आभलेख बनाने का कार्य चल रहा है। क्रमगत मुसहरों को नियमानुसार आवंटित करने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं।

श्रीमती आदर्श रस्तोगी, निवासिनी लखनऊ द्वारा भूखण्ड की हदबरारी हेतु परगनाधिकारी, लखनऊ को दिया गया पत्र

7—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती आदर्श रस्तोगी, निवासिनी लखनऊ का भूखंड संख्या 117/1 ग्राम कासिमपुर पकरी, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की हदबरारी हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 7-4-82 को परगनाधिकारी, लखनऊ के यहां जमा करने के उपरान्त आज तक उक्त भूखंड की हदबरारी न किये जाने का क्या कारण है ? इसे कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भू-खण्ड की हदबरारी हेतु परगनाधिकारी, लखनऊ के न्यायलय में 8.4.82 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा हदबरारी हेतु पर्यवेक्षक कानूनगो का एक दिन का वेतन राजकीय कोषागार में 28.6.82 को जमा किया गया। पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा स्थल निरीक्षण की आख्या परगनाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है तथा मामला भू-राजस्व अधिनियम की धारा-41 के अंतर्गत परगनाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम पकड़डीहा में चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु भूमि के पुर्नग्रहण एवं कब्जा दिये जाने की कार्यवाही

8—10 **श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में स्थित ग्राम पकडडिहा की भूमि नं० 28 रकबा 1-96 एकड़ को स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने हेतु जनवरी, 1980 से 6 नवम्बर, 82 तक कितनी बार प्रस्ताव के साथ स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को भेजा गया ? यदि हां, तो अब तक इसके दाखिल खारिज न होने के क्या-क्या कारण हैं ? क्या इसे शीघ्र जनहित में स्वीकार कर लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उक्त प्लाट नं० 28 रकबा 1-96 एकड़ को सन्निकट ग्राम बिशुनपुरा में चल रहे राजकीय चिकित्सालय के भवन हेतु देने का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो अब तक इस कार्य के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

क्या राजस्व मंत्री को यह भी ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के उक्त ग्रामों पकड़डिहा के प्लाट नं० 28, रकबा 1-96 एकड़ चरागाह या अन्य नाम से अंकित होने के कारण ही अब तक परगनाधिकारी सदर, गोरखपुर ने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है ? यदि हां, तो जनहित व पूरे क्षेत्र गांव एवं गांव की भावना का आदर करते हुए अनुमोदन कराने हेतु प्रतिबंध को हटायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

भूमि संख्या 28/1-96 एकड़ स्थिति ग्राम पकड़डिहा में चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए सम्बन्धित भूमि के पुनग्रहण एवं कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

पिछली जनगणना में गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले व्यक्तियों की संख्या

11—**श्री मुख्तार अनीस**—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली जनगणना के आधार पर प्रदेश में कितने परिवार हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं ? उन्हें कब तक उसके ऊपर उठाया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

प्रदेश में हुई वर्ष 1981 की पिछली जनगणना में गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या नहीं दी हुई है । अतः इस जनगणना के आधार पर यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रदेश में कितने परिवार गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण की 32 वीं आवृत्ति 1977-78 में उपभोग (कन्जम्पशन) से सम्बन्धित एकत्रित किये गये आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया है । उक्त आधार पर वर्ष 1979-80 में गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या एवं प्रदेश की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत निम्न प्रकार अनुमानित किया गया है :—

		ग्रामीण	नगरीय	प्रदेश
1—	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग/लाखों में/	417	69	486
2—	गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत	47.9%	43.5%	47.2%

गरीबी की रेखा से नीचे बसने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । परन्तु यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि इन सभी लोगों को कब तक इस रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा ।

प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय

12—**श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस**—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उ० प्र० के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक इसे दूर किया जा सकेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

"प्रदेश सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को शीघ्र दूर करने के लिए जागरूक है और विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अधीन पिछड़े क्षेत्रों के जिलों के विकास हेतु अधिक आवंटन प्राप्त कराया गया है।"

राज्य लाटरी की टिकटों की बिक्री से आय तथा अस्पताल हेतु वितरित धनराशि

13—**श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—**

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य लाटरी में अभी तक कितना मुनाफा हुआ है और उसका कितना धन अस्पताल के लिए दिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उ० प्र० शासन द्वारा संचालित लाटरी योजनाओं की टिकटों की बिक्री से 1968-69 से दिसम्बर, 1982 तक शुद्ध आय रु० 9,26,48,837/= हुई है। उपरोक्त धनराशि में से चिकित्सा विभाग के माध्यम से हास्पिटल फण्ड कमेटी तथा "जिलों में अस्पतालों के सुधार हेतु अब तक रु० 6-93,85,195/= की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

14-15—**श्री ऊदल—**

[5 वें गुरुवार में अतारांकित प्र० सं० 4-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लक्ष्मी शुगर आयल मिल, हरदोई के कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान

16—**श्री उदयवीर सिंह**

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई के ऐसे कितने कृषक हैं जिनको 1978 के गन्ने का धन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उनका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

लक्ष्मी शुगर आयल मिल, हरदोई के कृषकों के वर्ष 1977-78 के गन्ना मूल्य कुल अंकन 99-76 लाख रु० के भुगतान का मामला मिल मालिकों तथा भारत सरकार के बीच उच्चतम न्यायालय में विवादग्रस्त होने के कारण नहीं हो पाया है। उसका भुगतान न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

जनपद चमोली में उप कोषागार खोलने का प्रस्ताव

17—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितने सब ट्रेजरी खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? इन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद चमोली के घाट,रुद्रप्रयाग, देवाल तथा अगस्तमुनि नामक स्थानों पर उपकोषागार खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर उपकोषागार की आवश्यकता पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

जनपद फैजाबाद के ग्रामों को बाढ़ एवं सूखे से क्षति तथा राहत पहुंचाने के संबंध में पत्र

18—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तरौली, मुबारकपुर, मांझा, वर्गी निजामपुर, टांडा फैजाबाद की फसल बाढ़ से नष्ट होने के कारण राहत पहुंचाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 12-10-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच करा कर बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचायी गयी ? यदि नहीं, तो राहत न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, इसकी जांच तहसीलदार टाण्डा से करायी गयी है। जांच आख्य के अनुसार ग्राम तरौली मुबारकपुर में फसलों की हानि बाढ़ से नहीं हुई है बल्कि सूखा से इस ग्राम की फसलों को हानि हुई थी जो 50 प्रतिशत से कम थी। मांझा तरौली मुबारकपुर व मांझा बर्गी निजामपुर में बाढ़ से 75 प्रतिशत से अधिक की क्षति पायी थी जिसके कारण कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है। अन्य कोई राहत वांछित नहीं है क्योंकि ये दोनों मांझा ग्राम गैर आबाद हैं। मालगुजारी छूट का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

जहाँगीरगंज, टाँडा, फैजाबाद के चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

19—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र जहांगीरगंज, टांडा, फैजाबाद के चकबन्दी अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 13-10-82 को उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच कराई गयी ? जांच के दौरान कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारी को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ। शिकायती पत्र की जाँच कराई गई तथा जाँचोपरांत चकबन्दी विभाग का कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। श्री राम मूरत पुत्र रामसमुझ निवासी ग्राम तरौली मुबारकपुर ने चकबंदी कर्मचारियों को धोखा देकर भूमि अपने नाम कराने का प्रयास किया था। उसी दौरान पक्षों ने सुलहनामा दाखिल किया। सुलहनामा के आधार पर चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 4-12-82 को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा कराये गये अमलदरामद को निरस्त करके प्रश्नगत भूमि श्रीमती प्रभू देई के नाम बदस्तूर कायम रहने का आदेश पारित कर दिया। इसमें चकबंदी कर्मचारियों का कोई दोष नहीं पाया गया।

कोषाधिकारी, जिला हरदोई के विरुद्ध जाँच

20—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोषाधिकारी जिला हरदोई के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के पत्र के आधार पर संबंधित मामले की जांच कराये जाने की सूचना प्रश्नकर्त्ता को अपने कार्यालय पत्रांक संख्या एफ०/1405/82 दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की पूर्ण जांच कराकर जांच के आधार पर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ जाँच पूरी हो चुकी है । जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन कोषाधिकारी, हरदोई, का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा जाँच में सिद्ध आरोपों के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण माँगा गया है ।

ग्राम भारी डीहा जगन्नाथपुर में बाढ़ से क्षति तथा किसानों को राहत देने हेतु कार्यवाही

21—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भारी डीहा जगन्नाथ पुर आदि में बाढ़ के दौरान जलभराव के कारण लगान आदि माफ किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 4-10-82 को कोई पत्र राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो क्या मामले की जाँच कराई गयी ? और रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट के आधार पर अब तक संबंधित किसानों को क्या राहत दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ, माननीय विधायक का प्रश्नगत पत्र दिनांक 4-10-82 प्राप्त हुआ था जो जिलाधिकारी फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। किसानों को राहत देने हेतु जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुँची है कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है तथा नियमानुसार छूट प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई है उन क्षेत्रों में वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी गई है ।

थर्मल प्रोजेक्ट निर्माण हेतु अर्जित किये गये वृक्षों के प्रतिकर का भुगतान

22—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम व जगराम, रामचरन. बेचू ग्राम वाजिदपुर, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद द्वारा ग्राम समाज भूमि, कठरिया, टाँडा फैजाबाद भूमि नम्बर 275 पर लगाये गये सैकड़ों वृक्षों को थर्मल प्रोजेक्ट निर्माण हेतु अर्जित किया गया तथा परियोजना द्वारा अवैध रूप से वृक्षों पर कब्जा किये जाने के कारण अभी तक उक्त व्यक्तियों के वृक्षों के प्रतिकर भुगतान न किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 13-10-82 को राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या संबंधित व्यक्तियों के अर्जित किये गये वृक्षों का प्रतिकर भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सर्वश्री राम, बे'वू, रामचरन आदि निवासी ग्राम वाजिदपुर जनपद फैजाबाद का प्रार्थनापत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था परन्तु उसका दिनाँक 29-4-82 था। प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को आवश्यक जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना विधायक महोदय को देने हेतु भेज दिया था। इसकी सूचना शासन के पत्र दिनाँक 29-5-82 द्वारा प्रश्नकर्त्ता को भी दे दी गई थी। जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है।

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली पर कृषकों के देयों की वसूली

23—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महोली शुगर मिल, सीतापुर को जब सरकार ने अपनी कस्टडी में लिया तो मिल पर कितना बकाया था ? तथा 31 दिसम्बर, 79 तक मिल के ऊपर सरकार का कितना कर्जा हुआ ? मिल कितने घाटे में गया और किसानों का बकाया मिल पर कितना हो गया तथा पहली जनवरी, 80 से 31 अक्तूबर, 82 तक मिल पर सरकार का कुल कितना कर्जा हुआ ? क्या सरकार इस मिल की पूरी जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को सजा देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाह।—

लक्षमी जी शुगर मिल्स महोली पर कृषकों के देयों की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कलेक्टर सीतापुर द्वारा रिसीवर की नियुक्ति दिनाँक 23.9.77 को की गई थी मिल पर शासकीय आदाता की नियुक्ति के समय गन्ना कृषकों का 98.93 लाख रुपये तथा श्रमिकों का 46·38 लाख रुपये देय अवशेष था। दिनाँक 31.12.79 तक मिल को रु० 34.85 लाख शक्कर विशेष निधि से एवं रु० 210.25 लाख प्रदेश सरकार द्वारा ऋण दिया गया। 1 जनवरी, 80 से 31 अक्तूबर, 82 तक रु० 60.00 लाख शक्कर विशेष निधि से एवं रु० 83.50 लाख राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया गया। 31.10.82 की स्थिति के अनुसार चीनी मिल पर 155.95 लाख रुपया गन्ना कृषकों का बकाया था। नियंत्रण में लिये जाने के बाद वर्ष 77-78, 78-79, 79-80 तथा 81-82 में क्रमश: 109.76 लाख, 132.24 लाख, 23.64 लाख तथा 173.56 लाख रुपयों का शुद्ध घाटा तथा वर्ष 80-81 में 22.72 लाख शुद्ध लाभ हुआ। यह चीनी मिल बहुत पुरानी और कम पेराई क्षमता की है तथा रिसीवरशिप की अवधि में घाटा अपरिहार्य परिस्थितियों में हुआ है, अत: उसके लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी यदि अनियमित तथ्य प्रकाश में आये तो विरुद्ध कार्यवाही किसी भी समय की जा सकेगी।

जनपद सीतापुर में सूखा तथा बाढ से फसलों को क्षति तथा अहेतुक सहायता

24—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1982 से 31 अक्तूबर, 1982 के बीच सूखे और बाढ़ से जनपद सीतापुर में फसल की कितनी हानि हुई ? कितने मकान गिरे, कितनी जनहानि तथा कितनी पशु हानि हुई ? इसके लिए सरकार ने अनुदान, गृह अनुदान और तकाबी अलग-अलग कितनी-कितनी क्षतिग्रस्त परिवारों को देने की

व्यवस्था की है ? कितने परिवारों को सहायता मिल चुकी है ? वह धनराशि किस हिसाब से प्रति परिवार को दी गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद सीतापुर में 1 जुलाई, 1982 से 31 अक्टूबर, 1982 के बीच सूखा तथा बाढ़ से 2,83,312 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल में फसलों को क्षति पहुँची जिससे 11,87,29,285 रु० की अनुमानित हानि हुई। 1,71,765 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 53 जीवन-हानि तथा 87 पशु-हानि हुई।

53 मृतक के परिवारों के मध्य 500 रु० की दर से नाबालिग मृतक के परिवारों को तथा 1000 रु० की दर से बालिग मृतक के परिवारों को कुल 37,700 रु० अनुग्रह अनुदान आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के स्वामी को 200 रु० की दर से तथा पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान के स्वामी को 400 रु० की दर से 5334 व्यक्तियों को कुल 13,15,555 रु० गृह अनुदान एवं 200 रु० 500 रु० व 1000 रु० की दर से 908 व्यक्तियों को कुल 3,99,400 रु० आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया।

मौजा लंका, तहसील किच्छा, नैनीताल की भूमि का आवंटन

25—**श्री मोहनसिंह तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तहसील मलसी के निवासी श्री गोपाल रामदास, श्रीप्रेमदास तथा श्री गुलाब दास ने मौजा लंका तहसील किच्छा के खेत खसरा नं० 363,366 360 जो करीब 26 एकड़ है, और उक्त जमीन बचत की भूमिहीनों को बंटनी थी, क्या मन्त्री पद का दुरुपयोग करते हुए श्री गोपाल राम दास व उनके भाई प्रेमदत्त ने इसे अपने नाम से पट्टे पर ले लिया और क्या यह सही है कि इस जमीन पर वे इस समय भी कोई खेती वाड़ी नहीं करते और किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर दे दिया है ? यदि हां, तो क्या शासन इस पट्टे को खारिज कर किसी दूसरे भूमिहीन हरिजन में बांटने पर विचार करेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिला नैनीताल में मलसी नाम की कोई तहसील नहीं है।

यह कहना गलत है कि मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए श्री गोपाल रामदास ने मौजा लंका, तहसील किच्छा के खसरा नं. 363,366,360 क्षेत्रफल 26 एकड़ के पट्टे अपने नाम से करा लिये।

दिनांक 4-5-1979 को ग्राम मलसी, तहसील किच्छा, जिला नैनीताल के निवासी-गण सर्वश्री फकीर राम, जीवनलाल शाह नाथूसिंह, तिलाराम, दीवान राम, गोपाल राम दास, उरवा दत्त, भवानीराम, गोपालसिंह, श्रीमती भगवती देवी एवं श्रीमती कुसुमा देवी को, मौजा लंका, तहसील किच्छा स्थित गाटा संख्या 363-366-360 क्षेत्रफल 26 एकड़, शासनदेश दिनांक 5 अप्रैल 1976 के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्र के स्थाई निवासी होने के कारण सीलिंग अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत आबंटित की गई थी। सर्वश्री प्रेमदत्त एवम् गुलाबदास को ग्राम मलसी मजरा लंका में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। उक्त 26 एकड़ में 17 एकड़ भूमि पर आवंटियों का कब्जा है। शेष 9 एकड़ भूमि पर सर्वश्री शिवकुमार राय एवं गौरी शंकर राय ने पुनः कब्जा कर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। आवंटित भूमि किसी अन्य व्यक्तियों को भाड़े अथवा बँटाई पर

नहीं दी गई है । कुर्माचल सामूहिक समिति, गोकुल नगर, तहसील किच्छा के श्री जीवन लाल शाह द्वारा समिति की ओर से कृषि कराई जा रही है, जिससे उक्त सभी 11 आवंटी लाभान्वित होते हैं । मौके पर आवंटियों ने रिहायशी छप्पर भी डाल रखे हैं । अतः पट्टे निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण कान्त पाण्डेय संग्रह अधीन, तहसील बाँसगांव गोरखपुर का वेतन के भुगतान के संबंध में पत्र

26—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृष्ण कान्त पाण्डेय, अमीन, तहसील बांसगांव, गोरखपुर ने 25-8-81 को जिला अधिकारी, गोरखपुर को एक शिकायती-पत्र इस आशय का दिया कि उनके चार महीने के बकाए वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में सी. आर.ए. ने रिश्वत मांगी और जिला अधिकारी ने उक्त पत्र को 26-8-81 सं. 94/एस०टी० एच०/81 द्वारा अतिरिक्त जिला अधिकारी, राजस्व, वित्त/प्रभारी अधिकारी (संग्रह) को शीघ्र कार्यवाही के लिए लिखा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री कृष्ण कान्त पाण्डेय, संग्रह अमीन तहसील बांस गांव, गोरखपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 25-8-81 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था जो दिनांक 26-8-81 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को भेजा गया था । सम्प्रति उक्त प्रार्थना पत्र संग्रह कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । जिलाधिकारी गोरखपुर को इस प्रकरण की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री नुरुल हसन, वर्तमान मुख्य राजस्व लेखाधिकारी, गोरखपुर का निलम्बन तथा बहाली

27—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री नूरुल हसन, वर्तमान मुख्य राजस्व लेखाधिकारी, कलेक्ट्रेट गोरखपुर कुछ वर्ष पहले अंग्रेजी कार्यालय की पचासों पत्रावलियां गायब करने के सम्बन्ध में निलम्बित किए गये थे और इनके विरुद्ध कैन्ट थाना गोरखपुर में उक्त की रपट भी दर्ज कराई गयी थी तथा तत्कालीन जिला अधिकारी ने उन्हें सेवामुक्त भी कर दिया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इन्हें पुनः बहाल किया गया एवं गायब हुई पत्रावलियों का क्या हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । श्री नूरुल हसन को कतिपय अनियमितताओं के लिये निलम्बित किया गया और इनके विरुद्ध कैन्ट थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गयी । तत्कालीन जिलाधिकारी ने इन्हें सेवा मुक्त नहीं किया था अपितु इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि एवं एक वर्ष के लिये वेतन वृद्धि रोकने के दंड के साथ सवेतन बहाल कर दिया था । गायब पत्रावलियां अभी प्राप्त नहीं हो सकी हैं ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत लेखा परीक्षकों को अनुमन्य यात्रा भत्ता

28— **श्री जसवन्तसिंह बिष्ट**—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के.डी. श्रीवास्तव, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ के अधीन सहकारी क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय, नैनीताल में सर्वश्री

के०सी० तिवारी, जगदीश चन्द्र जोशी, किशन लाल शाह, लक्ष्मण लाल वर्मा, तारादत्त तिवारी, लालता प्रसाद, गिरीश चन्द्र जोशी, रवीन्द्र सिंह बिष्ट, चन्द्र शमशेर सिंह खडायत, दीवानसिंह कार्की आदि लेखा परीक्षकों को बिना राजकीय यात्रा के वर्ष 1972 से 1981 के दरम्यान नियत यात्रा भत्ता तथा नियत प्रासंगिक व्यय भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो किस शासनादेश तथा नियम के अनुसार किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत लेखा परीक्षकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड तीन के नियम 23 डी तथा 38 के अन्तर्गत नियत यात्रा भत्ता अनुमन्य है और पूरे वर्ष के लिये ग्राह्य है चाहे संबंधित कर्मचारी मुख्यालय से बाहर जायें अथवा मुख्यालय पर ही रहें।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या ए०एस०टी० 716/दस---4000[13]/55 दिनांक 15-5-1968 के अन्तर्गत विभाग में समस्त लेखा परीक्षकों को स्टेशनरी संबंधी प्रासंगिक व्यय हेतु नियत प्रासंगिक भत्ता भी अनुमन्य है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत ही माननीय सदस्य द्वारा इंगित लेखा परीक्षकों को वर्ष 1972-81 के दरमियान नियत यात्रा भत्ता तथा नियत प्रासंगिक व्यय का भुगतान किया गया व अब भी किया जा रहा है।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के नियुक्त श्री अमीर चन्द्र प्रधान लिपिक के वेतन का आहरण

29. **श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**---

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० सी० श्रीवास्तव मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के अधीन मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान लिपिक के एक स्वीकृत पद के विपरीत दो प्रधान लिपिक सर्वश्री अमीरचन्द्र तथा प्रताप नारायन मक्सेना दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो अमीरचन्द जिनका स्थानान्तरण मई जून, 1981 में पौड़ी क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ था, मेरठ में कार्य करते हुए पौड़ी क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकृत प्रधान लिपिक पद के वेतन भत्तों का आहरण किस विशेष नियम तथा शासनादेश के अनुसार किया जा रहा है ? यह नियम कितने कर्मचारियों को प्रदान की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी नहीं। क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में 9-11-81 से नियुक्त प्रधान लिपिक श्रीप्रकाश नारायण मक्सैना का 13 जनवरी 83 को स्वर्गवास हो गया है।

श्री अमीर चन्द्र प्रधान लिपिक (क्षेत्र) मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में 1-9-74 से तैनात थे तत्कालीन क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी मेरठ की शिकायतों पर जांच स्वरूप श्री अमीर चन्द्र का प्रशासनिक आधार पर मेरठ से पौड़ी को स्थानान्तरण दिनांक 7 मई, 1981 को विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया था। परन्तु पत्नी के मेरठ में ही अध्यापिका होने व श्री अमीरचन्द्र के वातरोग से पीड़ित होने के आधार पर उनकी तैनाती उनकी पत्नी के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी के स्थान पर विशेष परिस्थितियों में जिला कार्यालय मेरठ में प्रधान लिपिक (क्षेत्र) के पद पर कर दी गयी।

श्री अमीर चन्द्र के वेतन आदि का आहरण जिला लेखा परीक्षा अधिकारी मेरठ द्वारा लेखा शीर्षक 298-सहकारिता (कोआपरेशन) ख-सहकारी लेखा परीक्षा (1)

सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान" के अन्तर्गत किया जा रहा है। परन्तु उन्हें पौड़ी (अर्थात पर्वतीय क्षेत्र) के लिए स्वीकृत भत्तों का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अन्य कर्मचारियों के मामले में प्रश्नगत रियायत का सवाल नहीं उठता है।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों के अधीन कार्यरत लेखा परीक्षकों को अनुमन्य यात्रा भत्ता तथा प्रसंगिक भत्ता

30—**श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० डी० श्रीवास्तव मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के अधीनस्थ पौड़ी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कितने लेखा परीक्षकों को बिना यात्रा किए वर्ष 1977-78 से 1980 तक नियत यात्रा भत्ता तथा नियत प्रासंगिक भत्तों का भुगतान किया गया था ? वह राशि कितनी थी तथा किस नियम तथा विशेष अधिकार के अन्तर्गत भुगतान की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत लेखा परीक्षकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड तीन के नियम संख्या 23 डी तथा 38 के अन्तर्गत नियत यात्रा भत्ता अनुमन्य है और पूरे वर्ष के लिए ग्राह्य है चाहे सम्बन्धित कर्मचारी मुख्यालय से बाहर जाय अथवा मुख्यालय पर ही रहे।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या ए०एस०टी०-716/दस-4000[13]/55, दिनांक 15-5-1968 के अन्तर्गत विभाग में समस्त लेखा परीक्षकों को स्टेशनरी सम्बन्धी प्रासंगिक व्यय हेतु नियत प्रासंगिक भत्ता भी अनुमन्य है।

माननीय सदस्य द्वारा इंगित पौड़ी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लेखा परीक्षकों को भी उपर्युक्त नियमानुसार ही नियत यात्रा भत्ता तथा नियत प्रासंगिक भत्ता भुगतान किया गया है और किया जा रहा है।

31—**श्री मोहन सिंह**—

[दिनांक 18-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 111 द्वारा उत्तरित]

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी लखनऊ के अधीनस्थ कर्मचारी श्री नारायण दत्त तिवारी, ज्येष्ठ लिपिक के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

32—**श्री मोहन सिंह**—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के०डी० श्रीवास्तव, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ के अधीनस्थ कर्मचारी श्री नारायण दत्त तिवारी, ज्येष्ठ सहायक के विभिन्न अनिस्तारित प्रकरणों के संबन्ध में प्रत्यावेदनों दि० 18-11-77, 11-8-78, 19-4-79, 29-5-79, 31-8-79, 24-1-81, 16-4-81, 27-7-81 का निस्तारण शासनादेश संख्या 840 चैंतालीस–66(1) 1978, दि० 30 मार्च, 1978 के अनुसार निर्धारित समय सारिणी (छः माह के) अन्तर्गत किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो वित्त सचिव शाखा के लेखा परीक्षा अनुभाग में कार्यरत तत्संबन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध उपरोक्त शासनादेश में निहित क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ के अधीनस्थ कर्मचारी श्री नारायण दत्त तिवारी ज्येष्ठ लिपिक के केवल दिनांक 18-11-77, 19-4-79, 31-8-79, 24-1-81 तथा 27-7-81 के प्रत्यावेदन तथा 16-4-81 का प्रार्थना पत्र शासन में प्राप्त हुए जो नियमानुसार उचित माध्यम से नहीं भेजे गये थे फिर भी श्री तिवारी द्वारा सूचित प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही शासन द्वारा करायी गयी परन्तु श्री तिवारी को कृत कार्यवाही की सूचना भेजा जाना आवश्यक नहीं समझा गया। श्री तिवारी के उक्तनुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों की स्थिति संलग्न विवरण अनुसार है।

30 मार्च 1978 का शासनादेश उक्त स्थिति पर लागू नहीं होता अतः शासन स्तर पर किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध उक्त परिस्थितियों में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर)

तहसीलदार भिन्गा जिला बहराइच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

33—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शासन को यह जानकारी है कि तहसीलदार भिन्गा, जिला बहराइच के विरुद्ध ग्राम शाहपुर बरगदवा की खातेदार राधा रुकमणि से मृतक की वरासत के संबन्ध में 4 हजार रुपए अवैधानिक ले लेने की जाँच जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा वर्ष 1982 में कराई गयी और वे दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वैजनाथ कुरील

तहसीलदार, भिन्गा के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायत की जांच परगनाधिकारी, भिन्गा से करायी गयी। तहसीलदार तथा लेखपाल द्वारा उत्कोच लेने की शिकायत की पुष्टि आवेदक के अतिरिक्त किसी और ने नहीं की है।

जांच संतोषप्रद न होने के कारण मामले की विस्तृत जांच राजस्व परिषद के किसी अधिकारी द्वारा कराये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जिलाधिकारी बस्ती द्वारा बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में छानबीन करने के निर्देश

34—**श्री माता प्रसाद पांडेय—**

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने पत्रांक 1662/ सी०आर०ए०(अभाव), दिनांक 28-3-81 द्वारा उप सचिव राजस्व के द्वारा शासन से एक लाख बीस हजार रुपए की मांग वर्ष 1973-74 में ग्रामीण अभियन्त्रण, बस्ती द्वारा ठेकेदारी प्रथा से कराए गये कार्यों के भुगतान के लिए मांग की है ? यदि हां, तो क्या उस धन का आवंटन शासन ने कर दिया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार तत्काल उसे आबंटित करने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ। जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक 666 सी०आर०ए० (अभाव,) दिनांक 28-3-81 में वांछित रु० 1,20,000/- के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में शासन ने

आयुक्त गोरखपुर मण्डल मे कतिपय बिन्दुओं के विषय मे छानबीन करने के निर्देश दिये हैं। आयुक्त की आख्या प्राप्त होने पर धन के आवंटन के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

35—**श्री रेवती रमण सिंह तथ मुख्तार अनीस**—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

महोली चीनी मिल (सीतापुर) के वाह्य क्रय केन्द्र में निर्धारित से अधिक वजन की पर्चियां

36—**श्री हरगोबिन्द वर्मा**—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महोली चीनी मिल (सीतापुर) के वाह्य क्रय केन्द्र निर्धारित वजन से अधिक वजन की पर्चियां 1981-82 के सीजन में बनाई गयी ? हां, तो किसानों के साथ यह असमानता का व्यवहार क्यों एवं किसके आदेश से किया गया ? कितनी पर्चियाँ ऐसी बनीं जो निर्धारित वजन से ज्यादा की थीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड-II में नए व पुराने करदाताओं का सर्वेक्षण

37—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड–II में वर्ष 1979-80 व 1980-81 व 1981-82 में सर्वेक्षण हुए थे ? यदि हां तो हर वर्ष कितने नए व पुराने करदाताओं का सर्वेक्षण निया गया था ? कुछ सर्वेक्षण सर्वे डायरियों से फट गये हैं ? यदि हाँ, तो इस संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ।

वर्ष 1979-80,80-81 व 81-82 में नये व पुराने कर-दातानों का सर्वेक्षण निम्न प्रकार किया गया था :—

वर्ष	नये	पुराने	योग
1979-80	10	144	154
1980-81	....	95	95
1981-82	64	31	95

क्रमानुसार उक्त वर्षों के कोई सर्वेक्षण सर्वे डायरियों से फटे नहीं पाये गये। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

चीनी शुगर मिल महोली सीतापुर में गन्ने का क्रय, पेराई तथा भुगतान

38—**श्री हरिगोविन्द वर्मा**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी शुगर मिल महोली, सीतापुर ने प्रारम्भ से 27-2-82 तक नौ लाख सत्तर हजार आठ सौ चौसठ (9,70,864)

क्वींटल गन्ना खरीदा और उसी तारीख तक (27-2-82) 980100 क्वींटल (नौ लाख अस्सी हजार एक सौ क्वींन्टल) की पेराई हुई ? यह अधिक गन्ना 9236 क्वींटल कहां से मिल ने खरीदा ? इसका पेमेन्ट (भुगतान) किसको किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

सूचना एकत्रित की जा रही है

जौनपुर जनपद के ग्राम कुसरना की भूमि में हरिजनों व मुसहरों द्वारा आबाद भूमि को आबादी दर्ज किये जाने की कार्यवाही

39—**श्री ऊदल**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाता नं० 27 आराजी नं० 421 व 1671 गांव कुसरना, परगना केराकत तह० केराकत जिला जौनपुर में फूलचन्द्र पुत्र भगत मुसहर महंगुर, मु० कुमारी बेवा, जीता व लाल चन्द मुसहर वगैरह कई पुश्त से आबाद हैं ? यदि हां, तो आबादी क्यों नहीं अलग की गयी ? क्या सरकार जांच करायेगी कि वहां पर इनकी मंडई, पेड तथा और सामान है ?

श्री बंजनाथ कुरील

भूखण्ड संख्या 421 रकबा -19 डि० आबादी नहीं है, बोया जोता जाता है और नं० 1671 क्षेत्रफल 65 डि० में मात्र 10 डि० ही आबादी है, जिसमें जीता मुसहर तथा रामदेव हरिजन आबाद हैं, जिसे आबादी दर्ज किए जाने निमित्त जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

जौनपुर के ग्राम कुसरना के कतिपय के भूखण्डों का भू राजस्व निर्धारण तथा भूखण्डों पर आबादी

40—**श्री ऊदल**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 421 रकबा 1 1/2 डि० व नं० 1671 रकबा— 65 डि० पर परगनाधीश, केराकत, जिला जौनपुर ने 15-12-76 को भूराजस्व 6रु० 35 पैसा निर्धारित किया है और अवध नारायण वगैरह गांव कुसरना परगना व तहसील केराकत, जिला जौनपुर का नाम भूमिधर दर्ज कराया है ? क्या सरकार परगनाधीश, केराकत, जिला जौनपुर के 15-12-76 के आदेश की जांच करायगी और उक्त भूमि के अभिलेखों की जांच करायेगी जिस पर फूलचन्द्र वगैरह मुसहर (हरिजन) कई पुश्त से आबाद रहे हैं ? क्या सरकार उक्त आबादी को छोड़वाने की आज्ञा देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील

आराजी नं० 421 रकबा 1-1/2 डि० व आराजी नं० 1671 रकबा-65 डि० की मालगुजारी परगनाधिकारी केराकत के आदेश से भू राजस्व अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत रु० 6-65 निर्धारित की गई है। उपरोक्त भूखण्ड पर श्री अवध नारायण वगैरह निवासी कुसरना का नाम सन् 1976 के पहिले से अंकित है। आराजी नं० 421 रकबा 19 डि० में से 17-1/2 डि० पर वर्तमान समय में महादेव, तेजू, हरदेव व रामसूरम का नाम नाम कागजात में दर्ज है तथा 1-1/2 डि० पर अवध नारायण का नाम दर्ज है। आराजी नं० 1671 रकबा 65 डि० में 10 डि० आबादी है।

जौनपुर जनपद के ग्राम कुसरना में श्री फूलचन्द के नाम दर्ज भूमि का कब्जा

41—**श्री ऊदल**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलचन्द पुत्र भग्गल मुसहर गांव कुसरना, परगना केराकत, तह० केराकत, जिला जौनपुर को आराजी नं० 1522 व 2327 रकबा क्रमश: 41व 9 डि० भूमिहीन का पट्टा दिया गया है और परगनाधिकारी, केराकत द्वारा नाम भी चढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त जमीन को फूलचन्द के कब्जे में दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उस पर दूसरे लोग कब्जा कर लिए हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

फूलचन्द का नाम कागजात सरकारी में असंक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में दर्ज है जिस पर फूलचन्द को कब्जा दे दिया गया है और किसी अन्य व्यक्ति का उक्त नम्बर पर कब्जा नहीं है ।

कुमारी बेवा तुफानी ग्राम कुसरना को आ० नं० 1542 व 1562 पर दिया गया कब्जा

42—**श्री ऊदल**—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मु० कुमारी बेवा तुफानी मुसहर गांव कुसरना, प० केराकत, तह० केराकत, जिला जौनपुर को भूमिहीन होने की वजह से आ० नं० 1542 रकबा 43 व 1562 रकबा 7 डि० पट्टा दिया है और परगनाधिकारी केराकत ने नाम भी चढ़ा दिया है ? यदि हाँ, तो उक्त जमीन का मु० कुमारी बेवा को कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । प्रश्नगत भूमि पर मु० कुमारी बेवा तुफानी का नाम बतौर असंक्रमणीय भूमिधर कागजात सरकारी में दर्ज हो चुका हैं । आ० नं० 1542 रकबा 43 डि० पर उसका कब्जा बराबर बना हुआ है जिसमें कोई व्यवधान नहीं है । आ० नं० 1562 रकबा 7 डि० पर रामनाथ ने अतिक्रमण कर लिया था, मौके पर पुन: आबंटी को कब्जा दे दिया गया है ।

श्री जीता पुत्र रेहटी मुसहर, जिला जौनपुर को आराजी नं० 1564 का दिया गया पट्टा

43— **श्री ऊदल**—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीता पुत्र रेहटी मुसहर, गांव, कुसरना, परगना केराकत, तह० केराकत, जिला जौनपुर को भूमिहीन होने की वजह से आराजी नं० 1564 रकबा 20 डि० व 2327 रकबा— 30 डि० गांव कुसरना, प० व तह० केराकत, जौनपुर पट्टा दिया गया है और परगनाधिकारी के आदेश से नाम भी रेवेन्यू रिकार्ड में सन् 1976 मे चढ़ा है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि जीता को अब तक जोतने नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार कब्जा दिलवाएगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

आवंटी कलकत्ता में नौकरी करता है उसकी अनुपस्थिति में आराजी नं० 1564/0-20 डि० पर अतिक्रमण हो गया था जो अब हटा दिया गया है ।

श्री लालचन्द पुत्र भग्गल को गांव कुसरना, जिला जौनपुर में दिया गया भूमि का पट्टा

44—**श्री ऊदल**

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लालचन्द पुत्र भग्गल मुसहर गांव कुसरना, प० केराकत, तह० केराकत जिला जौनपुर को आराजी नं० 1547/2851 रकबा 14 डि० व आराजी नं० 1561 रकबा-36 डि० भूमिहीन होने का पट्टा परगनाधिकारी केराकत ने दिया और सन् 1976 में नाम रेवेन्यू रिकार्ड में चढ़ा है ? क्या यह सत्य है है कि उक्त आराजी पर कब्जा लाल चन्द को नहीं दिया गया, ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील

आवंटी के इलाहाबाद नौकरी पर रहने के कारण उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर समीपी कृषकों ने अतिक्रमण कर लिया था जो अब हटा दिया गया है ।

45—**श्री ऊदल**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम कुसरना परगना व तहसील केराकत, जिला जौनपुर में स्थित भूमि संख्या 1668 व 1670 में आवास हेतु दिया गया पट्टा

46—**श्री ऊदल**

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव कुसरना परगना केराकत, तह० केराकत, जिला जौनपुर में महादुर जीना, श्रीमती कुमारी, फूलचन्द बगैरह मुसहर गांव कुसरना प० व त० केराकत, जौनपुर को आबादी के लिए नम्बर 1668 व 1670 में तीन-तीस डि० दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त आबादी की जमीन में दूसरे व्यक्ति ने अब पम्पिंग सेट गाड़ दिया है और इन गरीबों को बसने नहीं दे रहा है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार आबादी की जमीन उपरोक्त व्यक्तियों को तुरन्त कब्जे में दिलवायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम कुसरना परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर में स्थित संख्या 1668 व 1670 में तीन-तीन डि० भूमि महादुर आदि को आवास हेतु भूमि प्रबन्धक समिति ने दिया है । आवंटित भूमि में किसी का पम्पिंग सेट नहीं है । श्री महादुर व श्रीमती कुमारी ने अपना मकान बना लिया है । शेष आवंटियों को निर्माण करने से रोक नहीं रहा है ।

गन्ने की फसल का प्रति एकड़ उत्पादन खर्च

47—**श्री हुकम सिंह**—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 की गन्ने की फसल का प्रति एकड़ उत्पादन खर्च सरकार द्वारा निर्धारित आधार के अनुसार क्या आया है ? क्या यह खर्च वर्ष 81-82 में आये खर्च से कम है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा करने में लागत व खर्च का अनुमान पूरे प्रदेश के लिए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा अनुमानित किया जाता है। वर्ष 81-82 एवं 82-83 के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, अतः खर्च की तुलनात्मक स्थिति बतायी जानी सम्भव नहीं है।

विकास खण्ड राजेपुर में रामगंगा की बाढ़ से खरीफ की फसल को क्षति तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

48—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82 में जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर में रामगंगा नदी में आई कृत्रिम बाढ़ से खरीफ की फसल शत प्रतिशत क्षति हुई ? यदि हाँ, तो फसल की क्षति का मूल्य क्या था तथा क्षति उठाने वाले कृषकों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1982 में जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में रामगंगा की बाढ़ से खरीफ की फसल को 75 प्रतिशत से ऊपर क्षति हुई थी जिसकी अनुमानित क्षति लगभग रु० 32,17,500/- की थी तथा मकानों को भी लगभग रु० 1,10,300/- की अनुमानित क्षति हुई थी। प्रभावित व्यक्तियों में निम्न सहायता वितरित की गयी :—

1—खाद्य सामग्री (रु०में)	रु०	19,475.75
2—गृह अनुदान	रु०	1,07,400.00
3—अहेतुक सहायता	रु०	7,100.00
4—विशेष सहायता	रु०	238.75

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषकों को भू-राजस्व में रु० 1,15,914.52 पैसे की छूट दिये जाने का प्रारम्भिक छूट प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद फर्रुखाबाद की सदर तहसील परम नगर के ग्राम कढ़हर में गिरे हुए मकानों की सहायता हेतु लेखपाल द्वारा दलबन्दी के आधार पर सूची

49—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की सदर तहसील के परगना परमनगर के अन्तर्गत ग्राम कढ़हर में गिरे हुए मकानों की सहायता हेतु सूची लेखपाल द्वारा दलबन्दी के आधार पर बनाये जाने की शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र संख्या 593/का/82 दिनांक 28-9-82 द्वारा जिलाधिकारी, फतेहगढ़ से की गई थी ? यदि हाँ, तो इस शिकायत पर किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी, हां, माननीय विधायक द्वारा इस प्रकार की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी जिसकी स्थानीय जाँच संबंधित पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा कराई गयी थी। जाँच में 4 व्यक्ति गृह अनुदान की सहायता के पात्र पाये गये थे जिन्हें दिनांक 5-11-82 को 200/- रु० प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान का वितरण किया गया। उक्त चारों व्यक्तियों की सूची किसी दलबन्दी के आधार पर नहीं बनाई गयी थी। यह सूची केवल पात्र व्यक्तियों की ही थी।

सेवा निवृत तहसीलदार को स्वीकृत पेंशन

50—**श्री राधेश्याम पटेल**—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि सेवा के बाद सेवा निवृत्त तहसीलदार को पेंशन दी जाती है? यदि हाँ, तो क्या एक्सटेंशन के बाद सेवा निवृत तहसीलदारों को भी यह सुविधा उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन उन्हें भी पेंशन की सुविधा देने का विचार करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

चूँकि सेवा में प्रसार (एक्सटेंशन) के पश्चात सेवा निवृत्त तहसीलदारों को भी 33 वर्ष तक की सेवा अवधि का लाभ देते हुए पेंशन स्वीकृत की जाती है, अतः इस सम्बन्ध में विचार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल के ग्राम भवानीपुर गड़ियाल तथा हिम्मतपुर गैबुआ में अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने हेतु कार्यवाही

51—**श्री बिहारी लाल**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कालादूंगी (नैनीताल) के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुर गड़ियाल में उ०प्र० सरकार की कितनी भूमि अनधिकृत कब्जे में है तथा ग्राम हिम्मतपुर गैबुवा में सिलिंग की भूमि पर कितने व्यक्तियों का अनधिकृत अतिक्रमण है? उक्त स्थान में अतिक्रमण रोकने हेतु प्रशासन ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील कालादूंगो, जिला नैनीताल के ग्राम भवानीपुर गड़ियाल में 175/3 बीघा भूमि अनाधिकृत कब्जे में है। ग्राम हिम्मतपुर गैबुवा में सीलिंग की 61/17 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिये गये हैं, जो अभी विचाराधीन हैं।

बिक्री कर अधिकारी श्री जी०सी० टंडन का निलम्बन तथा सेवा निवृति

52—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री कर अधिकारी श्री जी०सी० टन्डन को 31-5-80 को सेवा निवृत्ति कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इस अधिकारी का 1975

में निलम्बन किया गया था और चार्जशीट दी गयी थी ? क्या यह सही है कि इस अधिकारी का निलम्बन आदेश सेवा निवृत्ति करने से पूर्व वापस लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस अधिकारी को निलम्बन आदेश की तिथि से सेवा निवृत्ति तक की तिथि का वेतन अथवा एलाउन्स दिया गया था ? सेवा निवृत्ति होने के समय कितनी ग्रेच्युटी दी गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ ।

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 4-2-75 द्वारा श्री टंडन को निलम्बित किया गया था । चार्जशीट नहीं दी गयी थी ।

जी नहीं ।

निलम्बन की तिथि दिनांक 4-2-75 से सेवा निवृत्ति की तिथि दिनांक 31-5-80 के बीच की अवधि के वेतन/भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है पर उक्त अवधि की सभी प्रयोजनों के लिये कार्यविधि माने जाने की स्वीकृति के आदेश शासन द्वारा दिनांक 24-1-83 को प्रसारित किये गये हैं ।

कुछ नहीं ।

लखनऊ के बिक्री कर अधिकारी द्वारा व्यापारियों के किये गये सर्वेक्षण

53—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी (एस०आई०बी०) ने 1976 में लखनऊ के खंड 7 के अनेक करदाताओं के यहां सर्वेक्षण किया और कर वंचक बिक्री को पकड़ा ? यदि हां, तो उक्त वर्ष में कितने सर्वेक्षण किन-किन तारीखों में हुये और हर बार में कितना-कितना कर वंचन पकड़ा गया और कब-कब आदेश पारित हुये ? कितने वादों में कर वंचना के लिए पीनल कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और कितनी-कितनी पेनाल्टी लगायी गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा 1976 में 17 व्यापारियों के सर्वेक्षण किये गये । सर्वेक्षण की तिथि, सर्वेक्षण के तथ्यों के आधार पर निकाली गई मांग एवं आदेश पारित करने की तिथि का विवरण संलग्न है । किसी भी वाद में पीनल कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई और न कोई पेनाल्टी लगाई गई ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ—पर)

वर्तमान उपायुक्त (शा०) बिक्री कर, इलाहाबाद द्वारा बकाया के लिए स्वीकार की गयी कथित किश्तें

54—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान उपायुक्त (शा) बिक्रीकर इलाहाबाद ने वर्ष 1979 में जब वे सहारनपुर में उपायुक्त तैनात थे, एक करदाता सरस्वती एण्ड कम्पनी देहरादून की बकाया के लिए 36 महावार किश्तों की सुविधा दी थी ? यदि हां, तो क्या उप आयुक्त (शा) को बारह से अधिक माहवारी किश्तें देने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्तमान उपायुक्त (शा०) बिक्रीकर इलाहाबाद ने वर्ष 1979 में, जब वे सहारनपुर में उपायुक्त तैनात थे, सर्वश्री सारस्वत एण्ड कम्पनी, देहरादून को बकाया के लिये कोई किश्तें स्वीकार नहीं की थीं।

अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

छाता शुगर फैक्टरी, मथुरा में कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

56—श्री चन्दन सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता शुगर फैक्टरी मथुरा जनपद में छाता के किसानों की जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी अभी तक कुछ किसानों को भूमि के बदले भूमि नहीं मिली है न मुआवजा ही मिला है ? क्या गन्ना मंत्री उन किसानों को भूमि दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

छाता शुगर फैक्टरी के जिन खातादारों की भूमि अध्याप्त की गयी थी उनमें से चार खातादारों को छोड़कर अन्य के मामले निस्तारित हो चुके हैं। एक खाते से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय में है और एक अन्य खाते के कृषकों ने सूचना दिये जाने पर भी अपना प्रतिकर नहीं लिया है। शेष दो खातों के व्यक्तियों ने अपनी भूमि के बदले में भूमि की माँग की है, परन्तु ग्राम समाज की ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है जो उन्हें आवंटित की जा सके। उनका प्रतिकर रेवेन्यू डिपाजिट में जमा है और वे जब चाहें उसे जिलाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

57-58—श्री चेतराम गंगवार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

59—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[पुनरावृत्ति के आधर पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर के संग्रह अमीनों को सेवा में पुनः लेने हेतु लोक सेवा अधिकरण का जिलाधिकारी को आदेश तथा नए संग्रह अमीनों की नियुक्ति का औचित्य

60—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के 17 संग्रह अमीनों को सेवा में पुनः लेने के लिए लोक सेवा अधिकरण ने 28-2-79 को तथा शासन ने 26-7-81 को जिलाधिकारी गोरखपुर को आदेशित किया है ? यदि हां, तो संख्या बंधित संग्रह अमीनों को सेवा कार्य करने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

61—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा वीरेन्द्र प्रतापसिंह**—

क्या यह भी सच है कि इस बीच दो नए संग्रह अमीनों को तथा सात अन्य लोगों को बिना सूची के ही नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है

मांझा ग्राम डुहिया, जनपद फैजाबाद में जलभराव के क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सहायता दिये जाने संबंधी पत्र

62— **श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांझा ग्राम डुहिया प० ब० तह० टांडा जनपद फैजाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना पत्र जल भराव के क्षति ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता दिये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ 4-10-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच कराई गयी ? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, जलभराव के क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सहायता दिये जाने से संबंधित मांझा ग्राम डुहिया, परगना व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के निवासियों का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता (माननीय विधायक) के पत्र दिनांक 4-10-82 के साथ प्राप्त हुआ था जिसकी जांच तहसीलदार टांडा द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मांझा डुहिया में कोई स्थायी आवास व आबादी नहीं है। उपरहार के लोग अपनी खेती के सिलसिले में वहाँ जाते हैं और अस्थायी रूप से रहने के पश्चात अपने स्थायी निवास को वापस चले जाते हैं। उक्त ग्राम में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुँचने के कारण प्रभावित कृषकों से कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा छूट प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

63-64—**श्री गोपी नाथ वर्मा**—

(8वें मंगलवार अतारांकित प्रश्न संख्या 119-120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

65—**श्रीमती गौरी देवी**—

(5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों के चकरोड को कुछ व्यक्तियों द्वारा जोत लेने तथा मार्ग काटने के संबंध में शिकायत

66—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान तिघिरा, श्री धीरेन्द्र सिंह, विकास खंड कौड़ीराम, जनपद गोरखपुर ने माह नवम्बर 82 में ग्राम माहोपार, तिघिरा तेवना, कुदरिया के चकरोड को कुछ व्यक्तियों द्वारा जोत लेने तथा मार्ग को काटने के संबंध में एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी, गोरखपुर को लिखा था ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? मार्ग काटने व चकरोड जोत लेने वालों के विरुद्ध कोई कदम अब तक न उठाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ ।

जाँच में शिकायत सही नहीं पायी गयी ।

भूतपूर्व प्रधान श्री रामभरोसे लाल, ग्राम सभा बुढ़ानपुरा, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

67—**श्री रियासत हुसैन**—

क्या राजस्व मन्त्री को विदित है कि भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा बुढ़ानपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद के विरुद्ध ग्रामवासियों ने मार्च, 1981 में ए० डी० एम० (ई०) को शिकायती पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

भूतपूर्व प्रधान श्री रामभरोसे लाल ग्राम सभा बुढ़ानपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के विरुद्ध ग्राम वासियों द्वारा मार्च, 1981 में ए० डी० एम० (ई०) को कोई शिकायती पत्र दिया जाना नहीं पाया जाना अपितु परगनाधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 8-4-1981 को एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं—

आबादी की जमीन को बिना अनुमति के बाँटना, बिना रसीदों के रुपया प्राप्त करना, प्लाट सं० 60 रकबई 0-49 को अपना बना कर बेच देना, बेसिक स्कूल की जमीन को वार्षिक किराये पर उठाना, और धनराशि हड़प जाना, हबीबुल्ला द्वारा 2-35 एकड़ दान दी हुई भूमि को धोखा धड़ी से अपने नाम कर लेना, छोटे भाई जय प्रकाश व ओम प्रकाश का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, इनके भाई सुरेश द्वारा मिट्टी के तेल व डीजल का अवैध व्यापार करना, नैनीताल के दुराचारी व्यक्तियों को संरक्षण देना, गाँव सभा के पेड़ बेच कर खा जाना, गाँव के स्कूल के लिए चन्दा जमा कर खा जाना, पुराने भट्ठे पर चेतराम पुत्र बन्शी का कब्जा कराना, साम्प्रदायिकता फैलाना और भ्रष्ट कर्मचारियों से सम्पर्क रखना तथा गाँव सभा एवं ग्राम समाज की बैठक न बुलाना । इन शिकायतों की जांच तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा करायी गई । इन शिकायतों में से प्रधान के विरुद्ध आबादी की भूमि की बिना पूर्व स्वीकृति के आवंटन करना एवं गाँव सभा व गाँव पंचायत की बैठकें नियमानुसार न बुलाना ही सिद्ध पाया गया । संबंधित प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई किन्तु इसी बीच गाँव पंचायतों के चुनाव के कारण गाँव सभा भंग कर दी गई और प्रस्तावित कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा सकी । अब श्री रामभरोसे लाल प्रधान नहीं हैं ।

प्रधान द्वारा आबादी की भूमि को बिना पूर्व स्वीकृति के आवंटन किये जाने वाले प्रस्ताव को बाद में परगनाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी ।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी तथा समाप्त किया गया मुख्यालय भत्ता

68—**श्री पन्नेलाल**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ मुख्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें से कितने कर्मचारियों को मुख्यालय

भत्ता दिया जा रहा है ? कितने को नहीं ? क्या सरकार मुख्यालय भत्ता न पाने वाले कर्मचारियों को भी मुख्यालय भत्ता दिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड में कुल 233 कर्मचारी कार्यरत हैं। गन्ना संघ की प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनाँक 30-10-73 के प्रस्ताव 5 के अनुपालन में 27 कर्मचारियों को मुख्यालय भत्ता दिया जा रहा था किन्तु उत्तर प्रदेश गन्ना सेवा नियमावली 1975 में उपरोक्त आशय का प्रावधान न होने के कारण मुख्यालय भत्ता अब समाप्त कर दिया गया है।

श्री नन्द किशोर भट्ट संयुक्त सचिव, उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लखनऊ का कथित स्थानान्तरण

69—**श्री पन्ने लाल**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या श्री नन्द किशोर भट्ट, संयुक्त सचिव, उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ का स्थानान्तरण माह जून, जुलाई, 1982 में उप आयुक्त, मध्य क्षेत्र कार्यालय डालीबाग, लखनऊ के लिए कर दिया गया था ? यदि हां तो क्या श्री भट्ट ने अपने नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्री नन्द किशोर भट्ट संयुक्त सचिव, उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लखनऊ का कोई स्थानान्तरण आदेश जून/जुलाई, 82 में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजीपुर में सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री एवं आवश्यक सामग्री का वितरण

70—**श्री राम नरायन एडवोकेट**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 के जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में गाजीपुर जनपद के बीस लाख लोगों को सूखा एवं बाढ़ से उत्पन्न अन्नाभाव के कारण भुखमरी से बचाने हेतु सरकार द्वारा कौन से राहतकारी प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? और जिला प्रशासन द्वारा सरकार से कितने मात्रा खाद्यान्न की मांग की गयी है तथा सरकार द्वारा कितने मात्रा में खाद्यान्न दिया गया है।

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1982 के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में गाजीपुर जनपद में सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को निम्नलिखित खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया—

वितरित वस्तुओं का विवरण	मात्रा
गेहूँ	7070 कुन्तल
चावल	793 कुन्तल
चना	104.16 कुन्तल
आटा	3 कुन्तल
लाई	1/2 कुन्तल
नमक	339.38 कुन्तल
मिट्टी का तेल	41273 लीटर
दियासलाई	23536

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त जनपद के निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को 10 किलो ग्राम निःशुल्क खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से 3 माह तक वितरित किया गया ।

जिला प्रशासन द्वारा इस जनपद के लिये माह 4000 मी०टन गेहूँ तथा 4000 मी० टन चावल की मांग की गयी थी जिसके विरुद्ध शासन द्वारा माहवार आवंटन निम्नलिखित मात्रा में किया गया :—

	गेहूँ	चावल
जुलाई, 1982	200 मी०टन	700 मी०टन
अगस्त, 1982	700 मी०टन	1200 मी०टन
सितम्बर, 1982	2200 मी०टन	500 मी०टन

बाढ़-सूखा सहायता समिति, बस्ती द्वारा किया गया सहायता कार्य एवं समिति के विरुद्ध शिकायती पत्र

71—**श्री माता प्रसाद पाडेय** —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की बाढ़-सूखा सहायता समिति बस्ती द्वारा गत तीन वर्षों में सहायता कार्य किन-किन गांवों में किया गया ? इसके कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी हैं ? क्या उक्त समिति के विरुद्ध जनवरी, 1980 से नवम्बर, 1981 तक शिकायती-पत्र शासन एवं अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

72—**श्री राम नरायन सिंह (एडवोकेट)** —

[भारत सरकार से सम्बद्ध]

प्रदेश में लायसेन्स शुदा इकाईयां तथा उनकी दैनिक पेराई क्षमता

73—**श्री जयदीप सिंह बरार** —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि० 30-9-82 को प्रदेश में कुल कितनी लाइसेंस शुदा खांडसारी इकाइयां हैं और इनकी कुल कितनी प्रतिदिन पेराई क्षमता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश में दिनांक 30-9-82 को कुल 2815 लायसेंस शुदा इकाईयां थीं और उनकी कुल दैनिक पेराई क्षमता 8.70 लाख क्विंटल के लगभग अनुमानित है।

ग्राम रसूलपुर परगना अठगांवा, तहसील व जिला वाराणसी के चक निर्माण की कार्यवाही तथा चकबन्दी की जाँच

74—**श्री उदल—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रसूलपुर, परगना अठगांवा, तह० व जिला वाराणसी का चक कागज पर काट दिया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग चक नाप कर अलग न करने तथा चकदारों को कब्जा न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस गांव की चकबन्दी की जांच कमिश्नर चकबन्दी से कराने पर विचार करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसूलपुर, परगना अठगांवा, तहसील व जिला वाराणसी के चक निर्माण की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है तथा धारा 20 का प्रकाशन दिनांक 10-12-76 को किया जा चुका है। इस ग्राम में चक अपीलों की सुनवाई माह जून, 1978 में ही की जा चुकी है और ग्राम दिनांक 30-6-78 को चकबन्दी अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत पुष्टिकृत हो चुका है। अपीलों में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 48 के अन्तर्गत 27 निगरानियाँ उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में दायर हुई हैं। इस ग्राम में अपने-अपने चकों पर कृषकों को कब्जा हस्तान्तरण का प्रयास किया गया किन्तु अधिकांश कृषक इस बात पर दृढ़ हैं कि जब तक निगरानियों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही स्थगित रखी जाय। कृषकों के विरोध और शांति भंग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये सीमांकन/कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। ग्राम की निगरानियां विचाराधीन हैं। निगरानियों के निस्तारण होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार चकबन्दी कमिश्नर से जांच कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

जिला फर्रूखाबाद के ग्राम जिठौली में लेखपाल द्वारा गिरे हुये मकानों की सूची गलत बनाए जाने के संबंध में शिकायत

75—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रूखाबाद की सदर तहसील के परगना खाखटमऊ के अन्तर्गत ग्राम जिठौली में गिरे हुए मकानों की सूची लेखपाल द्वारा गलत बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र संख्या 595/का/82, दिनांक 29-9-82 द्वारा शिकायत जिलाधिकारी, फतेहगढ़ से की थी ? यदि हां, तो इस शिकायत पर किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी तथा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, माननीय विधायक द्वारा इस प्रकार की शिकायत जिलाधिकारी से की गयी थी जिसकी स्थानीय जांच क्षेत्रीय पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा की गयी जांच में कुल 5 व्यक्ति गृह अनुदान के पात्र पाये गये जिन्हें 200/- रु० प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान वितरित किया गया।

जनपद फैजाबाद, तहसील टांडा के ग्राम गुवाब बेलवारी के निवासी सर्वश्री हीरा व दीना, को कृषि योग्य भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में पत्र

76—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री हीरा व दीना निवासी ग्राम गुवाब वेलवारी, परगना व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद को कृषि योग्य भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र संलग्नक आवेदन-पत्र सहित मन्त्री को दि० 8-10-80 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोनों व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि आवंटित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। परन्तु मा० प्रश्नकर्ता का सम्बंधित पत्र दिनांक 8-10-82 का है। सर्वश्री हीरा व दीना निवासी ग्राम बेलवारी, परगना व तहसील टाण्डा को दिनाँक 2-3-76 को ग्राम समाज भूमि नम्बर 770 मि० में क्रमशः 15 विस्वा, 10 विस्वा का नियमानुसार कृषि हेतु पट्टा दिया था परन्तु वे उक्त भूमि पर कब्जा नहीं किए तथा उस भूमि को बदलने के लिए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिया है। जाँच के पश्चात परगनाधिकारी के आदेश दिनाँक 28-1-83 द्वारा प्रार्थीगण को दूसरी भूमि पट्टे की भूमि के बदले में देने का आदेश हो गया है।

जनपद लखनऊ व बहराइच के बिक्री कर विभाग में पुराने वादों का निस्तारण

77—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर विभाग में पुराने रिमेण्ड वादों के निस्तारण की अन्तिम तिथि 31-12-80 थी ? यदि हाँ, तो लखनऊ व बहराइच बिक्रीकर कार्यालय में ऐसे कितने रिमेंड वाद थे जिनका निस्तारण 31-12-80 के बाद भी नहीं किया गया ? क्या इन रिमेण्ड वादों में जमा की राशि को मय ब्याज के करदाताओं को वापिस कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह सही नहीं है कि प्रतिप्रेषित वादों के निस्तारण के संबंध में 31-12-80 की तिथि निर्धारित थी। वस्तुतः विधि के अनुसार इन वादों का निस्तारण प्रतिप्रेषण सम्बन्धी आदेश की प्राप्ति के दिनाँक से एक वर्ष के भीतर अथवा 31-12-79 तक, जो भी पश्चात-वर्ती हो किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 आफ 1982 द्वारा इस अवधि को 31 दिसम्बर 1982 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया जिसका निस्तारण निर्धारित अवधि में न किया गया हो। ऐसी स्थिति में इन वादों में जमा की राशि को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिक्रीकर अधिवक्ताओं द्वारा बिक्रीकर अदालतों का बहिष्कार, कार्यरत लिपिक श्री रामबाबू शुक्ला का निलम्बन तथा वैभागिक कार्यवाही

78—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि ता० 4-9-82 से कानपुर के बिक्रीकर अधिवक्ताओं ने बिक्रीकर अदालतों का बहिष्कार इसलिए किया कि एक सेवा में कार्यरत लिपिक कर-दाताओं के मुकदमें की पैरवी करता पाया गया ? यदि हाँ, तो क्या इस सम्बंध में आयुक्त बिक्रीकर को भी अवगत कराया गया ? यदि हाँ, तो लिपिक ने बिक्रीकर अधिकारी-8 के

समक्ष मुकदमें की पैरवी करना स्वीकार किया और अधिकारी ने कागजात सील कर दिए ? यदि हाँ, तो इस सम्बंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जी नहीं ।

श्री रामबाबू शुक्ला का स्थानाँतरण उन्नाव मंडल कर दिया गया था और बाद में उन्हें उपायुक्त बिक्रीकर कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया । उन्हें दिनाँक 5-10-82 के आदेश द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

79—**श्री देवी प्रसाद तथा श्री हरदेव—**

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दैवी आपदाओं से पीड़ित मथुरा जनपद को राहत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि

80—**श्री सरदार सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 80-81 व 81-82 में दैवी आपदाओं से पीड़ित मथुरा जनपद को राहत कार्यों हेतु शासन ने कितना अनुदान दिया था ? अनुदान के व्यय का विधान सभायी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ? क्या अनुदान के पैसे को शासन को वापस भी कर दिया था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील —

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में दैवी आपदाओं से पीड़ित मथुरा जनपद को राहत कार्यों हेतु निम्नलिखित धनराशियाँ स्वीकृत की गई :—

वर्ष	अहेतुक सहायता	गृह निर्माण अनुदान
1980-81	रु० 2,45,000	रु० 1,70,000
1981-82	रु० 20,50,000	रु० 20,50,000

उपरोक्त स्वीकृत अनुदान में से वर्षवार व्यय का विधान सभाई क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विधान सभाई क्षेत्र	अहेतुक सहायता	गृह निर्माण अनुदान
1980-81	1—मथुरा	400	2,000
	2—छाता	3,025	200
	3—माट	7,008	400
	4—सादाबाद	71,650	600
	5—गोकुल	8,277	2,000
	6—गोवर्धन	9,570	4,400

उपरोक्त के अतिरिक्त रु० 7,980/- के ऊनी कम्बल अहेतुक सहायता मद से क्रय किये गए । शेष अहेतुक सहायता मद में रु० 1,36,190 तथा गृह निर्माण अनुदान मद में 1,60,400 की धनराशि शासन को वापस की गई ।

वर्ष 1981-82	1—मथुरा	1,92,496	33,450
	2—छाता	4,40,032	83,650
	3—माँट	2,79,210	3,30395
	4—सादाबाद	1,27,705	5,84,385
	5—गोकुल	79,945	6,80,500
	6—गोवर्धन	2.49,717	52,150

उपरोक्त के अतिरिक्त रु० 7,956 के ऊनी कम्बल अहेतुक सहायता मद से क्रय किये गए। शेष अहेतुक सहायता मद में रु० 6,72,939 तथा गृह अनुदान मद में रु० 2,85,470 की धनराशि शासन को वापस की गई।

प्रधान मंत्री सहायता कोष से वर्ष 1981-82 में रु० 2,50,000 प्राप्त हुआ जिससे जनता धोती/साड़ियाँ क्रय करके गरीब एवं पात्र व्यक्तियों में वितरित कराई गयी जिससे 18,929 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

जनपद में उपलब्ध सभी पात्र व्यक्तियों को अनुदान वितरित करने के उपरान्त जो धनराशि उपरोक्त वर्षों में अवशेष रही, उसे ही शासन को बापस किया गया।

81—**श्री सरदार सिंह**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर के तहसील चुनार के ग्रामों में लागू चकबन्दी योजना

82—**श्री राम चरण सिंह**—

22 जनवरी, 82 के अता०प्र०सं० 139 के उत्तर के संदर्भ क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिनियम की धारा 4/2 के अन्तर्गत प्राख्यापन हेतु प्राप्त संस्तुति शासन के विचाराधीन थी ? यदि हाँ, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? वह कौन-कौन से 9 ग्राम है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद मिर्जापुर, तहसील-चुनार, परगना अहरौरा के ग्रामों खाने आजमपुर, लोहरा, बधौरी, गोरही, कुतुबपुर, नागनाथ हरैया, मुकृत, तकिया मुतालिके बुड़ई, तकिया मुतालिके परगाद के संबंध में जोत चकवन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनाँक 10 जुलाई, 1982 को प्रकाशित हो चुकी है, तथा उक्त ग्रामों में चकबंदी योजना लागू है।

चलचित्र निगम द्वारा चालित छविगृह अहरौरा का आय-व्ययक तथा जनपद मिर्जापुर में छवि गृहों की संख्या

83—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि चल-चित्र निगम द्वारा चालित छविगृह अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में कब से चल रहा हैं ? वर्ष 82-83 में उसका क्या आय-व्यय रहा ? जनपद मिर्जापुर में चलचित्र निगम द्वारा चालित छवि गृहों की संख्या क्या है और वह कहाँ-कहाँ है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

चलचित्र निगम द्वारा चालित छविगृह अहरौरा, तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर में दिनाँक 14 सितम्बर, 1982 से चल रहा हैं ।

इस सिनेमा की वर्ष 82-83 में (31 दिसम्बर, 1982) तक आय रु० 1.25 लाख तथा व्यय (ह्रास को छोड़कर) रु० 1.05 लाख रहा ।

सम्प्रति जनपद मिर्जापुर में चलचित्र निगम द्वारा चालित छविगृहों की संख्या तीन है तथा ये अहरौरा, ओबरा तथा रेनूकूट नामक कस्बों में स्थित हैं ।

ग्राम उपाध्यायपुर फैजाबाद के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित रूप से पट्टा किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही

84—**श्री मित्रसेन** —

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम उपाध्यायपुर, परगना पच्छिम, मराठ, तहसील बीकापुर, फैजाबाद के वर्तमान ग्राम प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि का आवंटन अपने परिवार से संबंधित व्यक्तियों के नाम करके अपने पद का दुरुपयोग किया है जिसकी जाँच वर्ष 80-81 तथा 81-82 में परगनाधिकारी, बीकापुर द्वारा कराई गई है ? क्या जाँच आख्या अभी तक विभागीय स्तर पर लम्बित है ? यदि हाँ, तो अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित रूप से पट्टा किए जाने की बात प्रकाश में आई है जिसके निरस्तीकरण हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198/4 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है ।

किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर में गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित गबन के मामले की जांच तथा कृषकों के गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि

85—**श्री छत्तर सिंह**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 1981-82 में आडिट विभाग द्वारा भ्रष्टाचार का कोई मामला पकड़ा गया है ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच कौन अधिकारी कर रहा है ? तथा कौन-कौन दोषी पाए गये हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

किसान सहकारी चीनी मिल अनुपशहर में वर्ष 1981-82 में आडिट द्वारा कोई मामला नहीं पकड़ा गया है, परन्तु गन्ना मूल्य भुगतान से सम्बन्धित कुछ गबन के मामले प्रकाश में अवश्य आये हैं जिसकी जाँच चीनी मिल के मुख्य लेखाकार कर रहे हैं । जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जाँच के आधार पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उनकी सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर ।)

86—**श्री छत्तर सिंह**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में जिन किसानों ने दि किसान सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर को गन्ना दिया

था ? उसमें से कितने किसानों का कितना रुपया बाकी रह गया है ? अब तक किन कारणों से भुगतान नहीं हो पाया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

दि किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर पर वर्ष 1981-82 का किसानों के गन्ना मूल्य की कोई धनराशि बकाया नहीं है ।

श्री भगवान दीन संग्रह अमीन,तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद की नियमित नियुक्ति के आदेश तथा सीजनल संग्रह अमीन की नियमित स्थायी नियुक्त न किये जाने का कारण

87—**श्री लल्लू सिंह चौहान—**

दिनाँक 30-1-81 के श्री मित्रसेन यादव के अता०प्र० सं० 145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि भगवान, दीन संग्रह अमीन त० बीकापुर, जिला फैजाबाद की नियमित नियुक्ति आदेश सं०बी०आई०पी० 551 ए०स०म०/ 81,दि० 31-1-81 के अनुपालन में जिलाधिकारो, फैजावाद ने 30 नवम्बर, 82 तक क्यों नहीं की ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

88—**श्री लल्लू सिंह चौहान—**

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद की तहसील बीकापुर में सीजनल संग्रह अमीन वरिष्ठताक्रम 21 श्री श्याम सुन्दर यादव, पिछड़ी जाति व 14 पर श्री शारदा प्रसाद दुवे, सवर्ण वर्ग 15 पर श्री राम जियावन पाण्डेय, सवण व 41 पर श्री मंहगू राम हरिजन वर्ग तथा 43 पर श्री प्रेमनाथ हरिजन सीजनल संग्रह अमीनों को नियमित स्थायी नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? जबकि वरिष्ठता क्रम 5 पर श्री बावू लाल निशाद, 6 पर श्री सर्वजीत व 7 पर श्री राम उजागिर निषाद, पिछड़ी जाति तथा क्रमाँक 1 श्री उदयभा-सिंह 2—श्री माता प्रसाद सिंह, 3—शिवनायक सिंह, 4—बजरंग बलो व 8 से 13 तक सवर्ण वर्ग और 30 पर महावीर प्रसाद हरिजन 32–पर सोमई राम हरिजन 39–सियाराम हरिजन, 40–पर झगरूराम हरिजन आदि की नियमित स्थाई नियुक्ति अभी तक नहीं हुई ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मथुरा जिले के कस्बा महावन को नई तहसील बनाने पर विचार

89—**श्री सरदार सिंह—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के कस्बा महावन को नई तहसील बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक इसकी विधिवत् घोषणा हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?—

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में दिनाँक 18 मई, 1982 को एक सिमिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

तहसील महाराजगंज में कार्यरत लिपिक श्री रामकुंवर के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

90—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में कार्यरत लिपिक श्री रामकुंवर के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र शासन को एवं जिलाधिकारी तथा अध्यथ राजस्व परिषद तथा परगनाधिकारी महाराज गंज को माह जुलाई. 82 से माह नवम्बर, 82 तक प्राप्त हुआ है ? यदि हैं, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

राजस्व परिषद को इस प्रकरण की सम्यक रूप से जाँच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद गोरखपुर में बाढ़ से क्षति के संदर्भ में भेजे गये तार पर कृत कार्यवाही

91—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में इस वर्ष आई बाढ़ से हुई क्षति आदि के संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 19-9-82 का कोई तार मुख्यमंत्री को भेजा था ? यदि हाँ, तो उस तार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

माननीय विधायक के प्रश्नगत तार में उल्लिखित शिकायत के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी जिला प्रशासन गोरखपुर से की गई जिनसे शासन को प्राप्त सूचना से विदित हुआ है कि वर्ष 1982 में तहसील महाराजगंज में जनपद गोरखपुर की अन्य तहसीलों की तुलना में बाढ़ का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। दिनाँक 19-9-82 तक तहसील महराजगंज की प्राप्त दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार तहसील केवल 19 ग्राम पानी से चारों तरफ घिरे थे। बाढ़ प्रभावितों की सुरक्षा हेतु 30 नावें लगाई गई थी। तहसील के बाढ़ प्रभावितों की सुरक्षा एवं राहत हेतु 12 बाढ़ राहत केन्द्र खोले गये। तससील के बाढ़ प्रभावित पात्र लोगों में रु० 52,000/- विशेष सहायता, रु० 1700/- गृह अनुदान तथा 3,22,000/- रु० अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया। बाढ़ सहायता कार्य में अतिरिक्त जिलाधिकारी के स्तर से कोई लापरवाही नहीं की गई है।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज से संबंधित ग्राम पुरुषोत्तमपुर व गांव रामपुर के विरुद्ध शिकायती पत्रों का निस्तारण

92—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज से संबंधित ग्राम परुषोत्तमपुर व गाँव रामपुर कलाँ से संबंधित कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता की ओर से प्रेषित क्रमशः दिनाँक 20 अगस्त, 82 एवं 27 अगस्त, 82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ ।

प्रश्नगत शिकायत जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से जाँच हेतु परगनाधिकारी महाराजगंज को भेज दी गई थी । प्राप्त सूचनानुसार श्री रामजीत यादव पुत्र राम पलट यादव को यह शिकायत थी कि उनके ग्राम पुरुषोत्तमपुर टोला मथानिया के रास्ते में अवरोध है । जिस पर पर्यवेक्षक कानूनगो सिसवा ने मौके पर पैमाइस करके समस्या का समाधान कर दिया है । श्री रामजीत यादव द्वारा इस संबंध में यह लिखित रूप से विया गया है कि हम लोगों का विवाद ग्रस्त रास्ता ठीक हो गया है । अब इस संबंध में कोई विवाद नहीं है ।

उक्त के अतिरिक्त तहसील महाराजगंज के ग्राम रामपुर कला तथा कडकरही के धोबियों को आवास के संबंध में शिकायत थी । इस संबंध में ग्राम की भूमि प्रबंधक समिति ने दिनाँक 28-1-81 को प्रस्ताव पारित करके 30 धोबी परिवारों में प्रत्येक को .02 डिसमिल भूमि के हिसाब से आवास हेतु आवंटन कर दिया है । इस आवंटन की स्वीकृति तत्कालीन परगनाधिकारी महाराजगंज द्वारा दिनाँक 12-9-82 को की गयी है । आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा भी दिला दिया गया है ग्राम के धोबियों को तालाब आवंटन की कोई समस्या नहीं थी । इस प्रकार प्रश्नगत शिकायतों का निस्तारण जिला स्तर पर कर लिया गया है ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम 6 जलैट, सीकरी एवं बेगमपुर में ग्राम सभा एवं समाज की आवंटन योग्य भूमि

93—**श्री राम कृष्ण माहेश्वरी**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छजलैट, ग्राम सीकरी एवं ग्राम बेगमपुर, तहसील अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में ग्राम सभा एवं ग्राम समाज की कितनी भूमि आवंटन योग्य है तथा इस भूमि को अभी तक भूमिहीनों में वितरित न करने का क्या कारण है ? प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनाँक 26-8-82 द्वारा ग्राम छजलैट की भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटन हेतु लिखा था ? यदि हाँ, तो अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील —

ग्राम छजलैट, ग्राम सीकरी एवं ग्राम बेगमपुर में ग्राम समाज को क्रमशः 5-91 एकड़, 16-67 एकड़ व 12-94 एकड़ भूमि आवंटन योग्य है । ग्राम छजलैट में आवंटन योग्य भूमि पर अनधिकृत व्यक्ति काबिज हैं जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122-बी के अन्तर्गत न्यायालय में चल रही है ।

ग्राम बेगमपुर में उपलब्ध ग्राम समाज भूमि को पहले ही 1981 में भूमिहीनों का आवन्टित किया जा चुका है और उनका मौके पर कब्जा है। ग्राम सीकरी में भी उपलब्ध भूमि का आवंटन कर दिया गया है और आवंटियों को कब्जा दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 26-8-82 के साथ प्राप्त श्री अन्सार अहमद के शिकायत-पत्र पर आवश्यक जाँच चल रही हैं।

श्री ठाकुर बाल नरायनजी विराजमान मन्दिर बाघपुर तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर को एन्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश

94—**श्री हरी किशन श्रीवास्तव**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ठाकुर बाल नरायन मंदिर बाघपुर तहसील अकबरपुर जिला कानपुर को एन्युटी के भुगतान के संबंध में राजस्व अनुभाग-6 का पत्र संख्या 121/9/79 (140) राजस्व-6 दिनाँक 16 अप्रैल, 1982 द्वारा जो निर्देश जिलाधिकारी कानपुर देहात को भेजा गया था उसमें कुल भुगतान कितना बकाया है और क्या उसका भुगतान संबंधित व्यक्ति को हो गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री राम कुमार मरवराहकर श्री ठाकुर बाल नरायन जी विराजमान मन्दिर बाघपुर तहसील अकबरपुर जिला कानपुर को उ०प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 94 (बी) के अन्तर्गत उनके वार्षिकी रोल पर दिनाँक 1-1-68 से 31-12-78 तक की अवधि के लिये कुल रु० 5,533-00 की देय वार्षिकी की बकाया किस्तों का भुगतान किये जाने की स्वीकृत शासनादेश संख्या 121/9/79 (140) राजस्व 6 दिनाँक 5-7-79 द्वारा प्रदान की गई थी। श्री राम कुमार के प्रार्थना पत्र देने पर कि वार्षिकी का भुगतान नहीं हुआ है शासनादेश संख्या 121/9/79 (140) रा०-6 दिनाँक 16-4-82 द्वारा उक्त भुगतान अविलम्ब करने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी कानपुर देहात को निर्देश दिये गये थे। जिलाधिकारी ने सूचित किया कि शासनादेश दिनाँक 5-7-79 तथा उसमें संलग्न मूल एन्युटी रोल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर जिलाधिकारी को डुप्लीकेट एन्युटी रोल बनाकर भुगतान हेतु प्रस्ताव परिषद एवं शासन को शीघ्र भेजने के निर्देश दिनाँक 8-2-83 को दिये गये हैं।

कार्यालय उप निबंधक, कन्नौज में श्री जयराम चपरासी के अनुपस्थित होने पर उक्त अवधि के वेतन का भुगतान संबंधी शिकायती पत्र

95—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय उप निबंधक कन्नौज में चपरासी के पद पर तैनात श्री जयराम ने दिनांक 1-3-80 से 15-5-80 तक कार्य नहीं किया है जिसका प्रमाण हाजिरी रजिस्टर में उसे सीज दिखाया गया है और उसके दस्तखतों का न होना है ? क्या यह सही है कि इसके विपरीत उक्त अवधि का वेतन तत्कालीन जिला निबंधक ने अपने कार्यालय में ही भुगतान लेकर के बांटना दिखाया है ? क्या इस संबंध में उच्चाधिकारियों को तथा शासन को वहां के तैनात पानी वाले श्री श्रीकृष्ण ने कई प्रार्थना पत्र इन्क्वायरी के लिए प्रेषित किये हैं ? यदि हाँ, तो आज दो वर्ष के अन्तर्गत उस पर शासन ने संबंधित अधिकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उक्त घटना की जांच कराने की कृपा करेगी जिससे सही तथ्य प्रकाश में आ जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

छाता चीनी मिल, मथुरा को दिया गया कथित धन

96—**श्री सरदार सिंह**—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा के छाता चीनी मिल को वर्ष 80-81 में शासन ने कितना धन दिया और उसका किस मद में कैसे-कैसे उपयोग हुआ है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

छाता चीनी मिल को शासन ने वर्ष 1980-81 में कोई धन नहीं दिया अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की घुघली मिल हेतु खरीदे जाने वाली साखू व अन्य लकडियों में घपले की सूचना

97—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की शुगर मिल घुघली जो सरकारी आदाता के संरक्षण में चल रही है जिसके ब्वायलर गर्म करने हेतु खरीदी जाने वाली साखू व अन्य लकड़ियों में घपले की सूचना प्रश्नकर्त्ता ने गन्ना मंत्री व सचिव, गन्ना विभाग को दिनांक 1 से 4 नवम्बर, 82 के बीच दी है ? यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

घुघली मिल हेतु खरीदे जाने वाली साखू व अन्य लकड़ियों में घपले की सूचना संबंधित सदस्य महोदय का 1 नवम्बर 82 से 4 नवम्बर 82 के बीच कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता, किन्तु इसी विषय पर 3 दिसम्बर, 82 को पत्र अवश्य मिला था । इस शिकायत की जाँच जिलाधिकारी, गोरखपुर से कराई गई और उनके अनुसार बाजार की परिस्थितियों को देखते हुये लकड़ी के क्रय के लिए की गई व्यवस्था ठीक थी और इस प्रकार उस संबंध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

98—**श्री गोपी नाथ वर्मा**—

[5 वें बुधवार में अतारांकित प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

99—**श्री तेज बहादुर सिंह**—

[6 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजस्व सचिव शाखा के पात्र टंककों को प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश

100—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व सचिव शाखा में कार्यरत द्विभाषी टंककों को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस संबंध में किस दिनांक को शासनादेश सचिवालय स्तर पर जारी किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

राजस्व सचिव शाखा के पात्र टकंकों को प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 तथा 13 जनवरी, 1983 को जारी किये गये हैं।

सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु जी० पी० एफ० पास बुकें रखने का निर्णय

101—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए जी० पी० एफ० पास बुकें रखने का निर्णय कब लिया गया था और उस निर्णय के अंतर्गत सचिवालय के विभिन्न शाखाओं में कितने कर्मचारियों की पास बुकें खोली गई हैं और कितनी पास बुकों की प्रविष्टियां दिनांक 31-3-82 तक ट्रेजरी वाऊचर के विवरण सहित पूरी हो चुकी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

रुपया 185-265 तक के वेतनमान के सरकारी कर्मचारियों के लिए जी० पी० एफ० पास बुकों के रखने का निर्णय शासनादेश संख्या जी 4-2626/दस-521/60, दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 के अंतर्गत लिया गया था तथा ऐसे सरकारी सेवकों जिनके वेतन-मान का अधिकतम 1,200 रु० से अधिक नहीं था और जिनका वेतन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आहरित किया जाता था एवं सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारियों जिनके वेतन का आहरण इरला चेक अनुभाग द्वारा किया जाता है, के सम्बंध में पास बुकों के रखने का निर्णय शासनादेश संख्या-जी-4- 2450/दस-503/1977, दिनांक 12 दिसम्बर, 1977 के अंतर्गत लिया गया था। उक्त निर्णयों के अंतर्गत सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में 4624 कर्मचारियों/अधिकारियों की पास बुकें खोली गई तथा 3343 कर्मचारियों/अधिका-रियों की पास बुकों की प्रविष्टियां दिनांक 31-3-82 तक ट्रेजरी वाउचर के विवरण सहित पूरी हो चुकी हैं।

102—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री कल्लू निवासी ग्राम किरा, जिला रामपुर के विरुद्ध भूमि पर अवैध कब्जा करने को आरोप

103—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री कल्लू निवासी ग्राम किरा तहसील शाहबाद जिला रामपुर जो लगभग मात्र एक एकड़ भूमि का स्वामी है को उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122-ख के अन्तर्गत ग्राम समाज की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में वर्ष 1981-82 में कितना प्रति कर वसूल करने के तहसीलदार शाहाबाद द्वारा आदेश पारित किये गये ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री कल्लू, पुत्र सालिख निवासी ग्राम किरा 1-46 एकड़ भूमि का स्वामी है। उसने गाटा संख्या 614 जो खलिहान हेतु सुरक्षित है के 0.15 एकड़ पर 10 वर्षों से अनधिकृत कब्जा कर रखा था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत तत्कालीन तहसीलदार/सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 31-10-81 द्वारा उसकी बेदखली तथा कीमती भूमि होने के कारण 2000/- रुपये प्रति वर्ष की

दर से 10 वर्ष का हर्जाना अंकन 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) आरोपित किया गया ।

रुरल इन्डिया हेल्थ प्रोजेक्ट, पीपीगंज गोरखपुर को अस्पताल भवन बनाने हेतु भूमि देने का प्रस्ताव

104—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा पीपीगंज तहसील फरेन्दा, जिला गोरखपुर द्वारा वर्ष 1978 में रूरल इंडिला हैल्थ प्रोजेक्ट पीपीगंज गोरखपुर को बिल्डिग निर्माण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित करने के लिए 1-1/2 डेढ़ एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो क्या जमीन जिन उद्देश्यों के लिए ग्राम सभा पीपीगंज (वर्तमान टाउन एरिया) ने दिया या उससे पूरा करने के क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

भूमि प्रबन्धक समिति साहबगंज तहसील फरेन्दा जनपद गोरखपुर ने वर्ष 1979 में रूरल इन्डिया हेल्थ प्रोजेक्ट पीपीगंज गोरखपुर को अस्पताल भवन बनाने के लिये 1-05 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था । अस्पताल भवन निर्माणधीन है ।

मेसर्स आनन्द टेक्स एण्ड वेसेल्सू प्रा०लि० बम्बई तथा सुनीता इंजीनियरिंग कम्पनी बम्बई का गन्ना विभाग को टेंडर

105—**श्री छत्तरसिंह**—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर, 82 में बम्बई की आनन्द टेक्स इंजीनियरिंग कम्पनी बम्बई तथा सुनीता इंजीनियरिंग कम्पनी बम्बई का गन्ना विभाग द्वारा कोई टेंडर स्वीकृत किया गया है क्या टेंडर स्वीकृत करने हेतु स्वीकृति कर्त्ता कम्पनी सभी निर्धारित योग्यतायें रखती थी ? उक्त कम्पनी का टेंडर कब प्राप्त हुआ तथा कब स्वीकृत किया गया ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्न सहकारी चीनी मिल संघ से संबंधित है । मेसर्स सुनीता इंजीनियरिंग कम्पनी लि. बम्बई को कोई टेण्डर नहीं दिया गया है । मेसर्स आनन्द टैक्स एण्ड वेसेल्स् प्राइवेट लि. बम्बई ने दिनांक 4 तथा 11 सितम्बर, 1982 के पत्रों में टेण्डर देने के लिए अनुमति देने की प्रार्थना की थी । राज्य परामर्शदात्री समिति ने इसी प्रकार के दो अन्य फर्मों के प्रार्थना पत्र के साथ इस फर्म के प्रार्थना पर विचार करने हेतु एक तकनीकी उप समिति का गठन किया, और इन फर्मों की उपयुक्तता आंकने के निर्देश दिये । इस तकनीकी उप समिति के मेसर्स आनन्द टैक्स एण्ड वेसेल्सू को प्लाण्ट एवं मशीनरी आपूर्ति हेतु टेण्डर देने के लिए अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की । राज्य परामर्श दात्री समिति ने उक्त फर्म को दिनांक 2-11-82 को टेण्डर दिये जाने की अनुमति प्रदान की । अन्य टेण्डरों के साथ मेसर्स आनन्द टैक्स एण्ड बेसेल्सू प्राइवेट लि. बम्बई के टेण्डर पर भी राज्य परामर्शदात्री समिति ने दिनांक 3-11-82 को विचार किया तथा निगोसिएसन्स के पश्चात् तीन फर्मों को चार प्लाण्ट एवं मशीनरी आपूर्ति के आदेश दिये जाने हेतु चुना, जिसमें मेसर्स आनन्द टैक्स एण्ड बेसेल्स् को भी एक मिल की प्लान्ट एवं मशीनरी आपूर्ति के आदेश दिये जाने के लिए चुना गया है ।

जनपद बहराइच एवं लखीमपुर के बीच चल रहे सीमा विवाद के निराकरण हेतु वांछित सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएँ

106—**श्री जटा शंकर सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 1ले शुक्र के ता० प्र० सं० 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित समस्या के निराकरण हेतु वांछित सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं ? यदि हाँ, तो किस स्तर पर है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या प्रश्नगत सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया हेतु चयनित ग्रामों की सूची में ग्राम सभा चहलवा का नाम नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील —

संदर्भित समस्या के निराकरण हेतु वांछित सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं हेतु चयनित ग्रामों की सूची में ग्राम चेहलुआ का नाम है ।

जनपद गोंडा के ग्राम खम्हरिया में हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि पर श्री राजकरण का अवैध कब्जा तथा हरिजनों को भूमि का आबंटन

107—**श्री पन्ने लाल**—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम खम्हरिया हरवंश, परगना व तहसील सदर जिला गोंडा में गाटा सं० 446/0-18 रकबा 0-18 डिसमिल हरिजनों के आवंटन हेतु सुरक्षित है फिर भी उक्त भूमि का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो इसमें बिलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त भूमि का तुरन्त आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम खम्हरिया जिला गोंडा में स्थित भूखण्ड संख्या 445 रकबा 0-18 डि० हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित किया गया था । इसमें से 0-18 डि० भूमि पात्र हरिजनों को आवंटित की जा चुकी है । शेष 0-02 डि० भूमि तालाब के क्षेत्र में होने के कारण आबादी हेतु आवंटन योग्य नहीं है ।

108—**श्री पन्नेलाल**—

क्या सरकार को उक्त संदर्भ में यह भी जानकारी है कि राज करन पुत्र श्री बलदेव ग्राम खमरिया तहसील सदर जिला गोंडा में विगत 6 वर्ष से उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करके स्थायी पेड़ लगवा लिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार श्री राजकरन को उक्त भूमि से बेदखल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रसंगत गाटा सं० 446 पर श्री राजकरन पुत्र श्री बलदेव का अनाधिकार कब्जा नहीं पाया गया । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

स्वर्गीय श्री छत्रपाल सिंह संग्रह अमीन, तहसील लखनऊ की विधवा को पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी का भुगतान तथा मृतक के पुत्र का सेवायोजन

109—**श्री संत बख्श रावत**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री छत्रपालसिंह, संग्रह अमीन तहसील लखनऊ जनपद लखनऊ की दिनांक 30-7-1965 को वसूली से वापस आते समय बस-दुघटना में मृत्यु हो गई थी ? यदि हाँ, तो शासनादेश सं० जी-2-7-69/10-917-61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 जो 1 अप्रैल 1965 से प्रभावी है के आधार पर पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी की विधवा मु० कलावती देवी को कब तक प्रदान करेंगे ? और उनके बालिग पुत्रों में से एक पुत्र को कब तक सरकारी सेवा में ले लिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ ;

श्री सिंह की विधवा श्रीमती कलावती के पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु समस्त कागजात दिनांक 9 मई 1967 को जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजे गये थे । महालेखाकार ने अपने पत्र दिनाँक 11-9-67 द्वारा मृतक के परिवार को 1500 की ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए नई पारिवारिक पेंशन योजना नियमावली 1965 के अधीन संयुक्त विकल्प पत्र एवं बन्धन पत्र भेजते हुए अनुरोध किया था । मृतक के परिवार से संदर्भित संयुक्त विकल्प एवं अन्य पत्र दिनांक 1-1-68 को जिलाधिकारी लखनऊ कार्यालय में प्राप्त हुये जिसे दिनांक 4-1-68 को महालेखाकार को भेज दिया गया था । महालेखाकार ने संयुक्त विकल्प-पत्र एवं बन्ध पत्र को कालातीत घोषित करते हुए मृतक के परिवार को उक्त योजना के अन्तर्गत देय लाभ का अधिकारी नहीं माना । संयुक्त विकल्प एवं बंध पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब से छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव भेजने के लिये जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती सेवा नियमावली 1974 दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त होने के कारण मृतक का पुत्र सरकारी सेवा का पात्र नहीं है ।

झांसी तहसील में सूखा तथा अतिवृष्टि से प्रभावितों को आपदा तथा तकाबी आदि की धनराशि का वितरण

110—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में सूखा तथा अतिवृष्टि के अन्तर्गत झांसी तहसील में निर्धारित धन कितना खर्च किया गया है तथा उक्त धन पूरा व्यय न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद झांसी की तहसील झांसी में प्रश्नगत वर्ष में आबंटित रु० 1,00,000/- आपदा तकाबी की कुल धनराशि तहसील के सूखा एवं अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों में वितरित कर दी गई थी । इसके अतिरिक्त उक्त तहसील को अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान मद में आबंटित धनराशि क्रमशः 15,000/- तथा 12,500/- रु० में से कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति सहायता प्राप्ति की पात्रता की श्रेणी में नहीं पाया गया ।

उ० प्र० सरकार पर कुल ऋण का विवरण

111—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1981 को उ० प्र० सरकार पर अलग-अलग सूत्रों का कुल कितना कर्जा था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

31 मार्च, 1981 को राज्य सरकार पर कुल 3054.49 करोड़ रु० का ऋण था जिसका ब्यौरा निम्नवत है :—

	(करोड़ रु० में)
1. बाजार ऋण	382.58
2. भारत सरकार से ऋण	2519.04
3. स्वशामित निकायों से ऋण	152.87
योग—	3,054.49

सीतापुर जनपद के विकास खण्ड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया में अग्निकाण्डों से प्रभावितों तथा दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

112—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 82 से अक्तूबर, 82 के अन्त तक सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर के विकास खंड खैराबाद परसेंडी तथा ऐलिया में किन-किन व्यक्तियों के घर आग से जलने के कारण नष्ट हुए तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया में दिनाँक 1 जनवरी, 1982 से अक्टूबर 1982 तक 204 व्यक्तियों के घर अग्निकाण्डों से क्षतिग्रस्त हुए जिनकी सूची तथा उन्हें दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण संलग्न तालिका में अंकित हैं ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर)

जनपद सीतापुर में बाढ़ तथा जल भराव से मकानों को क्षति तथा अनुदान का विवरण

113—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर में वर्ष 1982 की वर्षा के मौसम में आई बाढ़ तथा जल भराव के कारण कुल कितने मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना तहसील सीतापुर के मुख्यालय में मिली तथा अक्तूबर, 82 तक कुल कितना गृह अनुदान बाँटा गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद सीतापुर में वर्ष 1982 की वर्षा के मौसम में आयी बाढ़ तथा जलभराव के कारण तहसील सदर में 2770 मकानों के पूर्ण रूप से तथा 45,742 मकानों के

आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। माह अक्टूबर तक गृह अनुदान वितरित नहीं किया गया था परन्तु माह नवम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक कुल रु० 1,83,000/- गृह अनुदान के रूप में वितरण किया गया।

श्री कृष्णचन्द्र, अवकाश प्राप्त बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी (२) को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

114—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 जनवरी, 1982 को शाहजहाँपुर से अवकाश प्राप्त बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी (2) श्री कृष्णचन्द्र को पेंशन ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान अब तक न होने का क्या कारण है ? कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्री कृष्ण चन्द्र दास दिनाँक 31-1-82 को बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 के पद से सेवा निवृत्ति हुए थे। श्री के०सी० दास की मूल सेवा पुस्तिका उनके सेवा काल में ही गायब हो जाने के कारण डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार कराई जा रही है। सेवा पुस्तिका में विभिन्न कार्यालयों को विशेष रूप से कर्मचारी भेजकर पुराने अभिलेखों से सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही एवं प्रविष्टि पूर्ण कराई जा रही है। श्री के०सी० दास को पेंशन फार्म का सेट इस अनुरोध के साथ दिनाँक 6-11-1981 को भेज दिया गया था कि वे अपने पेंशन कागजात पूर्ण करके अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दें। किन्तु अभी तक श्री दास ने पेंशन, कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस कारण इनकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी का निर्धारण नहीं हो पाया है। इस विषय में कार्यवाही श्री दास से पेंशन कागजात प्राप्त होने के बाद ही हो जायेगी।

भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान के सम्बन्ध में अन्तिम भुगतान का प्रार्थना पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनाँक 4-11-82 को भेज दिया गया है। महालेखाकार [फण्ड-34-अनुभाग] उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से भुगतान का अधिकार-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

115—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० की किस किस चीनी मिल पर विगत सीजन को मिला कर कुल कितना कितना रुपया गन्ना खरीद का किसानों का बकाया है तथा उसके दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश की विभिन्न वर्गों की चीनी मिलों पर दिनाँक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार 24.40 करोड़ रु० किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है (तालिका संलग्न)। बकाये का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—

अवधि	गन्ना मूल्य अवशेष (करोड़ रु० में)
1977-78 से पूर्व वर्षों का	2.02
1977-78	1.41
1978-79	0.65
1979-80	0.12
1980-81	0.18
1981-82	20.02

वर्ष 1981-82 से पूर्व वर्षों का अवशेष गन्ना मूल्य 4.38 करोड़ रु० है इसमें अधिकाँश धनराशि विवादग्रस्त है। वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है। बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धन-राशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी। खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण अधिकांश मिलों के कैश क्रेडिट लेखे में डैफिसिट हो गयी है और अब अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तभी सम्भव प्रतीत होता है जब जिन मिलों पर बकाया है उनको बाहर से वित्तीय सहायता दी जाय। प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं। भारत सरकार से प्रदेश सरकार को ऋण देने का अनुरोध किया गया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय।

(देखिए नत्थी "ड़" आगे पृष्ठ पर)

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में प्रभावित ग्रामों को प्रदान की गयी सहायता

116—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 81-82 की बाढ़ से प्रभावित गाँव मझरिया बिस्टौल, कठडर, कलानी और कटका तहसील सदर गोरखपुर के ग्रामीणों को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 की बाढ़ से प्रभावित ग्राम मंझरिया बिस्टौल में 76 परिवारों के 105 यूनिट पर 7 कुन्टल 87.5 किलो गेहूँ, 72 किलो नमक, 67-1/2 लीटर मिट्टी का तेल तथा 76 माचिस, ग्राम कठौतिया उर्फ कठउर में 29 परिवारों के 104 यूनिट को 29 किलो नमक, 14-1/2 लीटर मिट्टी का तेल तथा 29 माचिस, ग्राम कलानी बुजुर्ग में 320 परिवारों के 1934-1/2 यूनिट को 72 कुण्टल, 54 किलो गेहूँ, 50.5 किलो नमक, 5 लीटर मिट्टी का तेल तथा 199 माचिस और ग्राम कटका में 187 परिवारों में 27 कुंटल 90 किलो गेहूँ, 93.5 किलो नमक, 93-1/2 लीटर मिट्टी का तेल तथा 187 माचिस ग्रामीणों को सहायता प्रदान की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम कटका में 4 व्यक्तियों को रु० 400-00, ग्राम कलानी बुजुर्ग में 3 व्यक्तियों को रुपया 400-00 तथा ग्राम कलानी खुर्द में 5 व्यक्तियों को रुपया 900-00 इस प्रकार 12 व्यक्तियों को कुल रुपया 1700-00 गृह अनुदान वितरण किया गया है।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली गन्नों की पर्चियों पर मूल्य अंकित न होने का कारण

117—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों को दी जाने वाली गन्ना की पर्चियों पर सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य अंकित नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कारण क्या है और इस संबंध में शासन द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गौरी बाजार, जनपद देवरिया स्थित चीनी मिल के प्रबन्धक तथा गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री मैनुद्दीन अन्सारी के बीच हुआ समझौता

118 — **श्रीमती गौरी देवी** —

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गौरी बाजार जनपद देवरिया स्थित चीनी मिल के प्रबन्धक और गन्ना संघर्ष समिति गौरी बाजार देवरिया के अध्यक्ष मैनुद्दीन के बीच 25 नवम्बर तक गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने का कोई समझौता हुआ था ? यदि हाँ, तो बकाए की धनराशि क्या है और कितने धन का भुगतान किया जा चुका है और शेष धनराशि का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

कुंवर शिवनाथसिंह कुशवाहा—

चीनी मिल के प्रबन्धकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 अक्तूबर, 1982 को श्री मैनुद्दीन अन्सारी स्वयं अध्यक्ष तथा कथित गन्ना संघर्ष समिति ने पेराई सत्र 1981-82 के गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के प्रश्न पर गौरीबाजार फैक्ट्री के उच्च अधिकारियों का घेराव किया। स्थिति को बिगड़ने से बचाने हेतु विवशतः चीनी मिल द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान 25 नवम्बर, 1982 तक कर दिया जायेगा।

1981-82 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान किया जा चुका हैं।

वीर चक्र प्राप्त सूबेदार श्री चन्द्री चन्द, निवासी आमबाग, जिला नैनीताल को स्वीकृत भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए कार्यवाही

119—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वीर चक्र प्राप्त सूबेदार श्री चन्द्री चन्द, निवासी आमबाग, तहसील खटीमा, जनपद नैनीताल को तीन एकड़ भूमि ग्राम बिलहरी पो० ओ० चकरपुर तहसील खटीमा (नैनीताल) में सिलिंग की स्वीकृति की गई थी ? क्या इसका कब्जा उनको दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कब्जा शीघ्र दिलवायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वीर चक्र प्राप्त सूबेदार श्री चन्द्री चन्द निवासी आमबाग तहसील खटीमा जिला नैनीताल को 3-13 एकड़ सीलिंग भूमि का आबंटन ग्राम बिलहरी, तहसील खटीमा (नैनीताल) में किया गया था। उन्हें दिनांक 2-11-1982 को कब्जा दिया गया। किन्तु इससे वे सन्तुष्ट नहीं हुए। दिनांक 29-11-1982 को तहसीलदार खटीमा ने मौके पर पैमाइश कराई और कब्जा दिया। परन्तु श्री चन्द्रीचन्द ने कब्जा प्राप्त करने के हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।

जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि वह श्री चन्द्रीचन्द को नियमानुसार कब्जा दिला दें।

जनपद आजमगढ़ स्थित किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव में कृषकों को गन्ना आपूर्ति हेतु पर्चियों का वितरण

120 - **श्री दूधनाथ राजभर**—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद आजमगढ़ स्थित किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव में गन्ना पेराई के दौरान गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति हेतु पर्ची वितरण में भेदभाव किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो

क्या मंत्री जी इन तथ्यों की जांच कराकर संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं ।

वर्तमान पेराई सत्र में किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव को गन्ना पूर्ति हेतु पर्चियाँ विभागीय नीति के अनुसार किसानों से किये गये सट्टे के आधार पर बनाये गये कैलेन्डरों से जारी की जा रही है ।

पर्चियों के वितरण में भेदभाव के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं । अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है ।

किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव पर कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

121—**श्री दूधनाथ राजभर**—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में किसान सहकारी चीनी मिल सठियाँव में गत वर्षों में गन्ना किसानों का कितना पैसा दिनांक 16-12-1982 तक बकाया पड़ा है ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध करा दिए जाने के बावजूद भी उक्त चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा गन्ना मूल्य के बकाया धनराशि के भुगतान में आनाकानी की जा रही है ? क्या मंत्री जी इन विलम्ब के कारणों की जाँच कराकर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जनपद आजमगढ़ की किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव पर दिनांक 16-12-82 को गत वर्षों का कुल 12.26 लाख रुपया गन्ना मूल्य के मद में बकाया था । इस मिल को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 9.24 लाख रु० का ऋण दिया गया जिसमें से मिल ने 8.60 लाख रु० का भुगतान कृषकों को कर दिया है तथा शेष 64 हजार रु० को सम्बन्धित कृषकों के खाते में समायोजित कर दिया गया है । अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर की अनुमोदित जिला योजना

122—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या योजना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले की वित्तीय वर्ष 1982-83 की योजना शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? जिले की योजना एवं अनुश्रवण समिति जिसके जिले की सभी विधायक सदस्य हैं, द्वारा अपनी किस बैठक में जिला योजना 1982-83 की पुष्टि की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सीतापुर जनपद की 1982-83 की जिला योजना 621.80 लाख रु० की है । तत्कालीन मण्डलीय मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनाँक 22 अक्टूबर, 1981 को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जिला योजना अनुमोदित की गई ।

जनपद सीतापुर के बिसवां केन यूनियन में गन्ना ग्राम सेवक की नियुक्ति बिसवां सर्किल का सर्वे तथा खाद का वितरण

123—**श्री हरगोविन्द वर्मा**—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में बिसवां केन यूनियन में कितने गन्ना ग्राम सेवक हैं, कितने की कमी है और बिसवां सर्किल में किस समय से गन्ना ग्राम सेवक नहीं है ? बिसवाँ सर्किल का सर्वे किस प्रकार हुआ ? उस सर्किल के किसानों को खाद का वितरण हुआ ? यदि हाँ, तो कितनी खाद जुलाई, 1982 से नवम्बर 82 तक दी गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

जनपद सीतापुर के बिसवां केन यूनियन में 47 गन्ना ग्राम सेवक नियुक्त हैं। इस समय बिसवां केन यूनियन में गन्ना ग्राम सेवक की कमी नहीं है। बिसवां सर्किल चार परिक्षेत्रों में बंटी हुई है। श्री वीरेन्द्रकुमार दुबे गन्ना ग्राम सेवक के दिनांक 23-6-82 से निलम्बित होने पर उक्त क्षेत्र में कुछ दिन के लिये पद रिक्त रहा। बिसवां सर्किल के अन्य तीन परिक्षेत्रों का सर्वे सम्बन्धित गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा स्वयं किया गया और श्री वीरेन्द्रकुमार दुबे के रिक्त क्षेत्र का सर्वे सन्निकट सर्किलों के गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा सम्पादित कराया गया है। बिसवाँ सर्किल के किसानों को खाद का वितरण हुआ है। जुलाई 82 से नवम्बर 82 तक सम्पूर्ण सर्किल में 563 कुन्तल खाद वितरित की गई।

जनपद सीतापुर में विसवां केन यूनियन द्वारा कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान

124—**श्री हरगोबिन्द वर्मा**—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में विसवां केन यूनियन ने अभी कितना पैसा किसानों का 81-82 के सीजन का भुगतान नहीं किया और जो इस समय भुगतान कर रहे हैं उस भुगतान में क्या किसानों पर जो कर्जा जुलाई, अगस्त सितम्बर, 82 का चढ़ा हुआ है उसकी भी अदायगी पिछले भुगतान से यूनियन कर रही है और उस भुगतान पर किसानों का यूनियन 3 महीने के कर्जों पर साल पर का ब्याज लेकर शोषण कर रही है ? यदि हां, तो कितने किसान हैं जिनसे इस तरह का भुगतान किया गया है और कर्जा बसूल किया गया है ? और किस अधिकारी के आदेशों से वसूल किया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

विसवां केन यूनियन का सीजन 81-82 का लगभग 9.15 लाख रुपये का भुगतान कृषकों को करना शेष है, जो कृषकों द्वारा पैसा न उठाने के कारण पड़ा है इसके भुगतान का प्रयास जारी है।

किसानों द्वारा जुलाई, अगस्त, व सितम्बर अथवा इससे पूर्व में लिये गये कर्जे की डिमांड 1 नवम्बर को लगा दी जाती है। उसके उपरान्त जो भी पर्ची भुगतान हेतु प्रेषित की जाती है उससे ऋण की कटौती की जाती है। विसवां केन यूनियन की उप विधि के प्राविधानों के अनुसार ही ब्याज निर्धारित किया गया है।

विसवां समिति में कुल 497 कृषकों से गन्ना भुगतान की मद से तथाकथित कर्जा वसूली की गयी।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० विलासपुर (रामपुर) में कर्मचारियों की स्थायी व अस्थायी पदों पर नियुक्ति व दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी

125—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल, विलासपुर (रामपुर) में उस क्षमता की चीनी मिलों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित संख्या से कितने अधिक कर्मचारियों की क्रमशः स्थायी एवं अस्थायी पदों पर नियुक्ति है और पिछले पिराई सीजन में औसतन कितने व्यक्तियों को प्रतिदिन दैनिक मजदूरी पर रखा गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, विलासपुर (रामपुर) में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित संख्या से 17 स्थायी तथा 59 सामयिक स्थायी कर्मचारी अधिक कार्यरत हैं, तथा वर्ष 1981-82 में उक्त चीनी मिल में औसतन 114 व्यक्तियों को प्रतिदिन दैनिक मजदूरी पर रखा गया।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के कानपुर में स्थित दलहन निदेशालय को भूमि दिये जाने में उदासीनता बरते जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना :

[12 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें, सर्वश्री– लल्लू सिंह चौहान, कुंवर सिंह नेगी, राधे श्याम पटेल, दुर्गा प्रसाद मिश्र, फिरंगी प्रसाद विशारद, सत्य पाल सिंह, प्रदीप कुमार यादव, अकबर हुसैन एवं रियासत हुसैन, गौरी शंकर भैय्या की सूचनाएं 200 शब्दों से अधिक होने के कारण, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की दो विभागों से सम्बन्धित होने कारण, श्री सिकन्दर अली खां की सूचना में अविलम्बनीयता का अभाव होने के कारण, मैंने उक्त सभी को अस्वीकार कर दिया है। सर्वश्री, नरेश चन्द्र अग्रवाल एवं भूधर नारायन मिश्र, जटा शंकर सिंह, राजेन्द्र अग्निहोत्री, मुईद अहमद, राम आसरे वर्मा की सूचनाओं को-इन पांच सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है। शेष सूचनाएं भी अस्वीकृत हैं।

***श्री भूधर नारायन मिश्र**—

महोदय, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने कानपुर में एक दलहन निदेशालय 1970 में खोला था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में दलहन विकास का भी एक सूत्र है। इस कारण इस विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से दलहन विकास हेतु 100 एकड़ जमीन मांगी जिसकी कीमत भी कृषि मंत्रालय दे रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जमीन अभी तक नहीं उपलब्ध कराई जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को 400 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी। इस कारण यह निदेशालय उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश ले जाने के आदेश हो रहे हैं। कानपुर के मिलिट्री फार्म ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस हेतु 64 एकड़ जमीन देने को लिखा है।

सरकार के अधिकारियों की इस उदासीनता से वहां रोजगार पाने वाले लोगों में असंतोष पैदा होगा।

कृपया शासन को आदेश देकर तुरन्त जमीन उपलब्ध करा देवें जिससे कि प्रदेश का विकास एवं लोगों की रोजी बच सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

जनपद बहराइच के पकरिया दीवान तथा बाजपुर बनकटी ग्रामों में हुए अग्निकांड से जान-धन को क्षति तथा समुचित सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तंगत सूचना

***श्री जटाशंकर सिंह –**

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के गांव पकरिया दीवान तथा वाजपुर वनकटी नामक ग्रामों में इसी सप्ताह भीषण अग्निकांड हो गया। पकरिया दीवान में अग्निकांड के फलस्वरूप 2 बच्चे तथा 20 पशु जलकर भस्म हो गये। 70 घर भी स्वाहा हुए। इसी प्रकार वनकटी में 2 पशु मरे तथा 42 घर जल कर भस्म हो गये। कुल मिलाकर 2 बच्चे तथा 22 पशुओं के मरने एवं 112 घरों के जलने की सूचना है। घर में रखी नकदी तथा गल्ला भी जल गया। मात्र 100-100 रुपया सहायता मिली है जोकि ऊंट के मुंह में जीरा है।

शासन से मांग है कि प्रत्येक परिवार की समुचित सहायता तथा लकड़ी व फूंस दी जाय जिससे कि वह घर बनवा कर अपना गुजर बसर कर सकें।

राशन का भी प्रबन्ध हो। पशुओं के मरने से हुई क्षति की भी कृपया पूर्ति की जाये।

झांसी के रायगंज मुहल्ले में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तंगत सूचना

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री –**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अतिलोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। झांसी नगर के बहुत बड़े मुहल्ले रायगंज में पेयजल का संकट दो दिन से पैदा हो गया है। पेयजल के अभाव में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस क्षेत्र में जायसवाल की प्राइवेट कम्पनी के द्वारा पेयजल की लाइन डालकर पेयजल का वितरण किया जाता था। जल निगम की इस क्षेत्र में कोई पेयजल की लाइन नहीं है। शासन की मूल-निर्धारित जल मूल्य से तिगुना पैसा उक्त कम्पनी प्राप्त करने के बाद भी वितरण बन्द कर दिया है। अन्य कोई प्रबन्ध न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता पानी की खोज में इधर उधर घूम रही है। अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है।

अत: मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि—

शासन पेयजल की लाइन बिछाये और तुरन्त पेयजल का संपूर्ण प्रबन्ध अपने हाथ में ले। तथा लोगों को पानीं प्राप्त हो सके इसकी तत्काल व्यवस्था की जाय।

सुल्तानपुर कोसी वर्ग का नगर बनवाने की मांग के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मुईद अहमद—**

मान्यवर नियम 301 के अन्तर्गत इस अत्यंत आवश्यक प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

राज्य कर्मचारी महासंघ, सुल्तानपुर का अनशन जिलाधिकारी सुल्तानपुर के कार्यालय के समक्ष-16-2-1983 से अनवरत चल रहा है, जो अभी तक संघ के पदाधिकारियों द्वारा जारी है। जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरने व अनशन से कर्मचारियों व जनता में उत्तेजना बढ़ रही है। कर्मचारियों की माँग है कि नगरपालिका

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीमा का बढ़ाया जाना शासन में वर्षों से विचाराधीन है। नगरपालिका की सीमा बढ़ाये जाने हेतु जिलाधीश ने भी संस्तुति भेजी है। 1980-81 की जनगणना के आधार पर नगर की आबादी 48,887 दर्शायी गयी है जबकि स्थिति विपरीत है। वास्तव में नगर-पालिका की आबादी 50000 से अनधिक है जिलापूर्ति कार्यालय के अनुसार 57000 यूनिटों के राशनकार्ड हैं। जनसंख्या वृद्धि 3-5 प्रतिशत के आधार से सुल्तानपुर की आबादी 50000 से ऊपर निश्चित है। नगरपालिका की सीमा जिलाधीश की संस्तुति के अनुसार बढ़ाई जाय जैसा कि जनता व राज्य कर्मचारियों की माँग है। नगर सुल्तानपुर को सी क्लास में घोषित किया जाय।

मगरवारा (उन्नाव) स्थित रेलीज इण्डिया केमिकल्स के दो सुरक्षा गार्डों की रहस्यात्मक मृत्यु, के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री राम आसरे वर्मा**—

उन्नाव की मगरवारा स्थित रेलीज इण्डिया केमिकल्स के दो सुरक्षा गार्ड 23 फरवरी, 83 को अपने आवास कक्ष में संदिग्ध अवस्था में मृत पाये गये। सरजू प्रसाद एवं राजेन्द्र प्रसाद नामक दोनों सुरक्षा गार्ड सगे भाई थे। काम से छुट्टी पाने के बाद अपने क्वार्टर में एक ही चारपाई पर दोनों भाई मरे पाये गये बताया यह गया कि कोयले की अंगीठी जलती रहने के कारण उत्पन्न गैस से घुटकर उनकी मृत्यु हुई जबकि दोनों गार्डों के पिता का स्पष्ट कथन है कि उन्होंने अंगीठी का कोई प्रयोग नहीं किया तथा जनपद हरदोई के थाना मल्लावा द्वारा उसे सूचना दी गयी थी कि उसके पुत्र बीमार है यही नहीं बल्कि जिस कमरे में वे मृत पाये गये उसकी खिड़कियाँ खुली थी और कथित अंगीठी में राख या कोयले के कोई अवशेष नहीं मिले।

इस घटना से कर्मचारियों एवं जनसाधारण में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है!

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए माँग करता हूँ कि रहस्य पर से पर्दा हटाकर मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय!

कतिपय सदस्यों द्वारा अपनी नियम 301 की सूचनाओं को पढ़े जाने का प्रयास

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा इतना महत्वपूर्ण था।

श्री अध्यक्ष—

माता प्रसाद जी, आप मेरे कक्ष में आये मैंने आपके पूरे मामले को देखने के बाद निर्णय लिया है मैं आपको सन्तुष्ट कर दूंगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जिला गोरखपुर में थाना कैम्पियर-गंज के लक्ष्मीपुर में हजारों पेड़ कट रहे है। मान्यवर, उद्योग मंत्री जी वहाँ पर 301 की जगह 302 कराने वाले हैं! वहाँ का दरोगा डी०एम०, एस०डी०एम० के आदेशों को नहीं मान रहा है।....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, यहाँ पर बहुत मच्छर हो गये हैं इसको कार्यवाही के लिये भिजवा दें ।....

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आप बैठें ।

श्री चन्द्रवली ब्रह्मचारी—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ मैं एक अत्यन्त आवश्यक बात के लिये आपके माध्यम से पूरे सदन के सदस्यों से कह रहा हूँ 26 फरवरी को दीपनारायण और दुर्गा प्रसाद ने मेरे विद्यालय के लिये 301 की सूचना दी थी । इससे पहले....

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बोल क्यों रहे हैं ?

श्री ब्रह्मचारी—

इनका लड़का था एक उसकी भर्ती नहीं हुई थी इसलिए उन्होंने विद्यालय के खिलाफ जो बयान दिया है...

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात को मैंने सुन लिया हैं, यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

[व्यवधान]

बैठें आप । क्यों खड़े हैं ? आप लोग भी बैठें । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । ब्रह्मचारी जी, आप भी बैठें । दीप नारायण जी, मैं आप को भी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

[व्यवधान]

मैं इस तरह की टीका-टिप्पणी सुनने को तैयार नहीं हूँ । बैठें आप लोग ।

दिनांक 28 फरवरी, 1983 को सचिवालय अनेकसी काण्ड पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कही गयी बातों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*** श्री राम आसरे वर्मा**—

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न को उठाने के लिए अनुमति के सिलसिले में लिखा कर भेजा था । 28 फरवरी को इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एनेक्सी काण्ड के संबंध में वक्तव्य दिया था और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि दो तरह की जाचें चल रही हैं—एक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा और दूसरी न्यायिक जांच । इन दोनों जांचों की घोषणा के बाद कर्मचारियों को निलम्बित और सेवा मुक्त करने की कार्यवाही की गयी । यह भी मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि यह कार्यवाही प्राइमाफेसी स्टैब्लिश होने के बाद की गई । तो प्राइमाफेसी स्टैब्लिश होने के लिए जिन एजेंसियों से जाँच चल रही है उनकी कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, उसको मंत्री जी ने नही बताया । मेरा स्पष्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

दावा है कि वह रिपोर्ट आयी ही नहीं और बिना किसी रिपोर्ट के कर्मचारियों को निलम्बित और सेवा मुक्त कर दिया गया। विभागीय जाँच हो सकती थी और उसके अनुसार प्राइमाफेसी स्टैब्लिश हो गई और यह कार्यवाही की गई। जब न्यायिक जाँच और अपराध अनुसंधान शाखा से जाँच चल रही है तो इस विभागीय कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है और अगर विभागीय कार्यवाही के आधार पर कोई कार्यवाही की जानी थी तो कम से कम यह पहले की जानी थी न्यायिक जांच की घोषणा के बाद नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप का औचित्य का प्रश्न क्या है ? आप तो विस्तार में जा रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी ने कह दिया था कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अभी 24 फरवरी को 2 कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे और 26 को जेल भेज दिये गये, बड़ी दर्दनाक स्थिति में, हथकड़ी लगाकर ले जाया गया उन्हें...

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

18 तारीख को यहाँ पर सचिवालय में कमचारियों ने लन्च का वहिष्कार किया, क्षेत्रों में तमाम दूकानें बन्द रहीं उनके समर्थन में। आज जानकारी आयी है कि जल्दी ही मुख्य मंत्री के आवास पर कर्मचारियों का...

श्री अध्यक्ष—

जो मंत्री जी ने कहा था, वर्मा जी आप बतायें....

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं आपसे व्यवस्था इस बात पर चाहता हूँ कि जो वक्तव्य दिया था वह तथ्यों से परे था, तथ्य कुछ और थे, और मंत्री जी ने तथ्य कुछ और दिये, तथ्यों से परे जाकर मदन को गुमराह किया। इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

***संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)**—

मान्यवर, उस दिन जो कुछ मैंने कहा वह तथ्यों से अलग नहीं था। एक बात पर जोर दिया था कि अगर चार्जशीट दी गयी है, उनका जवाब, जिन को दी गई है, कर्मचारियों और गार्डों को अगर 14 दिन के अन्दर दे देते हैं तो सारी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र, 14 दिन के अन्दर पूरी करवा देंगे जिस तिथि से उन उनकी चार्जशीट का जवाब होगा। यही बात जब दुबारा कही गयी 28-2 को तब भी यही चीजें मैंने दोहराई थीं। आप मेरा भाषण देखें, मेरे सामने भी उसकी एक प्रतिलिपि रखी है, कोई बात ऐसी नहीं थी जो तथ्यों से परे हो, गलत हो। मैंने जो उस दिन कहा था वही 28 तारीख को कहा गया। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। जो फैक्ट थे वही बात कही। पहले कही गयी बात को दोहराने की बात थी। इसमें औचित्य का प्रश्न कहाँ बन जाता है, नियम 300 में संविधान के किस अनुच्छेद का वाइलशन हो रहा है, यह मा० सदस्य से पूँछ लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, स्पष्टीकरण मैं इस पर जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार्जशीट दे दी गयी। चार्जशीट का जबाब आयेगा उसके 15 दिन के अन्दर कार्यवाही कर दी जायेगी। प्रश्न यह उठता है कि जब विभागीय जाँच नहीं हुई, न्यायिक जांच चल रही है और अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जाँच चल रही है, इन जांचों की कोई अंतरिम रिपोर्ट आई नहीं, चार्जेज लगे नहीं, तो जबाब किसका आयेगा। चार्जशीट का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता जबतक कि न्यायिक जाँच और अपराध अनुसंधान शाखा की जाँच की कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आ जाती। माननीय मंत्री जी यह बताते हैं कि प्राइमाफेसी केस रिपोर्ट के आधार पर स्थापित हुआ था। आरोप नहीं लगे, सामान्य स्थिति कायम हो गयी। 8 मार्च को मुख्य मंत्री के आवास पर धरना देने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी इतने उत्तेजित हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप औचित्य पर बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मुख्य मंत्री जी से मान्यवर, जिन कर्मचारियों की बात हुई, उनसे उन्होंने कहा कि वह तहे दिल से समस्या का हल करना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि नौकरशाही ऐसी है कि अगर शासन की ओर से कोई प्रस्ताव समझौतावादी निकलता है तो उसमें उलझन पैदा कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। इतनी देर हो गयी आप और बातें कह रहे हैं। आप औचित्य के प्रश्न को कहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

इन तीन चीजों का जबाब आया ही नहीं।

[व्यवधान]

श्री अम्मार रिजवी—

जब मैंने वक्तव्य दिया था उस समय भी मैंने कहा था। प्राइमाफेसी केस जिसके खिलाफ हुआ चार्जशीट दे दी गयी। अगर इन्क्वायरी सी.आई.डी द्वारा हो रही है, कोर्ट से हो रही है तो भी डिपार्टमेंटल ऐक्शन हो सकता है, इसमें रोक नहीं है। डिपार्टमेंटल ऐक्शन के तहत यह कार्यवाही की गयी। इसमें विरोधाभास नहीं है। मैंने उस दिन भी अनुरोध किया था कि आप जबाब शीघ्र दिला दें। हमें पूरी हमदर्दी है राज्य कर्मचारियों से। मैंने समय निश्चित कर दिया था। राम आसरे जी 15 दिन कह रहे हैं, एक दिन बढ़ा दिया उन्होंने। मैंने 14 दिन कहा था। निश्चित समय के अन्दर सारी कार्यवाही कर दी जायेगी। इसमें कोई औचित्य की बात नहीं बनती।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मा. वर्मा जी के औचित्य के प्रश्न को जो उन्होंने लिखकर दिया और सदन में कहा, ध्यान से पढ़ा और सुना। उसके बाद मा. संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसको भी सुना। दोनों को देखने और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है और इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूँ।

दिनांक 3 मार्च 1981 को कानपुर के मगरासा ग्राम में एक ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या किये जाने से सम्बन्धित चर्चा को निर्धारित समय से पूर्व समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकमसिंह--

मान्यवर, आपके आदेशों, निर्देशों में और आपमें पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हुये यह व्यवस्था का प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं। आपको जानकारी होगी कि डेढ़ घंटे की चर्चा कानपुर हत्याकांड पर निश्चित थी। कार्य सूची में भी डेढ़ घंटे का समय दिया गया था।....और जब माननीय नेता सदन में बोलने को खड़े हुए थे मेरे समेत और बहुत से साथी बोलना चाहते थे। जहां तक मुझे जानकारी है कि मान्यवर, आपने आश्वासन भी दिया था कि माननीय नेता सदन के बाद बोलने का अवसर दिया जायेगा बाकी सदस्यों को। मान्यवर, माननीय नेता सदन ने डेढ़ घण्टे की अवधि होने से पहले ही अपना भाषण समाप्त कर दिया था। इस पर मैं आपकी व्यबस्था चाहता हूं कि यदि डेढ़ घण्टे की चर्चा न हुई है तो। इस प्रकार डेढ़ घण्टे की चर्चा में माननीय सदस्य जो भाग लेना चाहते थे, उससे वँचित रह गये। मान्यवर, उसमें एक नियम है—नियम 113। इस नियम 113 के अंतर्गत किसी वार्ता के समाप्त करने के किसी भी स्टेज पर प्रस्ताव आ सकता है किसी सदस्य की ओर से और वह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है तो क्या बिना विवाद के या चर्चा के समाप्त पर प्रस्ताव आये बिना कोई प्रश्न उपस्थित करके उस विवाद को समाप्त किया जा सकता है। इस पर मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी यह प्रश्न मौखिक रूप से उठाया था क्योंकि मान्यवर, हम सब नियम से बन्धे हुए हैं चाहे वे माननीय नेता सदन हों और चाहे माननीय अध्यक्ष हों और चाहे अन्य माननीय सदस्यों को, हमें नियमों का पालन करना है। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो इस सदन का कार्य सुचारू रूप से चलना असम्भव हो जायेगा। मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। नियम का उल्लंघन उल्लंघन है चाहे वह अध्यक्ष पीठ से होता हो और चाहे किसी माननीय सदस्य से होता है उल्लंघन उल्लंघन है। अतएव इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो आपकी आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है। इसी वजह से हम सबने आपको इस सर्वोच्च स्थान पर बिठाया है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस सदन की जो भी कार्यवाही चलती है वह नियमों, भारत का संविधान और अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर दिये गये पूर्व दृष्टान्तों पर चलती है। मान्यवर, जब चर्चा हो रही होती है तो आपको नियम 311 व 313 में आवश्यक शक्तियाँ भी दी गयी हैं और वह भी किसी विवेक पर दी गई हैं। मैं नियम 54 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया आप नियम 54 को देखें। आपने कहा था कि चर्चा नियम 51 के तहत हो रही है। नियम 52 के तहत चर्चा कैसे समाप्त हो, वह हमारे नियम 54 में दिया गया है। मान्यवर आप भी उसे देखें आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ रहा हूँ —

सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुनः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री का अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जब कल माननीय श्री देहलवी जी ने चर्चा समाप्त की थी तो उसके बाद तत्काल मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं अन्त में बोलता। माननीय मुख्य मंत्री जी नियमों के ज्ञाता हैं। नियम में यह है कि जो मूव करेगा वही उत्तर भी देगा। माननीय गुलाब सेहरा जी खड़े हुए बोलने के लिये तब माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए। माननीय अध्यक्ष जी आपको स्मरण होगा आपने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण दे देंगे उससे तमाम सदस्यों को फायदा होगा, ताकि चर्चा आगे बढ़ सके। यह आपका इरादा था चर्चा को आगे बढ़ाने का, ताकि उसे समाप्त कर दें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ, वे नियमों में पारंगत हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल को अधिकार है कि वह किसी भी समय बोल सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर अपने विवेक का रिप्लाई देने के लिये खड़े नहीं हुए थे। आपको इस बात का एहसास होगा, मैं इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। 2 माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं उसके लिये वे बार-बार खड़े हुए। मान्यवर, हम नियमों के अन्दर बंधे हुए हैं.....लेकिन उसका भी नियम है। उस नियम का उल्लेख मा० हुकम सिंह जी ने किया कि यदि कोई मा० सदस्य क्लोजर मूव कर दे, लेकिन क्लोजर मूव नहीं हुआ। आपको इस सम्बन्ध में असीमित अधिकार हैं, लेकिन जहाँ तक नियमों का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मा० संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों और नियमों का हवाला दें। इस सम्बन्ध में नियम 311 और नियम 313 हैं। नियम 311 नियमों के निलम्बन के सम्बन्ध में हैं। किसी समय कोई भी कार्यवाही चल रही हो, यह हाउस अपने रूल्स का मास्टर है। यह हो सकता था कि बिना देहलवी जी के उत्तर दिये चर्चा खत्म की जा सकती थी लेकिन नियम 311 में यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जायगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

इस प्रकार,यह सम्भव था, निलम्बित करने का प्रस्ताव आ सकता था, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे, अगर वह समझते थे कि अभी सरकार की कलई ज्यादा न खुले, तो वह ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे। हम चाहे कितनी भी जोर से "नहीं" कहते लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि बहुमत इनका है, इनकी ही बात मानी जाती लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। फिर एक अधिकार नियम 313 में दिया हुआ है। इसमें है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसाकि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें। इसके अतिरिक्त, पूर्व निर्णयों का हवाला देना चाहता हूँ। सभी रूलिंग्स में है कि सदन के मत को व्यक्त करना सदन की पावर्स में है, अध्यक्ष स्वयं कोई व्यवस्था नहीं दे सकते। आपको किसी विवाद का भाग नहीं बनना चाहिए। क्या यह शोभनीय होता कि आप कोई प्रस्ताव पेश करें और हम "नहीं" कहें। प्रतिपक्ष के सभी सदस्य ऐसे हैं जो आपकी इच्छा के खिलाफ आचरण नहीं करेंगे। जब आपने प्रस्ताव पेश कर दिया तो आपके सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा की आवाज को दबाते हुए, हम लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया। आपका जब कोई प्रस्ताव हो जाय तो "हाँ" या "नहीं" का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार आपने प्रस्ताव पेश किया, हमारी मजबूरी थी, हम "नहीं" नहीं कह सकते थे। एक और नियमों में व्यवस्था है कि किसी मौके पर कोई प्रश्न पैदा हो जाय, उस समय सदन को आप स्थगित कर सकते हैं लेकिन एक निश्चित समय के लिये। तो अवरोध की कोई स्थिति नहीं थी, शान्ति और व्यवस्था की भी कोई स्थिति नहीं थी।

दिनांक 3 मार्च 1981 को कानपुर के भगरासा ग्राम में एक ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या किये जाने से सम्बन्धित चर्चा को निर्धारित समय से पूर्व समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा से नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, कि इस प्रकार से करके संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व ढंग से नियमों की धज्जियां उड़ायी गयी हैं। अनेकों जानकारियां मा० सदस्यों के पास थीं, वे अपने विचार व्यक्त करने से वंचित रह गये, सरकार को उत्तर देना था, वह भी नहीं दिया जा सका। इसके साथ ही मेरी प्रार्थना है कि जो अपने औचित्य के प्रश्न में मा० हुकम सिंह जी ने दिया है, कल की जो चर्चा थी, उस पर पुनः विचार करें, जिससे नियमों की धज्जियां न उड़ें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मा० हुकम सिंह जी की बात को और मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की बात को ध्यानपूर्वक सुना। यह बात सही है कि जब चर्चा का विषय हो तो जहां तक नियम 54 का सम्बन्ध है, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जब मा० देहलवी जी ने अपना भाषण प्रारम्भ किया, बहुत देर तक अपनी बात कहते रहे, और कहने के बाद जब उन्होंने समाप्त किया तो मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि जिन तथ्यों को पहले कहा जा चुका है, उन्हीं तथ्यों और बातों को फिर बार-बार दोहराया जा रहा है और कोई नयी बात या नये विचार नहीं आ रहे हैं, जिससे सिचुवेशन में कोई नयी चीज नहीं पैदा हो पा रही है, इन्हीं सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ही मैंने हाऊस को एडजोर्न किया और नियम 54 के लिए जैसा आपने कहा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। नियम इसीलिए होते हैं, कि उनका पालन किया जाय, इन नियमों में जहाँ कुछ आपके अधिकार हैं वहीं पर कुछ अध्यक्ष के लिए भी अधिकार हैं, इसलिए नियम 314 को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष जो करे, उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जब हाऊस में कोई नयी बातें नहीं आ रही थी और केवल 15 या 20 मिनट का समय निर्धारित समय से रह गया था, इसलिए मैंने उसे समाप्त कर दिया। भविष्य के लिए हम लोग आपस में यह तय कर लें कि अब ऐसी चीज दुबारा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव विधान सभा—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 जो विधान सभा द्वारा 25 फरवरी, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 3 मार्च, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982

सचिव विधान सभा—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 मार्च 1982 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का अठ्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (1982-83) का प्रतिवेदन*

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1982-83) का प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट 1979-80 (सिविल) में उल्लिखित अनुदानों * प्रभारित विनियोगों में न्यायाधिक्यों से सम्बन्धित प्रस्तर संख्या 2.2 पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में समिति ने अनुदानों/प्रभारित विनियोगों में हो रहे व्ययाधिक्यों [विशेषकर सिंचाई विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में हुए 91 करोड़ तथा 58 करोड़ की व्ययाधिक्य की धनराशि] की प्रवृत्ति पर चिन्ता एवं असंतोष व्यक्त करते हुए अनियमित्ता को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने का सुझाव देते हुए उल्लिखित वर्षों में हुए व्ययाधिक्यों को विनियमित करने की संस्तुति की है।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री राम आसरे वर्मा –

एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, मैंने आपको लिख कर दे दिया था। मेरा निवेदन है कि माननीय विधायकों की सुविधा के लिये—

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको इसे उठाने की सुविधा नहीं दी है। आप मुझसे बात कर लें। हम इससे बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। सदन के चलने की वजह से रात में देर हो जाती है और फिर सुबह जल्दी रहती है जिसके कारण हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है और हम इस पर कंसेन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। यह सचिवालय से सम्बन्धित मामला है इसलिये मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ। इसको देखने के बाद मैं निर्णय लूंगा। यह हम सब लोगों की जानकारी में है।

मुजफ्फरनगर के ग्राम हुन्डू खेड़ा तथा हरसोपुर के दो मन्दिरों पर कथित हमला और 4 व्यक्तियों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा—)

प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 6/7-2-1983 की रात्रि के लगभग 10 बजे 15-16 अज्ञात अपराधियों ने श्री रघुवीर धोबी, निवासी डुन्डूखेड़ा को उनके ट्यूबवेल में बन्द कर दिया। सभी अभियुक्तों ने गांव डुन्डूखेड़ा में बने मन्दिर पर आकर बाबा जमनादास को भी मारा-पीटा। जबरदस्ती उनके एम्पलीफायर को लूटा व तोड़ा। डकैतों ने मन्दिर के सामने सर्वश्री कासिम व मन्जूरा के मकानों में घुसकर मारपीट कर सामान लूटा। इसके बाद डकैतों ने ग्राम इस्सोपुर टील पर निर्जन में बने मन्दिर में जाकर बाबा महेश गिरी, पुजारी की हत्या कर दी और उनका त्रिशूल उठा ले गये। तत्पश्चात एक रहट के मालिक श्री फूल सिंह को मारा-पीटा तथा उनको तथा उनके पिता श्री मलखान को रस्सी से बाँधकर छोड़ दिया। श्री प्रीतम को रस्सी से बाँधकर ग्राम इस्सोपुर टील तक ले गए और प्रीतम के बताने पर डकैतलाला परमानन्द के मकान में घुस गये। प्रीतम मौका पाकर जंगल की ओर भाग गया। लाला परमानन्द के दरवाजे के बाहर गली में

---

*छापा नहीं गया।

पहरा दे रहे तीन लोगों को अपराधियों ने मारा-पीटा। उक्त लाला के घर में रहने वाले तीन परिवारों से भी मारपीट की, सामान लूटा और लाला की पत्नी, पुत्री व अन्य को भी मारा-पीटा।

उक्त घटना की सूचना दिनांक 7-2-1983 की प्रात: 5-40 पर श्री परमानन्द द्वारा थाना कांधला पर अंकित करायी गयी। इस संबंध में धारा 396 भा०दं०वि के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। वादी की पत्नी व एक पहरे वाले की अस्पताल जाते हुए मृत्यु हो गई। एक अन्य पहरेदार सदर अस्पताल, मुजफ्फरनगर में उसी दिन मर गया। अपराध की विवेचना के दौरान गवाहों के बयानात व घटनास्थल के निरीक्षण आदि से प्रश्नगत घटना खानाबदोशों के गिरोह द्वारा किया जाना प्रतीत हुआ। अपराधियों तथा उनके डेरों की तलाश की गई। दिनांक 12-2-83 को थाना कांधला की पुलिस द्वारा 7 अभियुक्तों को घटना की लूट के माल सहित बन्दी बनाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने घटना का इकबाल करते हुए अपने अन्य पांच साथियों को अपने साथ घटनाओं में शरीक होना तथा उनका दिल्ली की ओर जाना बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों को वापस जेल भेजा गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और विवेचना प्रचलित है।

क्षेत्र में शांति है और जनजीवन सामान्य है।

***श्री हुकम सिंह**—

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में हमारे साथी विधायक श्री वीरेन्द्र सिंह ने एक प्रश्न दिया था, मैं इसके संबंध में माननीय मन्त्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस घटना में जिन लोगों को चोटें लगी हैं और जो लोग मारे गए हैं वे लोग अत्यन्त ही गरीब आदमी हैं। इसमें एक धोबी रघुवीर है, इसके अलावा कासिम और मंजूरा भी मजदूर किस्म के आदमी हैं, पुजारी को भी मार दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को आघात लगे हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि उनको तुरन्त आर्थिक सहायता दी जाय। इसके साथ ही जो चुटैल व्यक्ति कांधला अस्पताल में आये, इसके बारे में मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि वहां के डाक्टर गुप्ता ने लापरवाही बरती और उन्हीं की निगलीजेन्स के कारण जिसमें से किसी की उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं दी, जिसके कारण लोगों की जानें गयीं। उस डाक्टर की निगलीजेन्स के कारण इतनी जानें गयी हैं गरीबों की। तो क्या मंत्री जी आप उस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जहां तक आर्थिक सहायता देने की बात है, वाकई यदि वे लोग गरीब हैं तो प्रार्थना पत्र दे दें, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री हुकम सिंह—

क्या मरे हुए लोग प्रार्थना पत्र दे दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

नहीं, उनके घर वाले दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा—

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, मैं उसकी जाँच करा लूँगा कि डाक्टर ने लापरवाही क्यों करती ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मायन्वर बड़ा आश्चर्य हुआ और यह विश्वास करना पड़ता है कि हरिजनों के खिलाफ इस सरकार का क्या रवैया है, जिनकी अपनी गलती नहीं थी, उनमें धोबी है और अन्य हरिजन हैं, तो क्या उनके आश्रितों को दरख्वास्त देने आना पड़ेगा ? क्या जो मरे उनके घर वाले दरख्वास्त देंगे, यदि नहीं तो क्या आप उनके घर के लोगों को आर्थिक सहायता देगें ? शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी इस शासन की है । वह लोग शासन की विफलता के कारण मरे हैं । इसलिए सरकार उनके आश्रितों को पर्याप्त सहायता देगी या नहीं और नहीं तो क्यों नहीं देगी ? शासन ने घोषणा की है कि जो उपासना का स्थान है,वह टूटा है तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? मन्दिर तोड़ा फोड़ा गया, उसका बुर्ज टूट गया जो मूर्ति थी वह खण्डित हो गयी, जो वहां का महंत था उसकी बोटी बोटी काटी गयी, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस मन्दिर की मरम्मत करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने हरिजनों के उत्पीड़न की बात कही, जिला हरिजन अधिकारी के यहां से हमारे पास आता है, जब हरिजन उत्पीड़न किया जाता है । मान्यवर, इसमें कौन हरिजन है, आप बता दें, जो मरने वाले हैं वह हरिजन नहीं हैं...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

धोबी हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

धोबी मरा नहीं है । तो इसमें हरिजन उत्पीड़न की बात आती नहीं है । मैंने कहा कि उनको आर्थिक सहायता दे दी जायेगी कौन उसका वारिस है, वह अपना प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के पास भेजा दें, मैं जिलाधिकारी के पास भेज दूंगा कि वह उनको आर्थिक सहायता के लिए संस्तुत कर दें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय मंत्री जी के उत्तर का पहला पैरा जो है उसको आप देखें तो ज्ञात होता है कि अपराधियों का दल एक रात्रि में लगातार 7 अपराध किए हैं । जिस इलाके में यह अपराध हुआ, उसमें पुलिस का कोई प्रशासन ही नहीं है । 396 की धारा सबसे संगीन धारा है । मान्यवर, 7 अपराध हुए । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस कानिस्टेबिल का दस्ता भेजा जाता है तो क्या उस दिन वह वहां पर गया था ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी उस थानाध्यक्ष और कानिस्टेबिल्स के खिलाफ कौन सी कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

एक जगह नहीं गये । कहाँ कहाँ पर गये इसकी सूचना मंगानी पड़ेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा पहले मैंने पूछा था कि मन्दिर की टूट-फूट हुई है तो उसकी मरम्मत न कराने का क्या कारण है, श्रीमन जमुना दास को केवल मारा पीटा ही नहीं गया है, मन्जूर के परिवार के एक व्यक्ति की आंख निकाल ली गयी है। इसलिए मैं माफ जानना चाहता हूँ कि घायल लोगों को सहायता दी जायेगी अथवा नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

उन लोगों ने जो हमला किया और एम्पलीफायर को तोड़ा और मंदिर और दूसरी चीजों का जो नुकसान हुआ है उसका ब्योरा नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह—

मान्यवर यह क्षेत्र हरियाना प्रदेश से मिला हुआ। यह पहली घटना नहीं है। डेढ़-दो वर्ष पहले भी इसी तरह की घटना यहाँ पर हो चुकी है। यह क्षेत्र मेरे क्षेत्र से 4 किलो मीटर की दूरी पर है। दो आदमियों के घर डकैती डाली और मिट्टी का तेल छिड़का गया। ये लोग खानाबदोश हैं। जो ये वारदात हुई हैं यह थाना कांघला से 14 किलो मीटर दूर हुई हैं। वहां पर नजदीक में कोई पुलिस चौकी नहीं है। मैं मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर एक पुलिस चौकी स्थापित करने पर विचार करेगी जिससे भविष्य में वहां पर इस तरह के अपराधों को रोका जा सके।

श्री गुलाब सेहरा -

मान्यवर, आप वक्तव्त को देखें। यह घटना 6-7 तारीख को हुई और 12 तारीख को इन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। प्रश्न यह है कि ये डकैत नहीं थे। महेश गिरि ने एक भंडारा किया था उसमें ये खानाबदोश भी आ गये थे। ये लोग अलग रहते हैं, तम्बू लगाकर टाउन से बाहर रहते हैं। उन्होंने इस भंडारे में शरीक होना चाहा। जब उनको हटाया गया तो उन्होंने महेश गिरि से बदला लेने का सामूहिक रूप से प्रयास किया।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि ऐसी जगह पर जहां पर दो प्रान्तों का सवाल है अपराधी इधर से उधर आते जाते रहते हैं। इसलिये क्या आप वहां पर कोई पुलिस चौकी स्थापित करने पर विचार करेगें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जब कोई थाना या पुलिस चौकी बनायी जाती है तो उसका सर्वे होता है। अगर जिले की ओर से इसके लिये कोई संस्तुति की गई होगी तो अवश्य उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, जो लोग इस घटना में मरे हैं उनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस गरीब आदमी का कमाने वाला मर जाता है तो उसको अविलम्ब आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए इसलिये माननीय मंत्री जी अविलम्ब पहले उन्हें सहायता पहुंचाने की कृपा करेगें। दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा और जैसा कि माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि वहां पर कोई पुलिस चौकी स्थापित

[श्री किरन पाल सिंह—]

करने की कृपा करेंगे ? मैं यह भी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना की रिपोर्ट किसी सिविल के आदमी ने दर्ज करायी या पुलिस अपने आप मौके पर वहां पहुंची ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस घटना की रिपोर्ट परमानन्द ने लिखाई थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक जानकारी चाही थी कि क्या मंदिर भी उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है तो मंत्री जी ने वक्तव्य का हवाला देते हुये उस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया । मैं बहस में नहीं जाना चाहता लेकिन मेरी जानकारी भी सही है । मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि आप जिलाधिकारी को आदेश करदें कि वह फिर से स्वतः मौके पर जांय । जिस तरह से यह रिपोर्ट हुई है वह गलत भी हो सकती है । मेरी सूचना को सही मानते हुये कि मंदिर का एक स्थान जो तोड़ा गया है उसकी आप मरम्मत करने की कृपा करेंगे क्योंकि वहां पर गरीब लोग रहते हैं और उनके पास उसकी मरम्मत के लिये इतना पैसा नहीं होता ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं इसको दिखवा लूँगा ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा पर हरियाणा की पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश की पुलिस एवं जनता पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की झाँसी नगर में विस्फोटक कानून व्यवस्था के कारण शिक्षा संस्थायें बन्द होने एवं पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी श्री जटाशंकर सिंह की बिजनौर के नजीबाबाद नगर में एक कन्या के अपहरण एवं कथित बलात्कार के सम्बन्ध में, चौथी श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की देवरिया जनपद के किसानों से पछुराटन कीट नाशक की दमूली रोकने के सम्बन्ध में, पाँचवी श्री गोरी शंकर भैया की उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन नियम की 3000 बसों के खराब हो जाने से यात्रियों के समक्ष उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में, छठी श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के विरोध में आंदोलन के सम्बन्ध में तथा सातवीं श्री राम आसरे वर्मा, श्री परमाई लाल तथा श्री खैरुल बशर ने हरदोई में राजकीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित सूती मिल संडीला में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दी है ।

मैंने नियम 56 की सभी 7 सूचनाओं को देखा है और जहां तक श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है उस पर पहले से ही वक्तव्य निर्धारित है, वक्तव्य इस पर होना है । बाकी जो हैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री श्री गौरीशंकर भैया, श्री राम आसरे वर्मा एवं श्री परमाई लाल तथा खैरूलबशर की जो सूचनायें हैं उन पर मैं उनको दो दो मिनट सुनूंगा ग्राह्यता के बारे में कि क्यों स्वीकार किया जाय ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आपने कहा वक्तव्य के लिए स्वीकार हो चुका है तो किस तारीख को होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह वक्तव्य के लिए स्वीकृत है जैसे जैसे वक्तव्य आते हैं शासन से कहा जाता है । इस पर वक्तव्य निर्धारित है इसको दिखवा लेंगे कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाय ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, स्थिति आंदोलन के कारण उत्तेजक हो रही है इस मामले का जल्दी समाधान हो जाय ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनेंगें क्या आपने नाम नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम लिया, आपको सुनेंगें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह जो कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसका एक व्यावहारिक विषय बताना चाहता हूं उसके बाद ग्राह्यता पर कहूंगा । मान्यवर, हरियाना और उत्तर प्रदेश की सीमा जो पलवल के पास मिलती है वहां यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, हमने जो सूचना दी देवरिया जनपद के सम्बन्ध में वह आपने नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 56 में नहीं आता है आप और किसी नियम में दे दें ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**

वहां पर आये दिन संघर्ष हुआ करते हैं । दोनों राज्यों में सरकार एक ही पार्टी की है । यह सरकार उस समस्या को निपटाने में असफल हुई है अभी सोमवार को हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तथा जनता पर फायरिंग की उसके जवाब में हो सकता है यहाँ की पुलिस ने भी फायरिंग की होगी । वहाँ पर शाँति व्यवस्था की हालत खराब है, लोग आतंकित हैं । काश्तकारों की जमीन पर हरियाणा के लोग कब्जा कर लेते हैं और फसल काट लेते हैं । इस बारे में एक बार पहले भी ध्यान आकृष्ट किया था । अगर इसका समाधान नहीं किया जाता है तो शाँति व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है । ऐसे मामलों में लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं लेकिन हरियाणा की पुलिस जबरदस्ती करती है । वहाँ पर तीन लोग घायल हो गये और दो आदमी अस्पताल में भर्ती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो इन बातों को दृष्टि में रखते हुए चूंकि यह अभी हाल में घटी घटना है हरियाणा के लोग आकर वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और झगड़ा बढ़ने की संभावना है. वहाँ की पुलिस गोलियाँ चला रही है हमारी पुलिस और जनता का क्या होगा ? इन बिन्दुओं पर यहाँ पर दृष्टिकोण आने के लिए चर्चा होना आवश्यक है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गुप्ता जी ने यह प्रश्न हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बीच फायरिंग से उठाया है। जिस समय यह प्रश्न हमारे सामने आया इसमें जानकारी प्राप्त करने की कोशिश को गयी और जो सूचना पहुँची है वह काफी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है ग्राह्यता पर जो बातें इन्होंने कही उसमें यह घटना पहले की है इन्होंने खुद कहा है 28 ता० की है। इसमें जो इंटर स्टेट रिलेशन की बात में तो इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आये थे तब भी मैंने निवेदन किया कि दो राज्यों की सीमाओं की बात है वेहतर होगा इन पर ज्यादा चर्चा न करें क्योंकि ज्यादा बातें करने से वातावरण खराब हो जाता है। यह किसी विदेश की वात नहीं है। उन्होंने कहा दोनों राज्यों में इन की सरकार है। तो मैं कहूँगा कि भारतवर्ष का हिस्सा हरियाणा भी है और उत्तर प्रदेश भी उसका एक अंग है। तो यह जो अपने पराये की बात रहती है वह मुनासिब नहीं है। इसलिये इसमें इन्टरस्टेट का मामला इंवाल्व है, अतः यहाँ चर्चा करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो विन्दु श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने उठाया है उसमें जानकारी कराई जा रही है और उचित कार्यवाही की जायेगी, इसलिये निवेदन है कि आप कार्यस्थगन में इसको स्वीकार न करें।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री --**

मान्यवर, झांसी नगर में 2-3 दिनों से शाँति व्यस्था के लिये गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके कुछ विन्दु हैं। अभी वहाँ योगेन्द्र सिह यादव जो पोलीटेक्नीक का छात्र था उसको अचानक गायव कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गयी जिसका रहस्य अभी खुला नहीं था कि दूसरे छात्र भुवनेन्द्र कंचन नामक युवक गायब हो गया जो अपने घर एक सप्ताह से वापिस नहीं लौटा। इसी प्रकार वहाँ एक गोविन्द दास सेठ की रात में हत्या कर दी गयी और 10 लाख रुपये लूट कर अपराधी चले गये, इसके अतिरिक्त फरवरी के अंतिम सप्ताह में नगर में दिनपुरा के एक कुंये से एक दिन एक युवक की दो टांगे थैली में पायी गयीं और उसके दूसरे दिन झाँसी नगर के दूसरे स्थान में एक बैग में एक युवक का धड़ मिला जिसकी पुलिस जानकारी नहीं कर पायी है कि दोनों टाँगे और धड़ किसका है। मान्यवर, इसी घटना क्रम में 2 मार्च को एक स्थानीय इंटर कालेज से सुनील अग्रवाल नाम का 18 वर्ष का छात्र इंटरवल मे गायव कर दिया गया और आज तक पुलिस उसको ढूंढ नहीं पायी है। इन अपराधिक घटनाओं से झांसी शहर आतांकित है। इसका एक मुख्य कारण है कि वहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों के पूछने पर उत्तर दिया है कि हमारे पास जितनी फोर्स की आवश्यकता है, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिये, वह आधे से भी कम है। इसलिये वहाँ शाँति-व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

मान्यवर, वहाँ के छात्रों और आम जनता ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि तीनों छात्र, जो गायव कर लिये गये हैं, के अपराधियों का एवं सुनील अग्रवाल का पता लगायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यही नहीं वहाँ सरकिट हाउस के सामने साढ़े 7 बजे रात को बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गयी और एक सप्ताह के बाद भी मुल्जिमों को पकड़ा नहीं जा सका है, यह सब मुख्य सड़कों की घटनायें हैं। इसलिये जनता और छात्र कचेहरी में जिलाधीश के सामने अपनी मांगों के लिये कि हत्यारों को पकड़ा जाये और अपराधियों पर पुलिस नियंत्रण रखे, इस संबंध में जनता और छात्रों ने वहाँ प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया जिससे कई छात्र घायल हो गये हैं। ऐसी गंभीर स्थिति झांसी नगर में पैदा हो गयी है जिससे वहां शांतिव्यवस्था को गंभीर खतरा है।

इन परिस्थितियों में मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि आज सरकार की इस निकम्मी व्यवस्था के कारण झांसी नगर की शांति व्यवस्था खतरे में है, जिसके संबंध में मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरे प्रस्ताव पर बहस आप करायें।

[1 बजकर 20 मिनट]

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम में चल रही करीब 4 हजार बसों के खराब हो जाने की बात सदन की और सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष—

माननीय परिवहन मंत्री जी, कृपया आगे आ जाएँ।

श्री गौरी शंकर भय्या—

इस निगम में करीब चार हजार बसों के खराब पड़ें होने के कारण, उत्तर प्रदेश की बसों से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के सामने कठिन समस्या पैदा हो गई है। 25 सौ बसें ऐसी हें, जिसमें विभाग के अधिकारियों द्वारा सामान की आपूर्ति न करने के कारण, वह गैरेज में बेकार पड़ी हैं। पूरे प्रदेश के अधिकाँश जिले ऐसे हैं, जिसमें बसें नीलाम कर दी गई हैं पर नई बसों की पूर्ति नहीं की गई है, जैसे बलिया में 17 बसें नीलाम कर दी गयी हैं और उनके स्थान पर नई बसें नहीं दी गयी हैं। यही हालत कमोवेश पूरे प्रदेश के जिलों की है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बसों में लोग छतों पर और उसके नीचे यात्रा करने पर मजबूर हैं और डेढ़-डेढ़ और दो-दो सौ आदमी एक एक बस में यात्रा कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहता हूँ कि जितनीं बसें चल भी रही हैं, वे लगती हैं कि एक टिन का डिब्बा चलाया जा रहा है।

एक नई बात यह है कि इन्होंने पिछले साल से कुछ डीलक्स बसें चलाई हैं। बलिया से लखनऊ और लखनऊ से बलिया दो डीलक्स बसें चला करती थीं। उसकी सारी सीट्स और गद्दी बुरी तरह से फट गई हैं। उसमें शीत-ताप नियन्त्रक यंत्र लगा हुआ था और जो टेप लगा हुआ था जिससे यात्री की पूरी यात्रा गाना सुनते समय कट जाए, वह भी पूरी तरह से बेकार हो गये हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश की किसी भी शीत-ताप नियंत्रित बस में, जिसमें ड्यौढ़ा किराया लिया जाता है, न टेप चलता है और न ठंडा करने वाली मशीन चलती है, आपके डिपो से जो बसें निकलती हैं उसमें दो और तीन नम्बर के टायर्स लगे रहते हैं, जिससे वह दो-तीन किलोमीटर जाने पर ही पंचर हो जाती हैं और जिस बस को दो-तीन घंटे में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचना चाहिए वह दिन भर में भी नहीं पहुँच पाती है। चार हजार बसें खराब पड़ी हैं—हम लोग मंत्री जी से मिले थे कि बलिया से बनारस एक बस चला दी जाए, इसके बारे में मंत्री जी

[श्री गौरी शंकर मय्या—]

ने अधिकारी से भी चलाने के लिए कहा, लेकिन आज तक वह नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई बस अवेलेबिल नहीं है ; इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज की सदंन की कार्यवाही रोक कर, इस पर आप मंत्री से वक्तव्य दिलवा दें और चर्चा करवा दें ।

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

माननीय, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन मेरे पास इस समय फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं, और आप कोई दूसरा दिन निश्चित कर दें तो मैं फैक्ट्स सदस्य के सामने रख सकूँगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मंत्री जी तैयार हैं आप चर्चा करवा दें, यह खुद कह रहे हैं ।

***श्री रामआसरे वर्मा**—

मान्यवर, हरदोई जनपद औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा जिला है और वहाँ पर राज्य वस्त्र निगम द्वारा एक सूती मिल संडीला में चलती है लेकिन उसके अन्दर जितने भी कार्यकलाप होते हैं, वह एक व्यक्ति की बपौती बना हुआ है । हजारों कर्मचारी उसमें हैं, पर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है, जिसकी तनख्वाह से हर महीने कटौती न की जाती हो, या कम पैसा देकर अधिक पर दस्तखत न करवाया जाता हो । इसमें खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके लिये एक 'गेट बन्दी' का रास्ता है, जिसक उसको शिकार बनाया जाता है । तमाम कर्मचारी गेटबन्दी के शिकार हैं और वह इस तरह से एक जेलखाना सा बना दिया गया है । अगर बाहर से जनप्रतिनिधि भी जाना चाहें, नहीं जा सकते हैं । एक साँसद हमारे हरदोई जनपद के हैं, वह वहाँ पर जाते हैं, उनको गेट के अन्दर नहीं घुसने दिया जाता है । दूसरी बात जो कि वहाँ पर सेवाओं में कर्मचारी लिये गये हैं, वे हरदोई जनपद के बाहर से लिये गये हैं, उनसे 5-5 हजार रुपया लेकर उनको रखा जाता है । मान्यवर, हर महीने में वहाँ पर भर्ती होती है । मान्यवर, कोई ऐसा कारखाना नहीं होगा, जहाँ पर हर महीने भर्ती होती हो और हर महीने कर्मचारी निकाले जाते हों । अभी फिर अगले महीने 10 तारीख को भर्ती होने जा रही है और दो महीने के बाद उसके ऊपर कोई न कोई चार्ज लगाकर हटा दिया जायगा । अभी दो साल पुराना एक ठेकेदार था, वह वहाँ पर काम करता था, जब उसने इनके साथ, सामान्य प्रबन्धक के अवैध कार्य में भागीदार बनने से इन्कार कर दिया, तो उसके खिलाफ, उसको एक रिंग थमाकर, थाने में मुकदमा कायम करा दिया गया और जब वह जमानत पर छूटा, तब जाकर सामान्य प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया । वहाँ पर सामान्य प्रबन्धक एच० एन० सिंह जो अपने आपको कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । वह अपने को बीर बहादुर सिंह का रिश्तेदार बताकर पूरे जिले भर पर रौब गालिब किये हुए हैं और उसके खिलाफ मुकदमे भी रजिस्टर हो गये हैं । अगर आप पता लगायें, तब तक पता नहीं उसने कितने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया । कई कर्मचारी जेल भी जा चुके हैं ।

(व्यवधान)

लोक महत्व का जहाँ तक सवाल है, यह पूरे जनपद से सम्बन्धित है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहुत व्यापक कर रहे हैं । आप ग्राह्यता पर बताइये ।

श्री राम आसरे वर्मा——

मान्यवर, यह प्रश्न कर्मचारी, जन प्रतिनिधि और जनता इन तीनों से सम्बन्धित है । मान्यवर, इनसे बड़े और कोई नहीं होते हैं ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, अभी माननीया शिक्षा मंत्री जी नहीं आई हैं, क्या आप उनकी इन्तजारी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह जानें, उनका काम जाने ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जनप्रतिनिधियों को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है और जनता में उत्तेजना इस बात पर व्याप्त है कि हरदोई में सूती मिल कायम है और दूर-दूर से लोगों को लाकर उसमें भर्ती किया जा रहा है । मान्यवर, हरदोई के लोग उसमें न लिये जायें, तो यह उत्तेजना की बात होती है । मान्यवर, वहाँ पर हरदोई जिले के बाहर के लोगों से 5-5 हजार रुपया लेकर भरती किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । अब मैंने सुन लिया । आप बैठें ।

[श्री परमाई लाल के खड़े होने पर]

आप बैठिये, परमाई लाल जी ।

जब नियम 56 के अन्तर्गत जहाँ तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना का सम्बन्ध है, मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूँ । माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना के विषय को जो झाँसी नगर में विस्फोट के सम्बन्ध में है, को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ । माननीय गौरी शंकर भैय्या की सूचना के सम्बन्ध में, जैसा कि परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पूरी सूचना नहीं है, मैं उसके विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ, । माननीय राम आसरे वर्मा के सवाल के सम्बन्ध में, मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मुझको एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा— × × ×

नोट—(×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया !

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वहां दिन दहाड़े गोलियां चली हैं । वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

[1 बजकर 30 मिनट]

राज्य विश्वविद्यालय [द्वितीय सशोधन] [द्वितीय] अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982†

[शिक्षा मन्त्री के सदन में उपस्थित न होने और संसदीय कार्य मन्त्री के खड़े होने पर]

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ । शिक्षा मंत्री उपस्थित नहीं हैं । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री वेगार करेगें । मान्यवर, क्या उन्होंने आपको लिखकर भेजा है कि वह आज सदन में उपस्थित न हो सकेंगी और उनका काम सदन में संसदीय कार्य मन्त्री प्रस्तुत करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मुझको टेलीफोन अवश्य किया था लेकिन मेरे पास कोई चीज लिखकर नहीं आयी है इसलिये संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं । अगर शिक्षा मंत्री हैं तो उनको बुलाया जाय । आप इसकी शुरुआत कर दें ।

श्री हुकमसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आपने बार-बार चेतावनी दिया हैं । लिखकर भी नहीं आया हैं, कुछ तो इनको सदन के सम्मान का ध्यान रखना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई मंत्री विशेष···[शिक्षा मंत्री के सदन में आने पर ।]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । वह आ गयी हैं । इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

† दिनांक 28 अगस्त 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है ।

***श्री गौरी शंकर भैय्या**—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह अध्यादेश बार-बार लाने की जो परम्परा है यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिये और प्रदेश के लिये खतरनाक हैं। जब सदन आना होता है तो यह आसान तरीका अख्तियार कर लिया कि उससे पहले ही अध्यादेश निकाल देते हैं। जो अध्यादेश आप लाना चाहते हैं उसमें आप देंखें कि पिछले जो मैंनेजमेंट हैं जो ठीक से काम नही करते हैं तो साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया जाता है। उसको 5 वर्ष तक कायम रखने के लिये अधिकार सरकार के पास है। लेकिन यह सरकार इसको अनंत काल तक करना चाहती हैं। कोई जरूरत नहीं हैं कि 5 वर्ष के बाद मैंनेजमेंट का चुनाव न हो। चुनाव करवाने की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि 5 वर्ष के अन्दर मैंनेजमेंट का चुनाव करवायें जांय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जो समय आइटम 11, 12, 13 के लिये है वह आधा घण्टा निर्धारित है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, जहां पर इनका हित जुड़ा होता है वहां पर यह मैंनेजमेंट का चुनाव नहीं होने देते हैं। जैसाकि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के जिले में 4 या 5 वर्षों से मैंनेजमेंट का चुनाव नहीं कराया है। मजबूरन इनको अध्यादेश लाकर अपनी और अधिकारियों की गलतो को जायज करने के लिये, इन्होंने पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाने का काम किया है। एक बात यह है कि दो तरह की पद्धति आप चलायेंगे। एक तो मैंनेजमेंट वाली और दूसरी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा। मैंनेजमेंट अगर ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो आप प्राधिकृत नियन्त्रक रखेंगे। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप सारे स्कूलों को ही अपने हाथ में ले लीजिये और मैंनेजमेंट के हाथों से उनको निकाल लीजिये ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री दिवाकर विक्रमसिंह पीठासीन हुए ।)

दूसरी इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि अगर मैंनेजमेंट खराब काम करता है तो उसके स्थान पर आप प्राधिकृत नियन्त्रण रख देंगे मगर अगर प्राधिकृत निर्यत्रक ने भी ठीक काम न किया, वह भी भ्रष्ट हुआ, उसने भी पैसा लेकर नियुक्तियाँ शुरू कर दीं, मैंनेजमेंट की तरह वह भी गड़बड़ी करता रहा. तो आप क्या करेंगे ? उसका कोई उपाय इस विधेयक में नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह अध्यादेश पारित होता है जो यह सरकार मैंनेजमेंट को ठीक करने अथवा उनका चुनाव कराने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगी, और प्राधिकृत नियन्त्रक के जरिये यह शासन करती रहेगी। इसलिये इस अध्यादेश का इस सदन को अनुमोदन करना चाहिये ।

***श्री हुकमसिंह**—

माननीव गौरी शंकर भैय्या ने जो अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो इसका मूल

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकम सिंह—]

विधेयक है उसकी धारा में 4 वर्ष का समय है, जिसे बढ़ाकर अब इसके जरिये से 5 वर्ष का समय किया जा रहा है। मगर क्या इस संशोधन मात्र से ही आप विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को ठीक कर पायेंगे ? जो आज भ्रष्टाचार वहां पर व्याप्त है उसको आप इससे दूर नहीं कर पायेंगे। आप उप कुलपति के माध्यम से यह कराना चाहते हैं और अपने आदमियों को मनोनीत करना चाहते हैं। आपने मेरठ विश्वविद्यालय में जो उप कुलपति को भेजा है वह भी ठीक कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वहा की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। जो अधिकार आपको मिले हुये हैं, मेरा यह आरोप है, आप उनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाये हैं। मेरठ के बारे में आप जाँच करा कर देख लें, जब से वर्तमान उप कुलपति वहां गये हैं, तमाम समस्यायें खड़ी कर दी हैं उन्होंने।

श्री अधिष्ठाता—

वाइस चान्सलर की हिन्दी ट्रान्सलेशन कुलपति अब हो गया है।

श्री हुकमसिंह—

ठीक है, मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस अध्यादेश का यह सदन अनुमोदन करे।

***शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)**—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं इसके महत्व एवं इसकी आवश्यकता को आपको बताना चाहती हूँ। अभी माननीय विधायकों ने अपने कुछ विचार हमारे सामने रखे और उन्होंने एक बात कही। हमारे महाविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने बड़े क्रातिकारी कदम उठाये हैं। उनमें से एक तो यह है कि हमने वेतन वितरण अधिनियम लागू किया है। इसमें अध्यापकों को वेतन नकद न मिलकर, चेक के माध्यम से दिये जाते हैं। प्रबन्धाधिकरण को यह अधिकार नहीं होता है कि वह रुपया ड्रा करे। इसमें यह है कि जिस अध्यापक का वेतन है, उनके वेतन का उतना रुपया चेक द्वारा उनके एकाउन्ट में सम्मिलित हो जाता है। ताकि इसमें कोई कमिशन बगैरह न ले सके। इस बात की भी शिकायत दूर हो कि लिखते ज्यादा हैं और देते कम हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो यह विधेयक हम लोगों को मिला है, उसको देखने के बाद, यह समझ में नहीं आ रहा है कि मन्त्री जी का भाषण किस विषय पर हो रहा है। मान्यवर, विधेयक में तो प्रबन्धाधिकरण का समय 4 वर्ष से 5 वर्ष करने का प्रश्न है और यह क्या बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस विषय पर बोल रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया गया, तो आपकी अनुमति से उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें कह रही हूँ। मान्यवर, दूसरा कदम उठाया है विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना का। यह पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बंगाल को छोड़कर हमारे यहाँ पहला आयोग है। जैसा कहा जाता है कि नियुक्तियाँ पैसा लेकर होती हैं, तो इसके बन जाने के बाद से यह शिकायत भी दूर होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अब मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ । हमारा जो ऐक्ट है, उसके स्टेच्यूट्स में है....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, विधेयक का प्रस्ताव तो किया नहीं, चर्चा किस पर हो रही है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रस्ताव मैंने अभी कर दिया है । नियम 58 के अन्तर्गत नियंत्रक दो वर्ष के लिए शासन द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन उक्त अवधि दो वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है । कहीं-कहीं, सब जगह ऐसा नहीं है, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं, प्रबन्धाधिकरण के जो पारस्परिक विवाद हैं, जैसे कि दो अपोजिट प्रबन्धाधिकरण का आपस में विवाद हो जाता है और वह चार साल तक न तय हो पाए, तब यह प्रश्न उठता है कि वहाँ कौन प्रबन्ध करें । जब तक नियंत्रक को यह अधिकार न दिया जाय कि 4 साल के बाद भी उसका कार्यालय बढ़ाया जा सकता है, तब तक स्कूल का प्रबन्ध कौन करें । यह एक वैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई हमारे सामने आयी है । इसलिए यह अधिकार लिया जाता है । हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रबन्धाधिकरण को समाप्त कर दें । एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रबन्धाधिकरण में भ्रष्टाचार है, उनमें आपसी विवाद है, और जब हम उसके निराकरण का प्रयास करते हैं विधेयकों के द्वारा, तब आप कहते हैं कि उसमें कठिनाई पैदा होती हैं, सुझाव देते हैं । मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसको स्वीकार कर लें, जिससे 4 साल के बजाय 5 साल का टाइम हो जाय । कुछ केसेज ऐसे हैं जो बहुत दिनों से कोर्ट में पड़े हुए हैं, आप तो जानते हैं पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, निर्णय नहीं हो पाता है । तो इतने समय तक स्कूल में अव्यवस्था होने के कारण हजारों-हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाता है । इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि यह एक इनोसेंट विधेयक है, जो सद्भावना के साथ, छात्रों के हित में टीचर्स के हित को ध्यान में रखकर लाया गया, इसको कृपया आप पारित करें, इसमें सहयोग दें ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** —

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, आप देखें कि मैंने प्रवर समिति में भेजने की बात जान बूझकर की है । मेरा सरकार पर आरोप है और मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को ध्यानपूर्वक सुना । अगर उनकी बात साफ होती कि शिक्षा के प्रबन्धाधिकरण के बारे में शासन की नीति साफ है तो प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता न होती । लेकिन मान्यवर यह विधेयक स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि शासन की नीति साफ नहीं है । मेरा तो निश्चित मत है कि मैनेजमेंट आउट डेटेड हो गए हैं समयातीत हो गए हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिए । जब अध्यापकों के वेतन संदाय की जिम्मेदारी शासन ने ले रखा है तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है । मैनेजमेंट को रखने का क्या औचित्य है । और अगर यह सरकार रखना चाहते हैं तो साफ नियत के साथ प्रजातंत्र के ढंग से उनको कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए । लेकिन सरकार उनको ठीक से काम नहीं करने देते और बाधा पहुँचाती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने सही कहा कि यह सरकार दिशा-विहीनता का शिकार हो गई हैं। मान्यवर आप देखें सबसे पहले यह अध्यादेश जून 82 में लाया गया उसके बाद अधिवेशन हुआ। हमारे नियमों में व्यवस्था है मैं उसको कोट करके समय नहीं लेना चाहता, पहले अधिवेशन में इसको पास कराना चाहिए था। लेकिन दुबारा 27 सितम्बर को फिर इसको रिपीट करना पड़ा और आज विधेयक के रूप में आया है। मान्यवर, एकरुपता लाने के लिए यह किया जा सकता था कि इण्टरमीडिएट की व्यवस्था समाप्त करके जो डिग्री कालेज की व्यवस्था है उसको लागू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इण्टरमीडिएट की व्यवस्था डिग्री करने पर लागू की जा रही है। हमारे जिले सीतापुर में एक हिन्दू कन्या पाठशाला डिग्री कालेज है। वहाँ का मैनेजमेंट 4 वर्ष के लिये सरकार ने लिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिन लोगों के हाथों में मैनेजमेंट है, सरकार या प्रशासन ने 4 वर्ष में चुनाव कराने का कोई प्रयास नहीं किया। वहाँ जिन लोगों से मैनेजमेंट लिया गया है अगर कोई प्रयास किया चुनाव का तो कानूनी मुद्दा उठा कर चुनाव नहीं होने देते। मान्यवर, अगर कहीं ऐसी परिस्थित पैदा हो जाय कि मैनेजमेंट और कुलपति में दुर्भिसन्धि हो जाय तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। अगर कहीं यह बात हो जाय कि सही मैनेजमेंट कौन है और कोई अपनी फरियाद लेकर शासन के पास आये तो शासन विश्वविद्यालय की तरफ निहारता है। शासन एकदम पंगु है और वह पूरी तरह से समर्पित है कि विश्वविद्यालय से जो लिखकर आ गया उसी को आप मान लेते हैं यही सही मैनेजमेंट है। वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जुडीशियल या कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिये जो इन विवादों को निपटा सके। मात्र कुलपति की बात स्वीकार करके निर्णय करना उचित नहीं है। एक बात में और रखना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी कितना समय लेंगे, बहुत कम समय है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अगर आपने ले लिया है मैनेजमेंट को भंग करके तो क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा। मान्यवर गाँधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टरमीडिएट कालेज, बिलसन्डा का है। आडिट आपत्ति के आधार पर वहाँ के मैनेजमेंट को भंग कर दिया गया लेकिन प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण आडिट आपत्ति हुई। आप प्रिंसीपल के खिलाफ कार्यवाही करवा दें।

कुंवर दया शंकर इण्टर कालेज, बरेली का है, वहाँ का मैनेजमेन्ट बार-बार लिख कर भेज रहा है, प्रबन्धाधिकरण बिल्कुल ठीक है, आपके शासन ने भी कोई जानकारी नहीं की, जब तक इन सब बिन्दुओं पर विचार नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। युनिवर्सिटीज की जो मैनेजिंग कमेटीज हैं, एफीलिएटेड कालेजज की, इनकी स्टैटुटैरी बाडी बना देंगे तो उन्हें उसी हिसाब से आदमी रखने पड़ेंगे और सरकार के भी आदमी उसमें जा सकेंगे, वहां के भी आ सकेंगे। तभी वह अधिनियमित होगी और मामले कोर्ट में दिये जा सकेंगे। अभी विश्वविद्यालय के पास जाता है, उनके पास टाइम नहीं, इसलिए डी०जे-ज्० रैंक का चांसलर नियुक्त कर दें। आपकी धारा 57 है, उसमें 5 धारायें लगायीं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 73 का ऐक्ट है युनिवर्सिटीज के बारे में, इसकी धारा 40 है जिसके तहत शासन इन्क्वायरी करता है भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। उसकी रिपोर्ट आ गयी लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकार नहीं दिया कि सुपरसीड करने का कोई अधिकार नहीं। जो टेम्प्रेरी टीचर्स नियुक्त किये जाते हैं, उनके परमानेन्ट करने का कोई अधिकार नहीं है कि विज्ञापन आदि निकालें, 5 साल की अर्हता होने के बाद मैनेजमेन्ट स्वयं परमा-

नेन्ट कर दे, यह कहां का नियम है। मैनेजमेन्ट और वी०सी० मिल जांय अगर तब तो बिल्कुल बंटाधार हो जायेगा। इसीलिए मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है कि सम्यक रूप से इस पर विचार हो जाये। सरकारी हाथों में इसको लीजिये, इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं।

***श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी**—

माननीय विधायक महोदय ने जो विचार सामने रखे और उन्होंने उच्च शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में जो चिन्ता प्रकट की, उसका मैं आदर करती हूँ और उच्च शिक्षा के स्तर को कैसे ऊँचा उठाया जाये और महाविद्यालयों की कैसे व्यवस्था की जाये, उसके संबंध में हम आपके सुझाव तो हमेशा से ही लेते रहे हैं और उसमें विचार करते रहे हैं और हमने बहुत क्रान्तिकारी कदम भी उठाये हैं। लेकिन यह इमरजेंसी की बात है। एक भी विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें दो प्रबन्धाधिकरण का आपस में विवाद हो, चाहे हाईकोर्ट में हो चाहे कुलाधिपित के पास, या वाइस चांसलर की अदालत में हो, अगर 4 साल तक कोई निर्णय नहीं होता तो उस विद्यालय का कौन प्रबन्धक होगा, कौन निर्णय करायेगा, केवल इसी प्वाइंट आफ व्यू के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्टैटुटरी बाडी के सम्बन्ध में जो सुझाव है, वह शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एक समिति बनी हुई है वाइस चांसलर की है, शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, इसमें एक्ट्स में परिवर्तन और संशोधन करने के सम्बन्ध में इसमें विचार किया जा रहा है। जो भी संशोधन हम करना चाहते हैं अधिनियम में, वह भी आपके सम्मुख रखा जायेगा लेकिन यह केवल एमरजेंसी की बात है, जब तक प्रबन्धक समिति पूर्णतया गठित नहीं हो जाती, विवाद है, तब तक के लिए यह व्यवस्था है।

जहां तक समय से पूर्व प्रबन्धाधिकरण को समाप्त करने की बात है, जहां अच्छे काम कर रहे हैं वहां उनके स्कूलों में साधिकार नियंत्रण करने का कोई इरादा नहीं हैं। हम तो जन सहयोग चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। आप लोग डिग्री कालेज खुलवायें, मैनेजमेंट करें, हम तो इस बात की प्रशन्सा करेंगे। डिग्री कालेज मैंने भी खोला पहली जमात से नारी शिक्षा निकेतन को डिग्री कालेज बनाया। इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगी कि छात्रों की परेशानी देखते हुये, जनहित में संशोधन को वापस लें और सहयोग दें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

बांसी रतनसेन डिग्री कालेज अपने हाथ में ले लें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप खुद ही कह रहे हैं। मान्यवर, एक सिफारिश आ गयी कि फलां कालेज को टेक ओवर कर लीजिये। रोज कोई न कोई समस्या आती है। मा० गुप्ता जी अगर आप उसी विद्यालय को चलायें तो मैं कभी नहीं लूंगी। मालूम है कि आप बढ़िया चलायेंगे। आप इसको वापस ले लें दोनों के हित में। मेरे हित में न सही बच्चों के हित मैं वापस ले लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री किरन पाल सिंह**—

मान्यवर, पहले अध्यादेश आया उसके बाद में विधेयक। इससे सरकार का उच्च शिक्षा के बारे में क्या दृष्टिकोण है, पता चलता हैं। कोई भी विषय हो इस सरकार का रवैया है कि किसी भी समस्या को टुकड़ों में हल किया जाये। दूरदृष्टि नहीं है मामले की लटकाने का, टालने का हमेशा से ही सरकार का इरादा रहा है। शिक्षा मन्त्री जी ने विषय से हट कर कहा, मैं विषय में रहकर ही कहूंगा। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हमारे प्रदेश में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। प्राथमिक शिक्षा कान्वेन्ट, प्राइवेट स्कूल्स, बेसिक स्कूल्स से और उच्च शिक्षा यूनीवर्सिटी और कालेजेज द्वारा दी जाती है। विश्वविद्यालय और कालेजेज में अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि शिक्षा सुविधाओं और शिक्षकों की सुविधाओं में जमीन आसमान का अन्तर है। विश्वविद्यालय में 90 प्रतिशत शिक्षा का काम होता है और विद्यालयों में केवल 10 प्रतिशत। कालेजों के शिक्षकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाता है। यदि वे प्राक्टर, रिसर्च कमेटीज में जाने की बात सोचें तो वह दिवास्वप्न ही है। मैं मांग करता हूं शिक्षा मन्त्री जी से कि विद्यालयों में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें। साफ दृष्टिकोण अपनाया जाये कि मैनेजमेन्ट समाप्त करना चाहिये। जब तक मैनेजमेन्ट समाप्त नही होता तब तक इन्हें स्टेट्यूटरी बाड़ी बना दे। प्रबन्ध समितियाँ होती हैं वह सोसाइटी एक्ट से गवर्न होती हैं। विश्वविद्यालय अलग इन्सटीट्यूसन होते हैं। उनके हिसाब से प्रबन्ध समितियां नहीं चलतीं यह विरोध नहीं कर सकते। शिक्षा का बोर्ड बना दिया गया। बोर्ड द्वारा मांगा जाता है कि आपके कालेज में कितनी रिक्तियां हैं, भेजें। प्रबन्ध समितियां इस बात को सुनती नहीं। वह यह नहीं भिजवातीं कि उनके यहाँ कितनी रिक्तयां हैं।...

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री किरनपाल सिंह—

पिछले दिनों मान्यवर, इसी कारण से इन्होंने, जो अध्यापक डिग्री कालेजज में एडहाक पर कार्य कर रहे हैं, उनकी अवधि 3 जनवरी, 1984 तक के लिये बढ़ा दी गई है। फलस्वरूप दिक्कतें सामने आ रही हैं। मेरा सुझाव है कि मैनेजमेंट को समाप्त करके सरकार अपने हाथ में ले लें जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होती है इसे स्टेटयूटरी बाडी बना दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया है कृपया समाप्त करें।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, यह हमारे प्रदेश का सबसे पुराना एग्रीकल्चर महाविद्यालय है वहाँ पर न तो कोई प्रबन्ध समिति है और न कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। सारा का सारा कार्य कलेक्टर को दे रखा है। कलक्टर इसे देखता नहीं है.....

श्री अधिष्ठता—

कृपया आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं सब कह चुका हूं। मैं इसे वापस नहीं लेता हूँ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्सी—

मान्यवर, इसको पारित किया जाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संशोधन को आप वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 58 में, उपधारा (1) में,—

(क) प्रथम परन्तुक में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द 'पांच वर्ष' रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यह और कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर महाविद्यालय का कोई विधिपूर्वक गठित प्रबन्धतन्त्र न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्धतन्त्र का विधिपूर्वक गठन हो गया है :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को, किसी भी समय, प्रतिसंहृत कर सकती है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 58 का संशोधन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर संशोधन यह है कि—खण्ड 2 (क) में शब्द "पाँच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" रख दिए जायँ। मान्यवर, मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है, मैं अपने दल की ओर से इस बात का पक्षधर हूँ कि मैंनेजमेंट को खत्म कर दिया जाय। जब तक आप इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो इस मैंनेजमेंट को इमरजेन्सी के लिये 3 साल के लिये रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आपको कुछ कहना है, इसमें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बिल्कुल नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, खण्ड 2(ख) का विरोध करता हूँ। मान्यवर, इसलिये विरोध कर रहा हूँ कि आपने इसे डी०एम० के अधिकार में दे दिया 5 साल के लिये वह वहां की व्यवस्था ठीक करे और दुरुस्त करें। लेकिन 5 साल के बाद भी वह वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाता है। मैंनेजमेंट को सबसिडाइज करें। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर भाई-भतीजेवाद और राजनीतिक लोगों की भरमार हो।.....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भाई-भतीजावाद तो हमीं लोगों ने समाप्त किया है, आपके जमाने में तो बहुत जोरों में चल रहा था।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

उसी के कारण तो आप यहाँ मन्त्री हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2903 2(क) में शब्द 'पाँच वर्ष' के स्थान पर शब्द 'तीन वर्ष', रख दिये जाय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।]

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।]

खण्ड 3

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1982

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा

58 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपलब्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से संशोधन रख रही हूं । वर्तमान खण्ड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय,

अर्थात्—

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 1982

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 58 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया मन्त्री जी, क्या यह आपको स्वीकार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड—

निरसन और अपवाद

"3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 1982

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 58 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह 25 जून, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि खण्ड 1 में वर्तमान उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया मन्त्री जी, क्या यह आपको स्वीकार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 में, वर्तमान उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय ।

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1983 कहा जायगा ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।]

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा कि सदन द्वारा संशोधन हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वित्तीय संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।]

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिए जाने पर आपत्ति

[समय 2 बज कर 11 मिनट]

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, इस संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियमों में व्यवस्था है कि जब कोई विधेयक चर्चा के लिए आ जाए वह पहले किसी रिपोर्ट या किसी आख्या पर आधारित होगा। इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप देखें अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण के पृष्ठ–11 पर 44 नं० पर दिया हुआ है, जिसे मैं पढ़ता हूँ जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रक्खा जाए, उससे संबंधित पत्रादि जिन पर वह विधेयक आधारित हो, सदन के पटल पर रक्खे जाए और यदि सुविधा हो तो उनकी प्रतियाँ भी मा० सदस्यों को वितरित कर दी जाय। और मान्यवर, यह विधेयक पहले से विधान परिषद् में पारित हुआ है और आज इस सदन के पटल पर रक्खा गया है, तो हम लोग इस बात की उम्मीद तो कर ही सकते थे कि इसकी जानकारी हम लोगों को अवश्य मिलेगी। इसके उद्देश्य और कारणों में भी जो दिया गया है उसको मैं पूरा न पढ़कर थोड़ा ही पढ़ूँगा जिसमें खादी तथा ग्राम उद्योग के बारे में लिखा गया है कि यह उस प्रयोजन के लिए दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। जिसके लिए उसे स्थापित किया गया था। बोर्ड के कार्य-कलापों की जाँच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें उसकी दशा में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के सुझाव दिये गये हैं। समिति ने अनेक संस्तुतियाँ की हैं जिनके अन्तर्गत बोर्ड का पुर्नगठन और प्रभावी प्रशासन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी की है। इन संस्तुतियो को कार्यान्वित करने की दृष्टि से उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक समझा गया।

तो मान्यवर, यह उस रिपोर्ट पर आधारित है जो उच्च स्तरीय कमेटी बनायी गयी थी। तो स्पष्ट है कि इसकी रिपोर्ट पहले यहाँ आ गयी होगी, इस विधेयक को सदन के पटल पर रखने से पूर्व और उसकी सूचना संबंधी प्रतियां मा० सदस्यों को भी प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नही किया गया दूसरे मान्यवर, इस ओर एक संदेह और जाता है कल शाम को मैं लाईब्रेरी गया था, जबकि वह लाईब्रेरी बंद होने जा रही थी तब वहाँ इससे संबंधित कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इसके मायने यह हुए कि यहां रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई है, और जब तक वह रिपोर्ट हम लोग देख न लें कि उस समिति ने क्या-2 सुझाव बहुमूल्य दिये हैं जो प्रदेशों में घूम-फिर कर तमाम अनुभव एकत्र किये होंगे, तो उन्हें मान्यवर, मैं चाहूँगा इससे पूर्व कि इस पर चर्चा हो, इसकी रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध करा दें। और इसके पूर्व दृष्टान्त भी हैं तभी करणों में इसके लिये व्यवस्था दी हुई है। अब आप कहेंगे कि पटल पर जब रखा गया तब आपको आपत्ति करनी चाहिए थी। तो इसके लिये मेरा कहना है कि सदन के पटल पर रखने और बहस करने के बीच में एक अवधि होती है। इसलिये मेरी यह आपत्ति संगत है और मैं इसीलिये प्रार्थना करता हूँ कि हम सदस्यगण इस पर अच्छे सुझाव दे सकें खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के आध्यादेश पर, यह बोर्ड जिसका कि नाम महात्मा गाँधी से सीधा जुड़ा हुआ है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि वह रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिये।

***श्री रियासत हुसैन—**

अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति उठाई है उसी संबंध में मुझे भी यह कहना है कि कल शाम तक लाईब्रेरी में वह रिपोर्ट नहीं आयी थी तो इसलिये

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

इसमें सन्देह हो गया है कि जिसके आधार पर यह सारा विधेयक है और उसे आपने सदन में भी नहीं रखा है. अगर आपने उसे सदन में रखा है तो आप हमें बतावें कि वह रिपोर्ट कब सदन के पटल पर रखी गयी है। जिसके आधार पर सारा अमेन्डमेन्ट आप कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी आपत्ति को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की आपत्ति के साथ जोड़ता हूँ।

उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

इसमें खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का काम चल रहा था और वह सन्तोषजनक नहीं था। आये दिन कुछ न कुछ अनियमिततायें सामने आती थीं। प्रदेश की प्रगति के लिये जो काम होने चाहिये थे, वह नहीं हो रहे थे और इस तरह से प्रदेशों की अपेक्षा हम बहुत पीछे रह गये थे। इसलिये सोचा गया इसमें सुधार करके गति लायी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपको माननीय सदस्यों की आपत्ति पर क्या कहना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जाँच समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें जो चीजें आवश्यक समझी गयीं, इसमें जल्दी सुधार करना था, कमियों को दूर करना था जिन आपत्तियों को लेकर यह विधेयक बनाया गया, सारे बिल का इसमें प्रोविजन किया गया था कि जो कमियाँ हैं उसे दूर कर इसमें सुधार किया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

आर्डिनेन्स लागू हो जायेगा, उसको आप विधेयक की शक्ल देने जा रहे हैं। बुनियादी तौर से जो खामियां पायी गयीं, माननीय मन्त्री जी ने उसे आर्डिनेन्स के जरिये जारी कर दिया और उसी के आधार पर विधेयक पुट-अप कर रहे हैं। बुनियादी रिपोर्ट जो थी उसे आपने सदन के पटल पर रखा नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं स्वयं यही माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि माननीय सदस्यों की जो आपत्ति है उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सदन के पटल पर रिपोर्ट नहीं रखी जाती है, पता नहीं यह बात माननीय सदस्य कैसे कह रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

उसके आधार पर आर्डिनेन्स जारी करने बाद जब वह अधिनियम बन जायेगा क्या तब आयेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप इस पर कुछ कहेंगे ?

***संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)**—

माननीय उद्योग मन्त्री ने एक बात कही कि राजेन्द्र कुमार गुप्त ने रिपोर्ट की बात कही कि सारे संबंधित कागजात सदन के पटल पर आने चाहिये। तो इस संबंध में यह निश्चित करना कि कौन से कागजात, कौन डाकूमेंट यहाँ आयें, यह सरकार को सुनिश्चित करना है। यहाँ पर अमेन्डमेन्ट पेश है विधेयक का, तो उससे संबंधित कौन से कागजात या कौन सी फाईल या कौन सी चीजें जो हुई हैं, यह सब चीजें सदन के पटल पर रखना आवश्यक नहीं है। जो चीजें उससे संबंधित है, माननीय सदस्य अगर कोई सूचना विधेयक के बारे में जानना चाहते हैं या जो डाक्युमेन्ट वे चाहें तो आपके माध्यम से वह सूचना मंगा सकते हैं कि यह विधेयक किस रिपोर्ट पर आधारित है। इन तमाम चीजों को जिस पर यह विधेयक आधारित है, उसको यहां पेश करना आवश्यक नहीं है। अगर यह होगा तो जितने भी बिल होंगे सभी के साथ सारी फाइलें सदन में रखनी होगी और सभी माननीय सदस्यों मैं डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जो आवश्यक था वह हमने दे दिया, और जो एतराज हो उसे आप हमें बतावें। आप माननीय मंत्री जी के कक्ष में चले जायं वहाँ पर आप देख सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

अगर समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोई चीज सदन में लायी जाती है तो सम्बन्धित रिपोर्ट हम को मिलेगी, ताकि जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग लें, वह उसको देख लें। हमें क्या मालूम है कि उस समिति ने क्या रिकमेंडेशन किया है, आपको मालूम है, लेकिन हमें क्या मालूम है।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखी है, उसका उत्तर देना आवश्यक है। मैं उनके तर्क से सहमत हूँ कि कौन सा डाक्युमेंट सदन के पटल पर आये और कौन सा न आवे। लेकिन मान्यवर, यह तो तय करना आप का और हमारा काम है। या तो उस रिपोर्ट का इसमें कोई रेफरेन्स न होता, इस कमेटी के रेफरेन्स होने की कोई आवश्यकता नहीं थी बिना रेफरेन्स के भी यह लाया जा सकता था। अब चूंकि रिपोर्ट का रेफरेन्स दे दिया गया है और वह एक रिपोर्ट है, वह पब्लिश हो चुकी है वह एक सिकरेट डाक्युमेंट नहीं रह गया। हम पत्रावली को नहीं देखना चाहते हैं और न उस रिपोर्ट से सम्बन्धित जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ही देखना चाहते हैं, वह तो पुस्तकालय में उपलब्ध हो जानी थी। मैं इसीलिए पुस्तकालय गया था कल कि मैं उसको देखूं परन्तु नहीं मिली। उसको आप छिपा लेते तो हम उसकी चर्चा न करते तो इसलिए वह इस सदन की सम्पत्ति बन गयी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कक्ष में चलें जायें और देख लें, तो यह तो हम कर सकते हैं, परन्तु हमारा कोई संसदीय अधिकार भी है। मैंने अपने संसदीय अधिकार की रक्षा के लिए यह प्रश्न उठाया है। यह राजेन्द्र कुमार गुप्त या रिजवी साहेब का प्रश्न नहीं है, बल्कि संसदीय पद्धति का प्रश्न है। हमें उस रिपोर्ट को देखने का अधिकार है, तो वह पटल पर क्यों नहीं है। मैं गोपनीय बात को नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उस बात को नहीं देखना चाहता हूँ जिसको मा० मंत्री जी ने छिपा रखा है, लेकिन जो चीज खुल गयी है उसको देखने में क्या हर्ज है ?

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के संख्या 44 में दिया हुआ है कि जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा जाय उससे सम्बन्धित पत्रादि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अधिष्ठाता—]

जिन पर वह विधेयक आधारित हो, सदन के पटल पर रखा जाय, और यदि सुविधा हो तो उनकी प्रतियाँ सदस्यों को वितीर्ण कर दी जायें ।

श्री अम्मार रिजवी—

जो विधेयक प्रस्तुत है इसी सदन के पटल पर रखा जा चुका है और उस पर इस समय डिसकशन होना है । यहाँ पर इससे सम्बन्धित जो चीजें रखी जानी चाहिए थीं, वह रख दी गयी हैं, और उसको आवश्यक नहीं समझा गया कि रखा जाय, इसलिए नहीं रखा गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

जिस रिपोर्ट पर यह बिल आधारित है, उसका प्रश्न है । यहाँ सम्बन्ध का सवाल नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

यह अम्मार रिजवी का मामला नहीं है, सदन का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता—

सम्मानित सदन यदि इस पर सहमत हो तो इस मद को हम बाद में लेलें और जो बाद वाली मद है उसे हम पहले ले लें । इस बीच यह निश्चय कर लिया जायेगा कि कौन से कागजात यहाँ पर रखे जायेंगे कौन से नहीं रखे जायेंगे । इसलिये इस मद को हम बाद में लेंगे ।

एक सदस्य—

ठीक है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1983†

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर तथा श्री बच्चा पाठक, सहकारिता राज्य मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में कोआपरेटिव के जो मंत्री हैं - बच्चा पाठक जी, वे भेज चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं उपस्थित नहीं रह पाउँगा, इसलिए मैं उनके स्थान पर इसको प्रस्तुत करुँगा । इसे आप माननीय अध्यक्ष के कार्यालय से कन्फर्म करा सकते हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

बच्चा पाठक जी जो हैं वे कालेज के चुनाव के लिये गये हैं ।

---

† दिनांक ···· 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता—

नियमानुसार वे अध्यक्ष को लिखकर दे चुके हैं इसलिए वे कहाँ गये हैं, इससे सदन का कोई सम्बन्ध नहीं है।

***श्री रियासत हुसैन**—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन करता है।

श्रीमन्, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह अध्यादेश जो 27-9-82 को जारी किया गया वह इस माननीय सदन के अन्दर एक दफे पहले आया था और उसके बाद जब लेप्स हो गया तो उसके बीच में सितम्बर 82 में सैशन हो चुका है लेकिन उसमें इसे नहीं रखा गया। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। जिस चीज को लेकर यह किया है जो आप लोकशाही का ढिंढोरा पीटते हैं, कोआपरेटिव की वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं, जिस तरह से खुले आम आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा करने पर आपको शर्म नहीं आयी। श्रीमन, गौर से देखें व इस सिलसिले में जब कोआपरेटिव के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरु हुई, कैसे डीलिमिटेशन होगा तब इनको इस बीच ध्यान आया कि क्षेत्र समितियों का चुनाव कराना है और उसके अन्दर कैसे हमारा बहुमत बनेगा। जो पुराने प्रधान थे उन्हीं से चुनाव करायें तो इनका बहुमत नही बन पायेगा तब इनको सोते हुए यह बात सोचनी पड़ी कि जो इसके लिये कोओप्टेड मेम्बर होते हैं उनका कोआप्शन समाप्त कर दिया जाय, उनका एडमिनिस्टेशन समाप्त करके एक समिति बना दी जाय। 9–9 आदमियों की एक समिति बना दी जाय और उसके लिये पुनः एक इलेक्टोरल कालेज फिर से बना दिया जाय। मगर ये तो यही चाहते थे कि आपस में खींचतान शुरु हो जाय। इससे जितने भी कांग्रेस विधायक थे, डी० सी०सी० के अध्यक्ष थे, उनमें खींचतान शुरु हो गयी कि यह जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो रहा है उसमें कौन मेरा रहेगा और कौन तुम्हारा रहेगा। बात प्राइममिनिस्टर तक पहुंची। विशारदजी भी डी० सी० सी० के अध्यक्ष थे, आप भी प्राइममिनिस्टर तक गये। जब आपको वहाँ से फटकार पड़ी। तो वहां से उन्होंने कहा कि इलैक्शन कराइये तो ग्राम सभाओं के इलैक्शन इन्होने करा दिये लेकिन फिर सूझी कि जो आगे क्षेत्र समितियों के चुनाव होगे उनमें अपना बहुमत बनाये रखना है तो इन्होने इसके लिए आदेश की शक्ल में यह जारी कर दिया उसमें आप देखें कि मेम्बर 9 से अधिक नहीं होगे और जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको इतनी छुट दे दी है कि चाहे वह साधन सहकारी समिति का मैम्बर हो या न हो चाहे उसका विश्वास सहकारिता में हो या न हो उसे एडमिनिस्ट्रेटर एपान्ट किया जा सकता है। इससे बड़ी बात और रख दी एपोंन्टमेंट के विवाद को आप अदालत में नहीं ले जा सकते हैं यानी प्रोवीजन कर दिया कि कोर्ट में इसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा। जरा इस बात को गौर करें अभी तक जो नोमिनेशन किये गये हैं उनकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे यहां एक सरकड़ा खास में साधन सहकारी समिति है जो मेरे गांव में पड़ती है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया उसका नाम श्रीराम है जो एक डिफाल्टर है 700 रुपया उस पर बकाया हैं। जिसके चाचा ताऊ जो है उनके उपर कितना बकाया है वह भी बताना चाहता हूं मैने एक प्रश्न किया था कि 5 हजार रुपये से ज्यादा किन किन लोगों पर बकाया हैं...

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

हर जगह ऐसा ही है ! (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धरमपाल—

आप अपने यहाँ देखे (व्यवधान) चाचा ताऊ से क्या मतलब है ?

श्री अधिष्ठाता—

आपस में बातें न करें ।

श्री रियासत हुसैन—

तो मैं बकाया बता रहा था जिनके ऊपर 5 हजार से ज्यादा बकाया है उसका उत्तर इन्होंने दिया है इस प्रकार है—श्री भूप सिंह पुत्र श्री गुरुसहाय बकाया 7,200 यह 9-3-74 से है, दूसरा श्री भूरे सिंह पुत्र श्री गुरसहाय बकाया 10366.00 यह 20-1-81 से है तीसरा श्री छोटे लाल पुत्र श्री गुरुसहाय बकाया 6219.00 यह 30-1-78 से है इन के श्रीराम संबंधी हैं जो खुद 700 रु० के डिफालटर हैं । तो एक ही गांव के ऊपर सवा-लाख से ऊपर बकाया है । तो ऐसे आदमी को आप एडमिनिस्ट्रेटर एपोइंट कर देते हैं चाहे वह मैम्बर हो या न हो चाहे वह डिफालटर हो । मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर किस आइडिया को लेकर आप चल रहे हैं । इतना प्रतिबंध तो होना चाहिये कि वह साधन सहकारी समिति का मैम्बर हो और डिफाल्टर न हो । एक आदमी जिस पर आज भी बकाया हो, एसेम्बली में जवाब देते हैं कि इस बकाया को लैण्ड रैवैन्यू की शक्ल में वसूल किया जायेगा लेकिन अभी तक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए डेढ़ साल इस सवाल को हो गये वसूली नहीं हुई । तो इस प्रकार वह एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेंगे वह भी बताना चाहता हूँ । (व्यवधान) आप जरा सुनें धरमपाल जी । उन्होंने क्या काम किये । वहां एक इलैक्टेड बोर्ड था उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि करनपुर में एक गोदाम बनाया जाय और उस प्रस्ताव के मुताबिक करनपुर में जमीन दे दिया और उस रिजोल्यूशन को एस.डी.एम ने मंजूर कर दिया, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक के अधिकारी द्वारा टेंडर माँगा गया और एक ठेकेदार का टेंडर मंजूर हो गया और उस ठेकेदार ने वहाँ सामान भेजकर काम शुरु करा दिया, नींव की खुदाई हो गयी, गोदाम बनाने वाले इंजीनियर ने जलसा किया और लड्डू लोगों को बंटवाये । लेकिन इस सब के बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटर डिफाल्टर था उसने प्रस्ताव भेजा था कि यह गोदाम करनपुर में न बनाया जाय और नगला में बनाया जाये, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रीराम, डिफाल्टर था, जिसके ताऊ और चचा डिफाल्टर हैं, उसने ठेकेदार को कह दिया कि वह दूसरी जगह जायें चूंकि करनपुर में बीज गोदाम नहीं बनेगा । जब नगले में बीज गोदाम की बुनियाद खुदना शुरु हुआ तो वहाँ के साधन सहकारी समिति के क्षेत्र में आने वाले प्रधानों में डी. एम. को प्रार्थना पत्र दिया कि नगले में गोदाम बनने का काम रुकवाया जाय, डी.एम. ने उस पर स्टे दिया । सचिव, कोआपरेटिव बैंक मुरादाबाद ने इसमें स्टे दिया । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग है कि जहाँ काम यदि स्टार्ट हो जायेगा तो उसे दूसरी जगह नहीं हटाया जायेगा । इसके साथ ही जिस जमीन पर गोदाम बन रहा था वह जमीन ग्राम सभा से दो व्यक्तियों के नाम पट्टे हो चुके थे, तो वह लोग 13-1-83 को कोर्ट का स्टे आर्डर ले लिया कि हमारी जमीन पर कैसे खुदाई हो रही है । यह जमीन नं० 307 लेखपाल के कागजात के अनुसार आबादी हेतु सुरक्षित है । तो मैं बताना चाहता हूँ कि तीन तीन जगह स्टे आर्डर होने के बावजूद भी उस एडमिनिस्ट्रेटर ने जिसको कि आपने एपाइन्ट किया उसने गोदाम बनाने का काम रोका नहीं, इसलिये जो नामिनेटेड आपके होगें वह इसी तरह का काम करेंगे । इसकी जगह-जगह मिसालें मिलेंगी ।

हर पंचायत अदालत में एक एक गोदाम बनाया जायेगा लेकिन आपको ताजुब होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं यह हमारे यहाँ बनवाये हैं और मूण्डे में एक फैडरेशन का भी गोदाम मूंडा और बिस्हटा साधन सहकारी समिति के गोदाम आमने सामने हैं इस-

लिये मूण्डे में तीन गोदाम हो गये जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती हैं चूंकि 9-9 मील की दूरी से लोग इन गोदामों पर आयेंगे। इसलिये जब वर्ल्ड बैंक ने रुपया दिया है, वह आपके विकास के लिये दिया है, तो उसको इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटरों को रखकर बरबाद न करें। इसलिये जल्दी में जो अध्यादेश आप लायेंगे तो इसी तरह के काम होंगे।

जो नगले में गोदाम आप बनवा रहे हैं वह जमीन पटवारी की नकल जो मेरे पास है उसके अनुसार वह जमीन आबादी के लिये सुरक्षित है, इसके अलावा उस गाँव के ऊपर सवा लाख से ऊपर बकाया है और जब वहाँ गोदाम बन जायेगा तो उस क्षेत्र के लोग उनसे दबे रहेंगे और यह सवा लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेटर का घपले में कर देंगे। इसलिये कोआपरेटिव संस्थाओं में हम चाहते हैं, हमारी उसमें आस्था है, कि कोआपरेटिव के जरिये से प्रदेश में विकास ही का काम हो। नौ-नौ साल के मरे हुओं के रिकार्ड चल रहे हैं, इसको तो मैं बाद में कोआपरेटिव ग्रान्ट के समय विस्तार से कहूँगा। समझ में नहीं आता है कि आखिर आप इसके इलेक्शन करवाने की बात को क्यों टालते हैं। कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप कर दिया। आपने कर दिया कि मेम्बर हो या न हो। इस का मतलब यह है कि सीतापुर का एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ में भी हो सकता है, तो वह कहीं का भी हो सकता है। यह बड़ी गलत बात है। इसलिए मैं इसके अनुमोदन की बात चाहता हूं और अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर जोर देना चाहता हूं। लेकिन जो प्रवर समिति का प्रस्ताव आ रहा है, वह भी किया जाए, तो भले ही एक दिन में किया जाए, लेकिन जो इस तरीके से अन्धाधुन्ध हो रहा है, उसपर हर हालत में रोक लगनी चाहिए। उन पर जब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो वह इसी तरह के उलटे सीधे कार्य करेंगे। जिनमें उनको पैसा मिलेगा, वह कार्य वह करेंगे सही या गलत। इसलिए मैं अपने इस अननुमोदन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ।

***श्री अम्मार रिज़वी**—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

माननीय रियासत हुसैन साहब ने इसके अननुमोदन का जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि जब वह कार्य करेंगे तो खुद सोचें कि जल्दी में ही उन्होंने कर दिया था, दिल से नहीं चाहते थे। जो बातें उन्होंने कहीं और वर्ल्ड बैंक के कोआपरेटिव स्टोर के बारे में कहा, यह बात सही है कि हम उस तरफ से गुजरे थे और मैंने उसे खुद देखा था। लेकिन इस वक्त जो संशोधन विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है, वह कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं है और न इस पार्टी का ऐसा कोई इरादा है कि प्रजातन्त्र के मूल्यों का हनन किया जाए या उस पर कुठाराघात किया जाए। 1965 का जो हमारा अधिनियम था उसकी धारा 29 के अन्तर्गत यह अधिकार निहित था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी जहाँ पर कमेटी का शासन काल समाप्त हो गया है, अधिक से अधिक एक साल के लिए एक आदमी को नियुक्त करने का प्राविधान पहले से था। इसके द्वारा बजाए एक के इसका प्रस्ताव किया गया है कि वह अधिक से अधिक 9 प्रबन्धक उसके बनाए जा सकते हैं। पहले जो एक आदमी को अधिकार दिया गया था, उसके स्थान पर अब 9 आदमियों की कमेटी को वह अधिकार दे दिए गये हैं। यानी इसमें इसके द्वारा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसमें एक व्यक्ति से अधिकार लेकर, 9 आदमियों को वितरित कर दिया गया है और उनकी एक कमेटी बना दी गई है। इसमें प्रजातन्त्र पर कुठाराघात की बात कहाँ है, यह बात कहाँ से आ गई है। आप स्वंय सोचें, यह बात जो है, जो हम करने जा रहे हैं, जो संशोधन हम रखने जा रहे हैं, वह प्रजातन्त्र को सुदृढ़ करने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

लिए और इन कमेटी को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए है, न कोई ऐसी बात है, जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट की या इन कमेटी को कोई नुकसान पहुंचे। तो यह बहुत छोटा सा संशोधन है, जिसको इतनी बड़ी चीज बनाकर पेश किया जा रहा है। यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है, जो एक आर्डिनेन्स की शक्ल में पहले रखा गया था, उसके एप्रूवल के लिए यह यहाँ रखा गया है, इसको सदन पारित करे। इससे प्रजातन्त्र सुदृढ़ होगा और कमेटी अधिक सक्रिय होगी।

श्री भीखा लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनता की राय जानने के लिए एक मास तक परिचालित किया जाय।

मान्यवर, इस सहकारी संशोधन से पहले अध्यादेश आया, उसके बाद उसकी जगह पर यह विधेयक लाया गया है और इस विधेयक को जिस मासूमियत के साथ हमारे मंत्रि मंडल के अमृतधारा जैसे मा० मंत्री अम्मार रिजवी जी हैं, ये हर मंत्री के लिए अमृतधारा की तरह काम करते हैं।

मान्यवर, जिस तरह से यह विधेयक मासूमियत के साथ पेश किया गया है, उस तरह से यह विधेयक मासूम नहीं है। मान्यवर, जहाँ तक सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता से संबंधित और चीजों का सम्बन्ध है, मेरा इस आन्दोलन में दृढ़ विश्वास है, मैं चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन पनपे और मजबूत हो, क्योंकि हमारे संविधान को घोषणा, और लक्ष्य के अनुसार समाजवाद की तरफ हमको बढ़ना है। सहकारिता के माध्यम से हमको उस रास्ते पर जाने में सुगमता होगी। लेकिन मान्यवर, आज इस व्यवस्था में, जिसमें हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जिस व्यवस्था के मातहत यह सहकारिता आंदोलन चल रहा है, आज एक-एक आदमी को इस सहकारिता आंदोलन से नफरत होती चली जा रही है। हर आदमी यह सोचता है कि अगर इस सहकारिता आंदोलन में फंस गये, तो हमारी तीन पीढ़ी उससे छुटकारा नहीं पायेंगी। यह क्यों है ? यह इसलिए कि यह लूट के अड्डे बन गये हैं, आये दिन इस सदन में प्रश्न होते रहते हैं और हमारे सहकारिता मंत्री जी या दूसरे उनके भारसाधक मंत्री जी इस सदन में उत्तर देते हैं कि जिस सोसायटी का, जिस समिति का प्रश्न उठाया गया है, उसमें लाखों का गबन है। तो आज यह लूट के अड्डे बने हुए हैं और कुछ लोगों के निहित स्वार्थ इसमें पैदा हो गये हैं, जो इन समितियों को अपने चंगुल से जाने नहीं देना चाहते हैं और वह निहित स्वार्थी लोग, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वह शासक दल में ज्यादा हैं। इसलिए ऐडिमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करो, नामजद करो, ताकि अपने आदमी बैठ जायं, ताकि अपने आदमी को लूटने खाने का मौका मिल जाय जो प्रशासक आपने मुकर्रर कर दिये हैं, उनके कार्यकाल सरकार 30 जून तक बढ़ाना चाहती है। आपने एक प्रक्रिया शुरू की कि सितम्बर, 1981 में हम इनका चुनाव करायेंगे, क्योंकि चुनी हुई समितियां नहीं हैं।

एक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जैसा माननीय रियासत हुसेन साहब ने अभी जिक्र किया आप अपने घरेलू झगड़े की वजह से उस चुनाव की प्रक्रिया जारी नहीं कर पाये और आपने उसको जानकर छोड़ दिया और आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया हर समितियों में और उसमें कितने झगड़े हुए, यह आप जानते हैं, कितने झगड़े आपके दल में, आपकी पार्टी में हुए। जिनका कार्यकाल एक साल तक हो सकता है, जिनको अप्रैल में समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उनको बढ़ाते जा रहे हैं 30 जून तक। इसके पीछे आपकी नियत साफ नहीं है।

मान्यवर, बार बार इस सदन में मांग की गयी कि पंचायतों के चुनाव जुलाई 82 में पूरे हो गये तो अब क्षेत्र समितियों का गठन किया जाय लेकिन क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों का गठन नहीं किया जाता है। सरकार से घोषणा होती है कि नवंबर में दिसंबर में चुनाव करा दिये जायेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री जी ने दो तीन दिन पहले सदन में कहा कि हम मई तक चुनाव करा देंगे। अगर यह बात सही है तो क्षेत्र समितियों जिला परिषदों का गठन मई तक हो जायगा। तो उससे पहले सरकार इन सहकारी समितियों के चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है कारण यह है कि क्षेत्र समितियों में सहकारी समितियों के आदमी को आप्ट होकर आयेंगे और समितियों में शासन द्वारा नामजद प्रतिनिधि आ जायेंगे इसलिये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि जो हमारे नामजद लोग हैं वही क्षेत्र समितियों में पहुँचे ताकि अपने ढंग से आप काम कर सकें। सरकार ने पूरी पूरी जानकारी कर ली है कि प्रदेश में विकास समितियां की स्थिति आज कैसी है। इनके पास सी० आई० डी० है, पुलिस है, एल० आई० यू०, तहसील और विकास खंड हैं, हर जगह से मालुम कर लिया है कि विकास खंडों की स्थिति क्या है। यह लोग जानते हैं कि अगर विकास समितियों का गठन किया जायगा और प्रमुख का चुनाव किया जायगा तो बहुत से विकास खण्डों में शासक पार्टी के लोग ब्लाक प्रमुख नहीं हो पायेंगे, ऐसी सरकार के पास रिर्पोट आयी है। इसलिये विकास समितियों में अपना बहुमत बनाने के लिये सरकार यह साजिश कर रही है, इसलिये मैं कहता हूँ कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार चाहती है कि जनता के प्रतिनिधि क्षेत्र समितियों में न पहुँचे बल्कि और वहां उनके अपने आदमी पहुँचे। इसलिये यह सारा तिकड़म हो रहा है।

जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने कहा कोई भी आदमी कहीं का भी हो चाहे सदस्य हो या न हो उसको आसानी से प्रशासक बनाया जा सकता है, निबंधक को अधिकार है और ऐसे अधिकारी को चुनौती देने के लिये अदालत में जाने की इजाजत नहीं दी गयी है। बंदिश लगा दी गयी है कि वह अदालत में नहीं जा सकता। मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, हम थोड़ा कार्य-काल बढ़ा रहे हैं और इसी बीच में चुनाव करा लेंगे तो मान्यवर सरकार की नीयत साफ नहीं है। चुनाव आप कराना नहीं चाहते हैं। निहित स्वार्थी तत्वों को इन संस्थाओं में बैठाकर लूट खसोट का मौका देना चाहते हैं इसलिये कोआपरेटिव आंदोलन, सहकारिता आंदोलन के प्रति जनता को घृणा पैदा हो गयी है। इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को जनता में एक महीने परिचालित किया जाय और जनता की राय ली जाय और उसके बाद सदन में विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में रखता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप अपना प्रस्ताव रखें उसके बाद सदन में इस पर चर्चा होगी।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश [सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, सहकारिता आंदोलन सर्वहारा वर्ग के लिये, उसके उत्थान के लिये और विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था को पुर्नस्थापित करने तथा गांधी जी के सपनों को साकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

करने के लिये एक शीर्षस्थ संबल है। लेकिन इस सरकार ने जिस ढंग से उसको जकड़ने की कोशिश की है उससे सहकारिता आंदोलन के मूल सिद्धांत तिरोहित करके इस राष्ट्रीय अभियान को कलंकित कर दिया है। यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई नयी बात नहीं है छोटा सा संशोधन है, एक की जगह 9 कर दिया है। मान्यवर, प्रशासक की नियुक्ति वाला प्रयोग अगर सफल होता तो मुझे कोई एतराज नहीं होता, यह एक की जगह 9 कर देते, मगर देखने में यह आया है कि प्रयोग सफल नहीं हुआ है। अभी तक तो एक ही व्यक्ति लूटता था, अब इसके हो जाने के बाद 9 व्यक्यिों को लूटने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। सहकारिता का मूल सिद्धान्त यह है कि वह जनता पर आधारित होना चाहिये और उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिये, पर आपने तो सरकारीकरण ही नहीं, उसका दलीयकरण कर दिया है और उसकी पुष्टि में मैं अपने क्षेत्र बिसवां (सीतापुर) का एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। यह प्रशासक अपने सगे संबंधियों को सेल्समैन नियुक्त कर देते हैं और फिर दोनों की सांठगाठ से भ्रष्टाचार पनपता रहता है। लखपती लोगों के लड़के 100-100 रुपये पर सेल्समैन बने हुये हैं, यह क्या है ? मैं माननीय रामकुमार भागर्व जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, पर एक पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष श्री बृजराजसिंह ने उनको लिखी है। उससे पता चलेगा कि इन प्रशासकों की भूमिका क्या है ? इस समय यहां पर सहकारिता मंत्री श्री बच्चा पाठक जी नहीं हैं, उनको तो अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि आज इस विभाग का सारा प्रशासन चौपट हो गया है। उनको तो अपनी असफलता स्वीकार करते हुए फौरन त्यागपत्र दे देना चाहिये।

मान्यवर, हमारे यहाँ के प्रशासक के विरुद्ध सचिव ने एक एफ० आई० आर० तक लिखवायी क्योंकि एक दिन उन्होंने गुल्लक तोड़ कर सारा पैसा आदि निकाल लिया और कई आरोप उनके खिलाफ थे। मगर अन्त में उस कर्मचारी को विवश होकर श्री बृजराज सिंह के चरणों में गिरना पड़ा और उनको यह विश्वास दिलाना पड़ा कि अब भविष्य में जैसा वे कहेंगे वह वैसा ही करेगा और उनके आश्वासन देने पर प्रशासक ने जो पत्र श्री रामकुमार भार्गव को लिखा, जिसकी फोटोस्टेट कापी मैंने आपको पहले से भेज रखी है, उसे पढ़ना चाहता हूँ—

प्रिय भार्गव जी, विधायक बिसवाँ, नमस्ते,

सचिव हथिया गाजीपुर श्री सुन्दर लाल ने कांग्रेस पार्टी के आदेशों का पूर्णतया पालन करने का वायदा किया है। कई खास-खास लोगों के सामने कि हम कायापलट करके जैसे पहले था वैसा ही बना देंगे। अत: आपसे निवेदन है कि यदि इनकी बात पर आपको विश्वास हो तो इन्हें रुकवा दें।

शेष बातें मिलने पर, आपका

बृजराजसिंह। 5-4-82

मान्यवर, इससे यह पता चलता है कि जब उसने यह आश्वासन दे दिया कि वह कांग्रेस पार्टी के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा तो उसके ट्रान्सफर को रुकवाने के लिये प्रशासक महोदय ने यह पत्र श्री भार्गव जी को लिखा। अब एक सरकारी कर्मचारी से अगर पार्टी के आदेशों का पालन कराने के लिये विवश किया जायेगा तो क्या अर्थ होगा ?

श्री धरमपाल—

यह चिट्ठी आपने किससे लिखवायी ? (व्यवधान)

श्री हुकमसिंह—

यह माननीय धरमपाल से लिखवायी थी। (हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक और उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक दैनिक अखबार 'जन-मोर्चा' फैजाबाद से निकलता है। इस आदरणीय सदन में उस पर चर्चा भी हुई है कि नीम खली की खरीद में करीब-करीब 1 करोड़ रुपये का घोटाला था""मान्यवर, उस घोटाले को सबसे पहले इस अखबार ने उजागर किया। जन मोर्चा अखबार में स्कैंडल छपा, जिससे हम सदस्यों को इसकी जानकारी मिली और हम लोग सदन में उसको लाये। मान्यवर, उस अखबार ने इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया तो हमारे जो निबन्धक महोदय, सहकारी समितियां हैं, उनको यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चुनाव समय पर नहीं हुई हैं इसलिए तुम्हारा मैनेजमेंट भंग किया जाता है। यह सही है कि जो उनकी समिति थी उस समय का चुनाव समय पर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने समिति का चुनाव कराने के लिए निबन्धक को पत्र लिखा कि कोई तिथि तय कर दें। तिथि तय करने का काम निबन्धक का है। आपने तिथि तय करने के बजाय उसे भंग ही कर दिया। भंग ही नहीं किया बल्कि जो पी०सी०एफ० से उनको विज्ञापन दिये जाते थे, उन विज्ञापनों पर ही रोक लगा दी गयी। सहकारी सेक्टर के एक अखबार ने सहकारिता विभाग के इस घोटाले को छापने का प्रयास साहस किया, तो उसका परिणाम यह हुआ। माननीय सदस्य पता लगायें कि निबन्धक को शासन को क्या दिलचस्पी थी। नीम खली घोटाला निकाल दिया तो क्या हुआ। इसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। यह पूरे सहकारिता आँदोलन का तिरस्कार है। जो आपकी नीति है कैसे उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैंने रखा है इसको वहाँ जाना चाहिए।

मान्यवर, जो बिल आया है उसमें मेरी आस्था है, विश्वास है। संक्षिप्त में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूँ। वैसे तो सरकार तारीख तय करती है। सरकार बहाना ले ले कि तारीख तय नहीं हुई, भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दें तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं, निर्धारित समय में चुनाव न हो प्रशासक नियुक्त करें। आप कमेटी बनाये इसकी और उसमें राजकीय कर्मचारी नियुक्त करें विथ किल्यर अन्डरस्टेंडिग, उसको साफ निर्देशों के साथ कि आप दो महीने के अन्दर चुनाव की कार्यवाही पूरी कर देंगे। इस बात को मान सकते हैं कि कभी कभी समितियां गड़बड़ हो जाती हैं। वहां के लोगों का निहित स्वार्थ हो सकता है चुनाव नहीं कराये जाते। निबंधक को चाहिए कि यथा समय चुनाव करा दें। सरकारी आदमी को इस अंडरस्टेंडिग के साथ नियुक्त करें कि जो कमियां हों उनको दूर करके 2 महीने के अन्दर चुनाव करायें। मैंने स्वयं समय बन्धन का सुझाव दिया है। यदि समय का बन्धन नहीं होगा तो एक साल दो साल या वर्षों तक बिना चुनाव चल सकते हैं। निर्देश दें कि 2 महीने में आप चुनाव करा देंगे। 2 महीने में चुनाव कराने के बाद प्रशासक को वहां से हटाकर जो समिति बने उसको दे देना चाहिए। यह सैध्दान्तिक मामला है।

मैं भ्रष्टाचार की चाहूँ तो कई उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत से माननीय सदस्य भी देंगे। मान्यवर यह लोग सैद्धान्तिक बहाना लेकर सहकारिता आंदोलन को कलंकित करते हैं, उसमें आस्था समाप्त होती जा रही है। जब सामाजिक कार्यकर्ता गांव में जाता है या सहकारी आंदोलन में कहीं पर जाता है तो उसके ऊपर अनेकों प्रकार की शंका पैदा हो जाती है इसका परिणाम यह है कि उससे सामाजिक कार्यकर्ता के चरित्र पर शंका पैदा हो रही है। इसलिए जो मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

सहकारिता आंदोलन को शुद्ध परिष्कृत एवं सर्वाहारा वर्ग के लिए जनपयोगी बनाया जा सके। मान्यवर, इस पर चर्चा के लिए कोई लम्बी बात नहीं है। आर्डिनेन्स लाना तो इनके बायें हाथ का खेल है। मैंने प्रस्ताव किया है कि एक महीने के अंदर प्रवर समिति रिपोर्ट दे। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से मैं कहूँगा कि इसमें कोई बहस का सवाल नहीं है। इसे एक महीने के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाय मैं आपकी कठिनाई को समझ रहा हूं कि किन कारणों से चुनाव नहीं हो सके। हम उस पर विचार नहीं करेंगे, आपके सरकारीकरण को नहीं आने देंगे। मान्यवर मैं चाहूँगा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर 5 बजे तक चर्चा होनी है। तो 5 मिनट फी सदस्य रखा जाय।

एक सदस्य—

10 मिनट कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है। 10 मिनट तक !

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय सदस्य विरोध पक्ष किसी राग और द्वेष के वशीभूत होकर भाषण कर रहे हैं।

श्री भीखा लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जाने अनजाने एक अव्यवस्था हो गई अब इसको सुधार लिया जाय। आप देखें 11 नम्बर पर रियासत हुसैन का अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव है। उसको इन्होंने पेश किया उस पर मत नहीं लिया गया। फिर 18 की मद मंत्री जी ने रखा नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने विचार के लिये रखा है। उन्होंने कहा कि विचार किया जाय।

श्री भीखा लाल—

आप कहते हैं तो शिरोधार्य है। रियासत भाई के प्रस्ताव पर मत होना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता—

अभी मद संख्या 11, 12, 13, में भी इसी प्रकार से हुआ है शिक्षा वाले में भी सारी मदें एक साथ ली गई हैं। उसी क्रम में इसमें भी चल रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

मद संख्या 16 देखें।

श्री अधिष्ठाता—

14, 15, 16 को स्थगित कर दिया गया है। उस पर व्यवस्था का प्रश्न है उसको देखने के बाद विचार होगा। 17 से शुरू हुआ।

श्री हुकमसिंह—

17 है ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि सहकारिता ने तो नहीं खा लिया। क्योंकि यह करोड़ों रुपये खाने के आदी है, कहीं मद भी तो नहीं खा गये।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रिंटिंग की गलती हो सकती है, मद तो लिखा है।

***श्री काशीनाथ मिश्र** –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक इस संशोधन विधेयक का प्रश्न है पूरा सहकारिता आन्दोलन का स्वरूप इस प्रदेश में आज क्या है इस तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पूरा सहकारिता आन्दोलन आज ऐसा लगता है जो वितरण व्यवस्था दी गई है जन साधारण और दरिद्र जन का शोषण का साधन बना हुआ है। आज वितरण व्यवस्था जिस तरीके से सहकारी समितियों और संस्थाओं के माध्यम से संचालित हो रही है इसके लगता है कि सहकारिता विभाग दरिद्र मानव के शोषण का साधन बना है। आप देखें वितरण व्यवस्था को।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ हमारे अम्मार रिजवी साहब भारसाधक मंत्री हैं। मैं पूछना चाहूँगा और आपसे व्यवस्था चाहूँगा कि क्या कोई मंत्री विशेष पूरे बजट सत्र के लिये अपने संसदीय कार्यों के उत्तरदायित्व से विमुक्त किया जा सकता है। इसके पहले प्रश्न का जबाब बलराम सिंह यादव ने दिया, आज बिल अम्मार रिजवी साहब ने पेश किया। रियासत हुसेन साहब और बहुत से संसदीय पद्धति के जानने वाले बैठे हैं— क्या कोई मंत्री विशेष संसदीय कार्यों के उत्तरदायित्व से पूरे बजट सत्र के लिये विमुक्त किया जा सकता है। कोई भी संसदीय पद्धति का माहिर व्यक्ति इस नतीजे पर पहुंचेगा नहीं यह मंत्री की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपने संसदीय कार्यों का निर्वहन इस आदरणीय सदन में करें। जहाँ तक इस बिल का प्रश्न है इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़े। एक तरफ कहा जाता है कि जन साधारण को इसमें लगाने के लिए जन साधारण की दिलचस्पी इसमें हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों, कैसे होगा। जब आप सहकारी समितियों का चुनाव करायेंगे तभी तो दिलचस्पी बढ़ेगी। आप विरोधी बातों को लिखे हैं उद्देश्य और कारणों में, चाहे अफसरों की तरफ से लिखकर आया हो या मंत्री की तरफ से। मैं उस दिमाग की दाद देता हूँ। लिखा गया है कि, आप इसको देखें, सहकारी समितियों के कार्यकलाप में जनता को सम्मिलित करने और उसके प्रजातांत्रिक आधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि निबन्धक को प्रशासक या प्रशासक कमेटी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाय। कौन लोग नियुक्त हो रहे हैं। जनसाधारण में आम चर्चा है और हमारे जिले में किसी भी प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई है, पैसे के बल पर नियुक्ति हो रही है। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सहकारी समितियों का सिलसिला शुरु किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत से प्राइवेट दुकानदारों मोटर साइकिलों पर चलते थे इससे उनसे लेकर हम सहकारी समितियों को दे रहे हैं और माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे लेकिन आज सहकारी समितियों के माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]—

श्रीमन् मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, कि हमारे जिले में गरीब लोगों को बिल्कुल गल्ला नहीं मिल पा रहा है, चीनी, कपड़ा आदि। बहुत से ऐसे लोग कह सकते हैं कि सत्ता पार्टी में रहकर आप अपनी व्यवस्था का विरोध करते हैं।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारा हाथ का सम्बन्ध है, मैं अपना संसदीय उत्तरदायित्व समझता हूँ और हमारा हाथ बंधा है, न चाहते हुए भी हाथ उठा करेगा शासन के साथ लेकिन जुबान, वाणी, हम विवेक से बंधे हैं और उन लोगों से बंधे हैं जिनके बीच से हम चुनाव जीत कर आये हैं। यह भी सम्भव नहीं कि हम उनकी तरफदारी न करें। उनकी जरूरतों का जिक्र न करें और क्षेत्र के लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है इस सहकारी समिति के चलते, इसमें जन साधारण का समावेश नहीं होगा। प्रशासक ने जो सही या गलत काम कर दिया उसी को इस कानून के जरिये, संशोधन के जरिये कानूनी जामा पहनाना चाहते है। प्रशासक भ्रष्ट आचरण करे, गलत काम करे, कानूनी जामा पहनाते रहें, यह सभी लोगों के लिये शर्म की बात है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ और इससे समझता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ता जायेगा और ऐसे ही लोग प्रशासक नियुक्त होंगे जो ऐसे काम किये होंगे।

हमारे जिले में चार-चार, पाँच-पाँच प्रशासक निलम्बित किये गये, गौरी भैय्या जानते होंगे, उसी जिले के रहने वाले हैं, पाँच-पाँच, छः-छः हजार का रिश्वत देकर बहाल हो गये। मैं कहना चाहता हूँ कि साल के अन्दर जिनकी अवधि समाप्त हो रही है, सारे सचिवों को, सारे प्रशासकों को हटाना चाहिये और नये सिरों से चुनाव करवायें। यही नहीं मैं अम्मार रिजवी साहब से कहूँगा कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया जायेगा। अगर कुठाराघात करना है तो सही तरीके से एक पूरा मुकम्मल बिल लायें सहकारी समितियों के सम्बन्ध में, इस संशोधन को वापस लें। सहकारी आन्दोलन जन-जन में बढ़े, जन-जन का सहयोग लें, बिना विस्तृत विवेचना के साथ विधेयक प्रस्तुत करें। इस प्रस्ताव का मैं जनहित में विरोध करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुकम्मल विधेयक आना चाहिये सहकारिता के सम्बन्ध में (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मा० सदस्य कृपया शान्ति रहें। माननीय सदस्य बैठें।

***श्री केदारनाथ सिंह**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आज जो संशोधन विधेयक लाया गया है, इसको समझाने के लिये सदन के माननीय सदस्यों मे निवेदन करूंगा कि अधिनियम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए, पृष्ठभूमि को देखते हुए इसको पास करने के संबंध में निर्णय लें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा–4 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इसको आप देखें इसमें स्पष्ट लिखा है कि सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक संगठन होगा। इसका संचालन सार्वजनिक आधार पर होगा। सहकारिता का यह शील है, आत्मा है। वर्ना मैं समझता हूँ कि सहकारी समितियों में और फर्म में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा अगर यह दो चीजें निकाल दी जायें। जैसे कुछ समूह मिलकर एक फार्म की स्थापना कर लेते हैं उसी तरह सहकारी समिति भी कुछ लोग मिलकर बना लेंगे। सारी आत्मा सहकारिता की मर जायेगी। इसीलिये धारा 4 में प्रारम्भ में ही सहकारिता के उद्देश्य मे यह कहा गया है। आज मैं सत्ता पक्ष के विरोध में नहीं खड़ा हुआ हूँ, आलोचना के लिहाज से नहीं खड़ा हुआ हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में इसी सरकार ने जो आज है, सन् 76 में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया था। जिसकी सराहना पूरे प्रदेश के अन्दर ही नहीं हिन्दुस्तान में और विश्व में की गयो थी। उसके पूर्व सहकारी समितियों में कुछ लोगों ने फर्म बनाकर अधिकार कर लिया था। उस अधिकार को समाप्त करने के लिये नियमों में 1976 में परिवर्तन किया गया। जिस सहकारी समिति अधिनियम संख्या 29 का संशोधन सन् 76 में हुआ था उसी सहकारी समिति अधिनियम संख्या 29 का संशोधन आज पुनः होने जा रहा है। आपने तो अधिनियम का एक-एक शब्द पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। इससे पहले सहकारी समितियों के प्राधिकारो कोई न कोई कारण दिखलाकर हाई कोर्ट के जरिये चुनाव रुकवा लेते थे और अपने पदों पर विद्यमान रहते थे। यह नियम था जि जब तक दूसरे चुनाव नहीं हो जाते दूसरी कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक वर्तमान कमेटी कार्य करती रहेगी। इसमें होता था कि तीन वर्ष के बजाये 6-6, 7-7, 10-10 वर्षों तक काम करते थे।...

[3 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर इसका क्रेडिट लेने वाला सत्ता पक्ष ही था : इसे कभी समाप्त करने का कार्य सत्ता पक्ष ने अधिनियम में संशोधन करके किया था। आज हम विरोध पक्ष में बैठने के बावजूद भी इस बात को महसूस करते हैं कि हम लोगों का जो कार्यकाल था अर्थात इससे पूर्व का जो शासनकाल था, सहकारिता के मामले में उसका चेहरा साफ रहा है मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार अधिकारियों के जरिये और कर्मचारियों के जरिये पनपता है और पनप भी रहा है। यह दीगर बात है लेकिन कानूनों के सम्बन्ध में सत्ता पक्ष का हृदय हमेशा साफ रहा है और धारा 29 में, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि, जरा माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। क्या सरकार समझती है कि अधिनियम की धारा-29 अपने में पूर्ण नहीं है जो आज आपको अधिनियम में संशोधन लाने को आवश्यकता पड़ी। मान्यवर, यह अपने में पूर्ण था, इसमें कोई दो-राय नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी प्रबन्ध कमेटी चुनाव कराने में विफल रही हो, चाहे उसके कोई भी कारण रहे हों, उस प्रबन्ध कमेटी को हटा दिया जायेगा ताकि उनका एकाधिकार न रह सके। और इसकी जगह पर प्रशासक की नियुक्ति का प्राविधान सन् 1976 में ही कर दिया गया था और सन् 1976 में प्रशासक को अधिकार प्रदत्त हो गये थे तो आज प्रशासक कमेटी की आवश्यकता क्या आ गई। क्या आप खुद को भ्रमित करना चाहते हैं। मान्यवर, इन्होंने वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करके ढोंग रचा है कि यह नियुक्ति जो है लोक-तांत्रिक है और प्रजातांत्रिक है। यह आप हमको धोखा नहीं दे रहे हैं, प्रदेश को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज आप सहकारिता के कानून के सम्बन्ध में, अधिनियम के सम्बन्ध में संशोधन लाकर जो आज तक साफ-सुथरा रहा हो, अपने मुंह में कालिख पोतना क्यों चाहते हैं, इसे आप कालिख से रोकें। यह आप कहें या न कहें, हम लोग कहें या नहीं कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है परन्तु पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है और आप पर संका व्यक्त कर रही है कि आज जो आप सहकारी अधिनियम में संशोधन लाकर प्रशासक समिति की नियुक्ति करने जा रहे हैं, वह अभिप्राय आपका कलुषित है।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के जो उद्देश्य लिखे गये हैं उसमें लिखा गया है कि सहकारिता समिति के कार्यकलाप में जनता को शामिल करेंगे और उसका प्रजातांत्रिक आधार सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि निबन्धक प्रशासक या प्रशासक कमेटी नियुक्त करने की

[श्री केदारनाथ सिंह—]

शक्ति प्रदान की जाय। जिसमें 9 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और उसमें कम से कम 2 सेवक होने चाहिये। मान्यवर मैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हम यह होंग रच रहे हैं, और यह जो लिखा है कि प्रजातांत्रिक आधार सुनिश्चित करने के लिये, इसमें आप जो कमेटी नियुक्त करेंगे उसमें अपने दल के लोगों को नियुक्त करेंगे। मान्यवर पिछले साल यह नाटक इस प्रदेश में रचा गया था- सबसे एप्लीकेशन इनवाइट की गयी और तमाम लोग अपनी-अपनी दरख्वास्त लेकर दौड़-फिर रहे थे, क्या इसको आप प्रजातांत्रिक आधार मानते हैं। पूरे प्रदेश में प्रशासक कमेटी नियुक्त कर दें, क्या यह प्रजातांत्रिक आधार माना जायेगा। यह ढकोसला जो आप अपने चेहरे पर नकाब लगाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं इस संशोधन विधेयक के जरिये, इसको वापस लीजिये, इसी में आपका सम्मान है।

श्री धरम पाल—

मान्यवर मैं आपका अभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर बोलने का मुझे समय दिया।

अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बोल रहे थे, तब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो पक्ष पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करता हो वह सहकारिता के पक्ष में कैसे बोल रहा है। जब उन्होंमें सुझाव दिया कि प्रशासकों की नियुक्ति हटाकर उनका प्रबन्ध सरकारी अधिकारियों को दे दिया जाय यह आजतक सरकारी अधिकारियों को बुरा कहते रहे हैं, आज उनकी वकालत कैसे करने लगे। यह तो सहकारिता के नाम पर कलंक होगा कि भारतीय जनता पार्टी सहकारिता की वकालत करे। इन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया। महात्मा गाँधी की बात राजेन्द्र गुप्ता जी के मुंह से शोभा नहीं दे रही थी। आज इस दल की हिम्मत कैसे पड़ती है गांधी जी का नाम लेने की।

कार्शीनाथ जी ने विपक्ष में काफी बातें कहीं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रशासकों को नियुक्तियां को गयी हैं, विधान मण्डल के सदस्यों से पूछकर ही की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त वितरण व्यवस्था के ऊपर आरोप लगाया गया है....

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता—

मा० सदस्य शान्त रहें। हर एक को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री धरम पाल—

वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जनता पार्टी के जमाने में गैरकानूनी तरीके से तहसीलों में बैठकर जो चयन समिति नियुक्त कीं....

[घोर व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहें।

श्री धरम पाल—

मेरी जानकारी हैं कि इस आधार पर दुकानदारों को दूकानें दी गयी थीं कि वे ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और चुनाव में मदद करेंगे। सरकारी वितरण व्यस्था जब से हुई है, तब से गांवों में जो दुकाने है, उनमें गल्ला उठाने में बचत हो रही है। 20 से 30 प्रतिशत गांवों के लोगों की कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से खरीद रहे हैं। इन्होंने कहा कि गांधोजी की हत्या हो रही है, यह इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इस प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि गांधी जी के हत्यारे गांधी जी का नाम नहीं लेंगे।

***श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस पर मा० काशीनाथ मिश्रा जी बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाल रहे थे। पंडित जी ने इस बात को कहा था कि सहकारिता, पंचायत और प्राइमरी स्कूल हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। जिस समय यह आन्दोलन शुरु हुआ, सबने इसको अपनाया और सरकारी समितियों के माध्यम से कार्य भी अच्छा हुआ, लेकिन इस 10-12 वर्ष के बीच में इसमें तमाम गड़बड़ियाँ पैदा हुई। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जैसा मा० रियासत हुसैन साहब ने बताया कि स्वयं मेरे विकास खण्ड साल्दे में एक लड़का इण्टर कालेज में पड़ता है जयसिंह नाम का, उसको प्रशासक बना दिया गया, जब अल्मोड़ा में सूची देखी। तो हमें इस प्रशासन पर तरस आता है कि यह प्रशासन इस देश को कहाँ ले जायेगा। इन्टर कालेज में पढ़ने वाला एक छात्र जिसे सहकारी समितियों का प्रशासक बना दिया गया है, इसी तरह से 7–8 आदमियों के नाम हमने और देखे, जो वहां पर सदस्य हैं और कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, जिनके ऊपर ड्यूज हैं, उन्हें भी बनाया गया है। [शोर]

श्री धरम पाल—

आपका नाम भी नोट कर लिया जायेगा, अगली बार आपको अवसर दे दिया जायेगा, जिससे आपको बाहर जाने का....

(शोर)

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

आपकी दया से हमें बाहर जाने का अवसर मिल चुका है और हमने महाराष्ट्र व मद्रास की सहकारी समितियाँ भी देखी हैं और उस समय देखी हैं, जब महाराष्ट्र में सहकारी समितियों में आंदोलन चल रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ इसकी प्रगति के क्या कारण हैं। लेकिन आज यहाँ पर भी सहकारी समितियों में आंदोलन चल रहे हैं परन्तु आज जो स्थिति यहाँ पर है वह शायद अपने देश के किसी भी प्रदेश में न हो, हमें इसकी गहराई व असल बुनियाद में जाना चाहिए, तभी इस ओर कोई हल निकल सकता है, और मान्यवर, जब से इस विभाग के मा० मंत्री श्री बच्चा पाठक जी बने हैं, तब से भ्रष्टाचार का ऊपर से नीचे तक बहुत बोलबाला है और एक-एक सचिव की नियुक्ति में 6-6 हजार रु० [× ×] (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:—[× ×]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा व्यक्तिगत आरोप आप किसी पर नहीं लगा सकते हैं और यह अंश कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

(शोर)

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह बातें हम यहाँ अगर न कहें तो फिर कहाँ जाकर कहें, जबकि हर छोटे-बड़े अखबार वाले रोजाना इन मंत्री महोदय के विरुद्ध कुछ न कुछ छाप रहे हैं, क्या उन्हें जनता नहीं देखती होगी और इनके इस प्रकार के क्रिया-कलापों से वह निराश नहीं होती होगी । अगर यह यहाँ नहीं कहा जाये तो सबसे बड़ा अनर्थ होगा । और अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि सहकारिता विभाग में प्रगति और गति आए तो यह आवश्यक हो जाता है कि जिस तरह अन्य प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात आदि उदाहरण है हमारे सामने ठीक तरह से चलने में, तो हमें इस ओर सुधार लाने होंगे और जो भी कोई गलत ढंग से कार्य करता है उन पर कड़ी निगाह रखनी होगी और मैं तो समझता हूं कि हमारे इस समय की मौजूदा सरकार में तीन चीजें प्राइमरी स्कूल्स, पंचायत तथा सहकारी समितियों में मट्ठा डाल रखा है । प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक आज नहीं हैं, वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है तथा पंचायतों द्वारा संचालित क्षेत्र समितियों का गठन काफी समय से नहीं हुआ है और सहकारियों समितियों की हालत हम आप स्वयं आज देख रहे हैं । इसलिए आप और हम स्वयं अपने दिल पर ईमानीदारी के साथ हाथ रखकर देखें और तय करें कि कुछ [* *] करने वाले ये लोग (शासन पक्ष की ओर इशारा करते हुए) जो इस प्रशासन को बिगाड़ कर किसी और तरफ लिये जा रहे हैं । यह हमारे अम्मार साहब जो हर मर्ज की दवा हैं, और हर चीज की जानकारी रखते हैं स्वयं अपने अनुभव के आधार पर बतायें कि इस बिगड़ी हुई स्थिति पर किस तरह काबू पाया जा सकता है । मैं तो कहता हूं कि जब तक इन भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया नहीं जायेगा, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में सदस्यों के लिये जो "[× ×]" शब्द का इस्तेमाल किया है, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

***श्री श्यामलाल बाजपेयी**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सहकारिता से संबंधित अधिनियम जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 है यह संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । मान्यवर, आज की चर्चा में भाग लेने वालों में इस सदन के बहुत ही पढ़े लिखे, शिष्ट, अनुभवी और संसदीय कार्यों के आचार्य माननीय काशीनाथ मिश्र की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना । मान्यवर, उनकी और मेरी अवस्था में ज्यादा अन्तर नहीं होगा और न मेरे अध्ययन में ही उनसे ज्यादा अन्तर होगा और मैं मान्यवर, यह भी कहता हूं कि उनका संसदीय अध्ययन जो है उससे मैं अपनी तुलना नहीं करता हूं परन्तु कहीं से मेरा 19 ठहरने का सवाल नहीं होगा ।

मान्यवर, जहाँ तक सहकारिता आन्दोलन का सवाल है, उत्तर प्रदेश को उठाने का सवाल है, मैंने सही आंखों से गली कूचों में देखा है कि सहकारिता में कहीं-कहीं फर्क जरूर

नोटः—[**[यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :—[× ×]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है परन्तु हमारा एक लक्ष्य है, हमें उसकी ओर बढ़ना है, बुराई नहीं बल्कि भलाई देखनी है। जैसे भी हो, उसमें अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा और एक ने तो भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात की, तो उन्होंने तो कल्पना की थी, मैं उनकी आलोचना नहीं करता और नहीं समर्थन परन्तु मान्यवर, बहुत सी उच्च कल्पनायें होती हैं। यह उच्च कल्पनाओं का समय बीत गया, इस समय आप यथार्थ की बात करें।

मान्यवर, प्रशासक की बात की गयी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बतला देना चाहता हूं कि टाउन एरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड तथा महापालिका सारे के सारे अधिकारियों के हाथ में हैं। हमारे वयोवृद्ध नेता बैठे हुए हैं, वे विपक्ष में होते हुए भी, उन्होंने क्या कहा है अब आंसू आते हैं। मान्यवर, उन अफसरों की जगह पर समाज का कोई व्यक्ति हो तो उसे कम से कम हया शर्म तो होगी। अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक बात कही कि सरकारी व्यक्तियों को दे दिया जाय। जब हम इस ओर बढ़ते हैं बजाय सरकारी व्यक्तियों के हम उस उत्तरदायित्व को सामाजिक व्यक्तियों के हाथ में सौंपे तो उसमें नाना प्रकार की बातें आती हैं।

अभी माननीय काशीनाथ मिश्रा जी ने कहा कि चुनाव के बारे में। तो चुनाव एक प्रक्रिया है परन्तु चुनाव न होने के लिये जब एक प्रशासक अकेले चला रहा है तो इसमें, इस संस्था में एक की जगह 9 व्यक्तियों का प्राविधान किया गया है जिसमें दो सरकारी व्यक्ति भी होंगे चाहे वो सचिव हों, चाहे ए० आर० हों या ए० डी० ओ० हों, चाहे कोई हों। जहाँ वो एक के हाथ में था, इससे बड़ी और क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो सकता है कि एक के बजाय उसमें 9 व्यक्ति कर दिये गये हैं। 9 के माध्यम से एक मण्डल बना दिया और मण्डल के जरिये कार्य का संचालन हो।

आप लोगों का कहना वितरण के संबंध में भी था। मान्यवर, जब शक्कर के दाम ज्यादा थे तब शक्कर नहीं मिलती थी और आज जब शक्कर के दाम कम हैं तो शक्कर सबको सुलभ है। इसी प्रकार से गेहूं की भी बात है। आज आप गेहूँ के लिये कहते हैं कि गेहूँ नहीं उपलब्ध हो रहा है तो इसके लिये हमारे माननीय मन्त्री जी क्या करें? जो समिति बनी हुई है, उस समिति द्वारा वितरण की व्यवस्था हो रही है। उसमें जनता के लोग भी है, हमारे जन प्रतिनिधि भी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने रामकुमार भार्गव को एक पत्र लिखा है ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने....तो मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि ब्लाक काँग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हमें पत्र नहीं लिखेगा तो किसको लिखेगा? जो लिखा है वह सही लिखा है, इसको देखना है। जब तक उस पत्र की प्रमाणिकता सिद्ध न हो जाय तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सही है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं काशीनाथ मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वह एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मंत्री भी थे अब नहीं हैं। तो अगर कोई व्यक्तिगत बात है, उसे सदन का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह पूरे प्रदेश का मामला है उससे सभी प्रभावित हैं। पानी जब बरसता है तो उसमें अकेले गौरी भैया ही नहीं भीगते हैं सभी भीगते हैं। व्यक्तिगत झगड़े के कारण किसी चीज को यहाँ पर नहीं लाना चाहिये। इस माननीय सदन में किसी भी सदस्य को नैतिकता के आधार पर बात कहनी चाहिये। सरकारी मशीनरी के खिलाफ किसी ने नहीं कहा, ए० आर० के खिलाफ किसी ने नहीं कहा, बी० डी० ओ० के खिलाफ किसी ने नहीं कहा, कहा केवल बच्चा पाठक के लिये। वहाँ पर हमारे जैसे लोग ही मनोनीत किये गये हैं इसलिये जो संशोधन किया गया है, मैं उस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं, नहीं तो शायद कुछ और ही निकल जाय। इसलिये मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो संशोधन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने रखा है उनका मैं हृदय से समर्थन

[श्री श्यामलाल बाजपेई—]

करता हूं और आपके माध्यम से काशीनाथ मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य में ठंडे दिल से कोई भाषण दिया करें। यह शासन जरूर ठीक है। कांग्रेस का शासन तब था और आज भी है लेकिन आज के मुख्य मन्त्री ज्यादा यथार्थवादी हैं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो सहकारिता संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया है उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। तथा जो संशोधन हमारे सम्मानित साथी श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने व रियासत हुसैन साहब ने और अन्य लोगों ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य के विपरीत इन संशोधनों को रखा गया है। उसको अगर देखा जाय तो यह मूल उद्देश्यों से हटकर चला जाता है। सहकारिता इस उद्देश्य से है कि कुछ व्यक्ति लेकर कार्य करें। जैसा कि हमारे योग्य माननीय सदस्य ने कहा। कुछ लोगों के द्वारा कि उद्देश्य से प्रेरित होकर समिति बनाई जाती है और उसी के माध्यम से उसका प्रशासन चलाया जाता है मान्यवर, जब उसका प्रशासन सरकार द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है तो जो उसके सदस्य होते हैं उनमें निराशा पैदा हो जाती है और उनमें कुंठा पैदा हो जाती है। जो हमारा उद्देश्य है उससे यह सहकारी समितियाँ अलग चली जायेगी।

नामिनेशन में कहा जाता है कि विधायकों की संस्तुतियों पर नाम आये। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कांग्रेस चली लेकिन मेरे क्षेत्र में किसान कांग्रेस चली। हमारे जिले के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जो सहकारी समिति के एडमिनिस्ट्रेटर हो गये तो उनके घर में चीनी बनना शुरू हो गई। जब उनके घर में इसके लिये छापा मारा गया दस बोरी चीनी उनके घर में इस तरह से मिली तो उनके ऊपर मुकदमा चला। किन्तु चूंकि उनके बड़े-बड़े मंत्रियों का प्रश्रय प्राप्त था, उनका मुकदमा वापस हो गया लेकिन उल्टे सचिव के ऊपर मुकदमा चलाया गया। इस तरह से आप सहकारिता आन्दोलन को चलायेंगे तो कैसे काम चलेगा। नामिनेटेड व्यक्तियों से अगर आप सहकारिता को चलायेंगे तो स्वाभाविक है कि इसके अन्दर जो जन भावना है, जिस तरह से हम इसको चलाना चाहते हैं वह भावना समाप्त हो जायेगी। इसलिये जो प्रजातांत्रिक तरीका है जिसके अन्तर्गत सहकारी भावना से इसे चलाना चाहिए, उस तरह से आप नहीं चलाना चाहते हैं।

सहकारी समितियाँ का चुनाव कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चुनाव करा सकते थे आपने आरोप लगाया कि हमारी जब सरकार थी हमने क्या किया। मान्यवर, हमारी सरकार ने सबसे पहले निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक सहकारिता के चुनाव कराये। इसलिये में आग्रह करूंगा कि आप इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें और चुनाब की प्रक्रिया चालू करायें। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार इसके लिये लिस्ट बन गई थी और चुनाव का नामिनेशन हो गया था किन्तु जैसा कि कहा है पिछली समिमियों पर कब्जा करने के लिये उसको वापस ले लिया गया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस विधेयक को वापस लें और जनतांत्रिक तरीके से चुने हुये प्रतिनिधियों को सहकारी समितियाँ में प्रतिनिधित्व प्रदान करें। विकास समितियों में नामिनेट करके वहाँ पर लोगों को भेजकर आप इस जनताँत्रिक प्रक्रिया को, जिसके कि आप अपने को प्रहरी बताते हैं, उसे आप समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस विधेयक को वापस ले लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री शिवनारायण सिंह नेगी—**

अधिष्ठता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के विधेयक पर मुझे बोलने की इजाजत दी है। जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इस पर दोनों ओर से काफी विचार प्रकट हुये हैं। हमारा समाज चाहता था कि सहकारिता आन्दोलन से ही हम इस देश में समाजवाद लायेंगे और वह अपने कार्यरूप में था। लेकिन सन् 1976 के बाद उसमें प्रशासनिक नियुक्ति होने लगी। बहुत से लोगों ने इस पर अपना दुख भी प्रकट किया। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सन् 76 से आज तक क्या सहकारी समितियों के चुनाब नहीं हुये और उसमें प्रशासकों की जो परिपाटी अपनायी गई वह जनता कार्यकाल में ही अपनाई गई। यह ठीक है कि जो प्रशासक रखे गये वे कहीं पर अच्छे साबित कम हो पाये क्योंकि उनमें निजी स्वार्थ था। सन् 78 में सिर्फ 2/3 जिलों के सहकारी बैंक ही थे जिनमें एक नैनीताल जिला सहकारी बैंक भी है जिसका मैं अध्यक्ष हूं वह जनता द्वारा चुना गया था बाकी सारे प्रदेश में प्रशासक ही हैं। हम सोचते थे कि जनता कार्यकाल में जो कमियाँ हुई उनको हम पूरा करेंगे। जैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति के बारे में अधिकार जिले को दे दिये थे, हमने उनको भी विदड्रा कर लिया।

इसी तरह कोआपरेटिव इयर इन्होंने 30 जून न मानकर जिस तारीख को चुनाव होगा उसके बाद तीन साल का कार्यकाल माना जायेगा। उस पर भी हमने संशोधन कर दिया है कि उसका पीरियड 30 जून होगा और जब उसको रिटायर करना होगा तो लगातार तीन साल मानना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इससे जनता का मनोबल गिरेगा। तथा यह जो प्रशासक की पद्ति है इससे जनता का जो सहकारिता में रूझान था वह कम हो जायेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विधेयक को वापस लिया जाय और इस पर गहराई से विचार किया जाय। जनता को और ज्यादा अधिकार दिये जाँय और उनमें सहकारिता के प्रति भावना जाग्रत करने की बात है उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाय। जहाँ तक प्रशासकों का सम्बन्ध है उसके कार्यकाल के सम्बन्ध में व्यवस्था करना इस विधेयक में आवश्यकता नहीं है उसके लिए अलग से कानून है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को वापस लेकर सहकारिता में विश्वास रखने वाले लोगों के हौसलों को बढ़ाने की बात इसमें हो।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री शिवनारायण सिंह नेगी—

सहकारिता कानून में बहुत रद्दो बदल करने की आवश्यकता है तथा जनता को और अधिकार देने की बात है जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको पूरा अधिकार देने की बात है।

मुझे दुख है कि भूमि विकास बैंक में तीन बार चुनाव करवाने की बात हुई और तीनों दफे उनको रुकवाया गया और जनता का हजारों रुपया बरबाद हुआ। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव ठीक तरीके से होने चाहिये। मैं प्रार्थना करूँगा इसको वापस ले लें और इसमें बहुत संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे जनता को शक्ति मिले। सहकारिता आन्दोलन एक आन्दोलन के रूप में चले और जिस भावना से समाजवाद लाने की भावना से इसका जन्म हुआ था वह पूरा हो और जनता को ज्यादा अधिकार मिलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

[श्री गौरी शंकर भैया का नाम पुकारे जाने पर] अब ऐसा है कि बहुत से भाई बोलने वाले हैं इसलिए दो-दो मिनट माननीय सदस्य ले लें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, ऐसा न करें मेरे बाद यह दो-दो मिनट वाली बात लागू की जाय। मान्यवर, जनता राज में हम लोगों में से कुछ लोगों को महाराष्ट्र भेजा गया था वहाँ के सहकारिता के काम काज को देखने के लिए। तो 15 दिन हम लोग वहाँ अध्ययन किये तो जब उससे उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं तो वही बात होती है कहाँ राजाभोज कहाँ गाँगू तेली। अभी हमारे पंडित जी बोल रहे थे उन्होंने दो बातें कही उनका में खंडन करना चाहता हूँ। एक बात कही कि जब से कोआपरेटिव बनी है उसमें दाग लगता रहा। आप भी उसमें माहिर रहे हैं आज चादर में दाग की बात नहीं है इस शासन काल में चादर को खोलते हैं तो वह काले रंग में रंग गयी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हटाकर समाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाय। तो वह कौन होंगे। अंग्रेजी में तीन शब्द है सोशल, ऐंटी सोशल और अनसोसल मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के लोग उनका अलग-अलग अर्थ समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सामाजिक लोग रखते हैं तो मुझें कोई एतराज नही है किन्तु एन्टी सोसल और अनसोसल को रखते हैं तो एतराज होगा।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ राजीव गाँधी गये थे तो एक लाख रुपये की थैली कांग्रेस की तरफ से दी गयी थी लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उसमें कांग्रेस के किसी आदमी ने योगदान नही दिया, अकेले बच्चा पाठक ने प्रशासक को वहाँ के बुलाया और जबरदस्ती उनसे रुपया वसूल किया और एक लाख रुपये राजीव गांधी को दिये। और बच्चा पाठक ने अपनी नौकरी बरकरार रखी। यह बात मैं अगर गलत कहता हूं तो मैं स्तीफा देने के लिये तैयार हूं और इसकी जांच सदन की एक कमेटी बनाकर बलिया में जाँच करा ली जाये और जांच में यही बात सही निकलती है तो मंत्री जी अपना स्तीफा दें।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे यहां प्रशासक या तो अपराधी रखे गये हैं या नाबालिग हैं जो कैसे काम आते होंगे वह मंत्री जी जानते हैं और अपराधी लोग जो नियुक्त किये गये हैं वह किसी खास निर्वाचन क्षेत्र में वोट कैप्चर करने का काम करेंगे।

मान्यवर, हमारे बलिया जिले में 6-6 महीने से राशन का खाद्यान्न नहीं मिल रहा है जिसको श्री काशी नाथ मिश्र और दूसरे मा० सदस्य जानते होंगे जिसके संबंध में मैंने यहाँ प्रश्न किया था, मंत्री जी को लिखकर दिया है कि हमारे यहाँ 5-5 महीने से खाद्यान्न नहीं बट रहा है और सारा खाद्यान्न ब्लैक में जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको रोका जाये और इसकी जांच करायी जाये।

मान्यवर, हमारे यहां ए०आर० इमानदार आदमी है लेकिन मंत्री जी की इच्छानुसार भ्रष्ट काम नही करता है तो मंत्री जी ने उसको अपने डाक बंगले में एक दिन बुलाया और कहा कि मैं फायर कर दूंगा और उसके साथ बत्तमीजी किया जिससे वहां के वरिष्ठ अधिकारी मंत्री जी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि कि सूचना मंगाकर सदन को अवगत कराऊंगा लेकिन आज तक मंत्री जी इसकी कोई सूचना नही दिया है।

अब मान्यवर, मैं अपने बलिया जिले में किसी नियुक्ति के संबंध में बताना चाहता हूंए कि वहां हर क के रेट बंधे हैं, यदि प्रशासक कोई नियुक्ति करेंगे तो 7 हजार रुपये

लेंगे, सचिव करेंगे तो 5 हजार रुपये लेंगे और यह रुपये चाहे सेल्समैन की नियुक्ति का संबंध हो या और का सभी में रुपये लिये जा रहे हैं, यदि आपकी हिम्मत है तो इसकी जांच करायें कि वह रुपया वसूल करके कहाँ जमा किया जा रहा है।

मान्यवर, हमारे यहां सहकारी समिति का बैंक है उसके एक पाठक सचिव एक संवाददाता की मृत्यु हो गयी थी जिसके घर में खाने के लिये कुछ नही था, उनका लड़का हमारे पास आया और कहा कि पाठक से कह दें कि वह हमें नौकरी में रख लें, तो मैं पाठक के पास गया और कहा कि एक पत्रकार का मामला है उनके लड़के को रख लें, हमारी संस्तुति पर मंत्री जी ने सचिव को लिखा कि रख लें सचिव से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि इसमें 5 हजार रुपया लगेगा, हमने उनसे कहा कि क्यों, जब मंत्री जी आदेश दे रहे हैं कि रख लें तो कहा कि रुपया क्यों लिया जाता है, तो उसने कहा कि यह मंत्री जी जानते हैं, हमने कहा कि आप अपना हिस्सा अलग कर दें और मंत्री जी का हिस्सा बता दें उसको मैं मंत्री जी से माफ करालूंगा, तो हमारे जिले में यह हो रहा है इसको आप देखें।

मान्यवर, एक एम०एल०ए० बस्ती के हैं उन्होंने मंत्री जी को एप्लीकेशन दिया है कि बस्ती के दसिया, सहकारी समिति के प्रशासक पर 5 हजार रुपया बकाया है। जटा-शंकर मित्र उसका नाम है और परमात्मा प्रकाश शायद उन एम०एल०ए० का नाम है जिन्होंने शायद लिखा है। उनको इस पर बताया गया है कि उसे हटा दिया गया है। एक ठाकुर था उसको हटाकर ब्राह्मण कर दिया गया है और जब यह सवाल होता है तो यह जवाब देते हैं कि आपके कहने के अनुसार वह हटा दिया गया है, लेकिन आज भी वह आदमी वहीं पर काम कर रहा है।

***श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह कहना बिलकुल गलत है कि जब से प्रशासक की नियुक्ति हुई है, वितरण प्रणाली दुषित और खराब हुई है। यह मेरी निश्चित भावना और सच्चाई है, जो हमारे स्वयं का अनुभव है। जब इन्डिविजवली लोग बांटते थे, तो अकसर जो चीजें बाजार में ज्यादा दाम पर बिक सकती थीं, वह चीजें ब्लैक में बिकने के लिए बाजारों में चली जाती थीं। लेकिन जब से यह कार्य सहकारी समितियों के हाथ में आया है, सब जिलों में और मेरे जिले में ठीक से और कायदे से खाद्य पदार्थों का वितरण हो रहा है। मान्यवर, यह कहना भी गलत है कि प्रशासक की नियुक्ति कर ने पर रुपया पैसा या धन लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रुपया, पैसा या धन नहीं लिया गया है। गौरी भैय्या का यह कहना कि सेल्समैन की जो नियुक्ति हुई हैं, उसमें रु० 4 या 5 हजार रुपया लिया गया है, बिलकुल निर्मूल है और नितान्त असत्य है। इसमें कोई भी सेल्समैन या प्रशासक को रिश्वत लेकर नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए आपकी जो धारणा है, मत है, वह बिलकुल गलत है, निराधार है। इसमें आपके कहने का कोई आधार नही है। यह मैं जरूर मानता हूँ कि चुनाव जल्दी से जल्दी करा देने चाहिए (व्यवधान) पहले एक प्रशासक उस काम को कर रहा था और जब उसे 7 या 9 आदमी करेंगे, मिलकर करेंगे, तो वह अच्छा काम करेंगे। इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने अपने शासन काल में स्वयं इनके चुनाव नहीं कराये हैं, दो चार बैंकों के सिर्फ कराये थे—नैनीताल का हुआ, मेरे जनपद में भी हुआ। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में 2-3 जिलों को छोड़कर कहीं भी बड़ी या छोटी सहकारी समितियों में कोई भी चुनाव नहीं कराये। जो काम आप स्वयं नहीं कर सके, उसके लिए हम से कह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—]

रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में हमने पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी के साथ ग्राम प्रधानों के चुनाव कराये हैं और इस बात की भी घोषणा हमारे मंत्री जी कर चुके हैं कि आगामी मई-जून के महीनों में हम क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् के चुनाव भी करा देंगे। मैं इस सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ इस अनुरोध के साथ कि इनके जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं।

*श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, उ०प्र० सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक में जो संशोधन का प्रारूप माननीय रियासत हुसैन जी, भीखालाल और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन पर मुझको विश्वास है और मैं सहकारी समिति का सदस्य भी हूँ। लेकिन इस समय जो हालत है सहकारी समितियों की, उससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हर वर्ष जून में मैं सार्टीफिकेट लेता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है। सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में अब तक का जो अनुभव है, उनके आधार पर मैं यह निश्चित तौर पर जानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जितना भी गबन और लूट हो सकता था, वह इस सहकारी समिति के माध्यम से हो रहा है। मान्यवर, यहाँ पर जो यह संशोधन विधेयक रखा गया है, उसका मैं इसलिए विरोध करना चाहता हूँ कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात तो यह कि अगर समय से निर्वाचन नहीं हुआ, तो वह जान-बूझकर आप निर्वाचन नहीं करायेंगे और उसके आधार पर आप यह हक हासिल कर लेंगे कि उनका नामंकन निबंधक के द्वारा करा लेंगे। निबंधक को कुछ अनलिमिटेड पावर्स दिये गये हैं और उसके द्वारा जितने पक्षपातपूर्ण काम हो सकते हैं, वह आप करा लेंगे। इस तरह जनता का सहकारिता में विश्वास समाप्त हो जायगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उनको बताना चाहता हूँ कि पंचपेड़वा, सहकारी समिति के प्रशासक शमीम अहमद, भूतपूर्व काँग्रेस (आई०) के ब्लाक अध्यक्ष हैं, जब मालूम यह हुआ कि इन्होंने 10 हजार रुपये फर्जी खसरा, खतौनी की नकल दाखिल करके उठा लिया है, जब कि उनके पास एक विश्वा भूमि भी नहीं है, जब यह मामला सामने आया, तब उनको हटाया गया। अगर इस संशोधन को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया, तो उससे पूरे प्रदेश के विकास की रुकावट हो जायगी। आप अगर प्रबन्ध समिति का नामांकन करेंगे, 9 सदस्य होंगे, एक सभापति होगा उसके आधार पर जो उनका कार्य होगा, जब तक कि वह चुनाव नहीं होता है, तो इसमें आपने धारा 29 के सब-सेक्शन 4(क) में जो दूसरा प्रोवाइजो जोड़ा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—

> "और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या उसके पद का कार्य काल समयक् रूप से बढ़ाया नहीं गया था, आपत्ति नहीं की जायगी।"

मान्यवर यह विधेयक अंग्रेजी शासन काल के रोलेट-ऐक्ट का द्योतक है, जहाँ पर न वकील, न दलील और न अपील हो सकती थी। तो इस तरह से प्रशासक को अनियंत्रित अधिकार दे दिये जायेंगे और उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए मैं जो यह संशोधन का प्रारूप माननीय विरोधी दल के नेताओं ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि यह जो संशोधन विधेयक है, यह किसी भी हालत में पास नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ मान्यवर, एक मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। सहकारी समितियों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो वितरण प्रणाली है, एक-एक समिति की तीन-तीन, चार-चार न्याय पंचायतें दी गयी हैं, जो 40-45 गांव सभाओं की होती है। उनमें यह वितरण नहीं हो पाता है। यहां खासतौर से इस समिति का अब. जो नैपाल की सीमा पर है, जैसे हमारे क्षेत्र की समितियाँ हैं, वहाँ से सारी की सारी चीनी, सारा का सारा मिट्टी का तेल, पूरा का पूरा मिट्टी का तेल बढ़नो के रास्ते से होता हुआ पूरा नैपाल चला जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी प्रबन्ध समितियों का निर्वाचन होना चाहिए ताकि सही लोग आवें। जो स्मगलिंग हो रही है यह बन्द हो और समितियों पर अच्छा नियंत्रण हो सके।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

अधिष्ठाता महोदय, शासन की तरफ से जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसका समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मान्यवर, आपकी कृपा हुयी, आपने दो मिनट बोलने के लिए मौका दिया। इस सदन में बड़ी चर्चा चली कि प्रशासक की नियुक्तियाँ बगैर पैसे के नहीं हुयीं हैं। तो एक संस्कृत की कहावत है कि जहां अग्नि होती है वहां पर धुवां होता है। चाहे उसमें एक ही आने की सच्चाई हो मगर सच्चाई जरूर है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

(मेजों की थपथपाहट।)

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में, मान्यवर, कहा जाता है कि जबसे वितरण प्रणाली सहकारिता के हाथ में आयी तब से बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन मैं खूब जानता हूँ, मैं भी देहात के क्षेत्र से आता हूँ। सहकारिता के पहले जिन लोगों द्वारा वितरण किया जाता था उसमें से यदि 8 बोरी चीनी आयी थी तो कम से कम 6 बोरी चीनी जरूर बंटती थी और दो बोरी ब्लेक करते थे। मगर जबसे सहकारिता के हाथ में वितरण प्रणाली आयी तब से अगर 10 बोरी चीनी उनको मिलती है तो वह 15 बोरी चीनी ब्लेक करते हैं। आप कहेंगे कि कैसे। 10 बोरी चीनी पाते हैं लेकिन उसमें पानी मिलाकर, राख मिलाकर उसका अधिक वितरण दिखलाते हैं इसमें दो राय नहीं है। चाहे सारा सदन समर्थन करे या विरोध करे सच्चाई अपनी जगह पर रहेगी। मैं जानता हूँ, मुझे प्रमाण पेश करने की यहां जरूरत नहीं है मगर ए० आर०, डी०आर० यह कहा करते हैं कि हमको ऊपर रुपया भेजना पड़ता है, 5 हजार, 4 हजार, 2 हजार। अगर हम लोग ऐसा न करें तो कैसे काम चलेगा।

(शेम शेम की आवाजें।)

मैं एक छोटा-सा प्रश्न कर देना चाहता हूँ. विरोध पक्ष के हमारे घनिष्टतम मित्र मोहन सिंह जी हैं। वह कभी सहकारिता पर नहीं बोलते। इसलिये मुझे शुबहा होता है कि क्यों नहीं बोलते हैं। क्या शुबहा है, वह हमारे दिल में है मगर वह सहकारिता पर कभी बोलते नहीं हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस संशोधन बिल को वापस लिया जाय और कोई व्यापक बिल पेश किया जाय।

(मेजों की थपथपाहट।)

***श्री रियासत हुसैन**—

मान्यवर, सब मेरा ही समर्थन कर रहे हैं। पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी जैसे आदमी ने समर्थन किया है कि इसको वापस लिया जाय। इसमें हमारी जीत है, हम दर्खास्त करेंगे कि माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं का आदर करते हुये, इतने बुजुर्ग जिनकी तमाम पीढ़ियां गुजर गयीं माननीय सदन में रहते हुये, उनके सामने हम सब बच्चे हैं, उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

प्रार्थना है कि इसको वापस लिया जाय तो मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी सारे सदन की और सब लोगों की भावनाओं का आदर करते हुये इसको वापस ले लें और मेरा अनुमोदन का प्रस्ताव पारित हो जाय ।

श्री भीखा लाल—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे वयोवृद्ध सदस्य चतुर्वेदी जी ने जो बात कही उसके बाद मुझको कुछ कहने के लिये नहीं रह जाता है । लूट का हिस्सा ऊपर-ऊपर तक सब पहुँचता होगा ऐसा कहा गया है । हमारे शायद रिजवी साहब के हिस्से में आता नहीं होगा, लेकिन आज जो कुछ कहा गया उसका जवाब देना रिजवी साहब के हिस्से में आया । आप सदन की भावनाओ को देखते हुए या तो इस विधेयक को वापस लें और अगर इससे ज्यादा इन भावनाओं को जानना चाहते हैं तो जनता में परिचालित कर दें । मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय चतुर्वेदी जी के भाषण के बाद जो उद्गार माननीय रियासत हुसैन और मानीय भीखालाल जी ने व्यक्त किये, उससे मैं अपने प्रवर समिति को भेजने वाले प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूँ ।

एक वाक्य और कहना चाहता हूँ । यदि कोई अपरिहार्य परिस्थिति पैदा होती है तो आप प्रशासक किसी सरकारी आदमी को बना दें और वह भी केवल दो माह के लिये । इसको आप स्वीकार करलें, वरना आप, जैसा कि माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा, आप इस विधेयक को वापस ले लें और फिर से विचार कर कोई नया विधेयक प्रस्तुत करें । वरना मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके प्रयासों ने

(व्यवधान)

इस राष्ट्रीय भावना को कलंकित कर दिया है ।

***श्री अम्मार रिजवी—**

श्रीमन्, जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये और चर्चा में भाग लिया तथा अपने संशोधन रखे उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ । कुछ व्यक्तिगत आरोप ऐसे लगाये गये, मैं समझता हूँ वे तब लगाये जाने चाहिये थे जब वे व्यक्ति यहाँ पर होते । (व्यवधान)

एक बात यह कही गयी कि पहले एक व्यक्ति को लूटने का अधिकार दिया गया था और अब 8 व्यक्तियों को और वह अधिकार दिया जा रहा है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा है उसे उनका ऐसा कहने से उनके सोचने के तरीके का पता चलता है । उर्दू का एक शैर है—"ज़िक्र छिड़ गया जब कयामत का, बात पहुँची तेरी जवानी तक" । क्या यह ठीक होगा कि प्रजातंत्र में एक ही व्यक्ति को अधिकार दे दिये जायं ? क्या प्रजातंत्र को समाप्त करके डिक्टेरशिप कर दी जाये, वह बेहतर होगी ? क्या इस सदन को जिसके 426 माननीय सदस्य हैं, समाप्त करके केवल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही प्रदेश का शासन कराया जाये ? यह एक मौलिक प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना चाहिए । अच्छा होता अगर यह प्रश्न न उठाया गया होता ।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय भीखालाल जी ने संशोधन रखा है कि इसे जनता की राय जानने के लिये एक मास तक परिचालित किया जाये। एक दूसरा संशोधन यह है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाये। माननीय भीखालाल जी बड़ी गम्भीर बात सदा कहते हैं और उनकी ज्यादातर बात को हम मान लेते हैं। माननीय भीखालाल जी शायद यही चाहते हैं कि इस पर पब्लिक ओपिनियन क्या है यह जान लिया जाये....

श्री भीखालाल—

बिलकुल यही चाहता हूँ।

***श्री अम्मार रिजवी**—

मान्यवर, मैं समझता हूँ यही होगा हमने माननीय भीखा लाल जी का मतलब पहले ही समझ लिया था। पहली फरवरी को जब यह सदन बैठा, तो माननीय भीखा लाल जी की जो मंशा थी वह तो पूरी हो गयी। मान्यवर आज 4 तारीख है उन्होंने बात कही थी एक महीने की। तो अब तक एक महीने चार दिन तक सारे प्रदेश को इस पर सोचने समझने का मौका मिल गया। तो माननीय भीखा लाल जी ने जो बात कही थी, वह पहले ही कर दी गयी। अब इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है—रही। क्योंकि एक महीने चार दिन तक लोगों को इस पर सोचने समझने का मौका मिल गया।

मान्यवर, गौरी भैय्या ने, गौरी के साथ भैय्या लग गया है, अजीब बात लगती है, कुछ और लगना चाहिए था, बालिग और नाबालिग की बात कही, गौरी के साथ भैय्या लगा है, यह बात तो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मुझको कुछ नहीं कहना है, आगे कहनी भी नहीं चाहिए (हँसी)। जो और माननीय सदस्यों ने उदाहरण दिये हैं, किसी के डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, सहकारी माध्यमों में, सहकारी समितियों में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो सारा सिस्टम जो है, कोई नया तजुर्बा होता है। (कोई ऐक्सपेरीमेंट किया जाता है, तो मान्यवर उसमें गडबड़ियां होती हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली जब शुरू में चली थी, तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स सामने उभर कर आये थे, उसके बाद ब्रिटेन में, जहाँ पर 800 साल करीब-करीब हो गये, मार्केट काटर से आज तक, वहाँ की प्रणाली में कोई न कोई परिवर्तन होता रहा है, और वहाँ यह बात सोचते भी रहते हैं कि यह बात गलत है, इसका परिवर्तन कर दिया जाय। कोआपरेटिव मूवमेंट का जो एक महत्वपूर्ण आन्दोलन है, इस आन्दोलन में अगर यह बात कही जाय कि जो दुकानें लगायी गयी, वे बिल्कुल गलत हुई, तो यह कैसे हो सकता है, मान्यवर मैं मानता हूँ कि दुकानें और वितरण सम्बन्धी जो चीजें हैं, उसमें बहुत सी गड़बड़ियां उभर कर सामने आयी हैं तो क्या इस आन्दोलन को यह कहा जाय कि यह आंदोलन गलत है। प्रजातंत्र में एक बात को तय करने लिये यहां पर इतना समय लगता है, तो कहा जाय कि प्रजातंत्र गलत है। मान्यवर, जब कोई चीज इन्फोर्स की जायगी किसी चीज का कार्यान्वयन होगा, तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो बिल्कुल फुल प्रूफ हो। जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती न हो। कोई भी मान्यवर इस बात का दावा नहीं कर सकता है चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। लेकिय प्रजातंत्र का सबसे बड़ा जो अधिकार है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो डिफेक्ट्स हैं, जो कमियां हैं, उसमें उन चीजों पर बात की जाती है, उन पर आरगूमेंट होता है, विचार-विमर्श होता है। मान्यवर प्रजातंत्र के हनन की बात कही गयी कि यह लोग चुनाव नहीं कराना चाहते, मान्यवर यह बात तो कही गयी कि चुनाव नहीं कराना चाहते, जबकि आपके माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूँ, इस आदरणीय सदन में यह सूचना देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, जिला परिषदों का चुनाव हो, ब्लाक प्रधानों का चुनाव हो, और चाहे कोआपरेटिव की बात हो, मान्यवर जो चुनाव हैं, उनमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

सारी प्रक्रिया जारी है, शीघ्र से शीघ्र उनको कराया जायेगा। मान्यवर, जो जनता का सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं डाला जायेगा। मान्यवर, अभी माननीय रियासत हुसैन साहब ने चुनाव के बाबत कहा कि यह लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानों के चुनाव हुए, इतनी बड़ी यह कार्यवाही हुई, वे तो याद नहीं होगा, कि उसको भी भूल गये। और जो चुनाव होने जा रहे हैं। उसके बारे में अभी से नियत के ऊपर शुभा है। माननीय भीखा लाल जी को नीयत पर शुभा है। मान्यवर माननीय भीखालाल जी के लिए आज पता नहीं क्यों मुझे शेर याद आ रहे हैं—

यारब न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात,
दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और।

मान्यवर, उनको यकीन नहीं आता है। जो यह संशोधन विधेयक रखा है उसके आधारों पर विचार करें। आर्डिनेन्स पास हुआ। आर्डिनेन्स पास करने की सरकार की मजबूरी होती है। जब ऐसी बात होगी और विधान सभा या विधान परिषद् सत्र में नहीं होगा तो हमको आर्डिनेन्स पास करना पड़ेगा और जब विधान सभा या विधान परिषद सत्र में आयेगी तो प्रजातांत्रिक प्रणाली से उसको सदन में रखना होगा। एक अध्यादेश जारी हुआ 1965 की धारा 29 के अन्दर संशोधन किया जून 83 तक समय बढ़ाकर रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया कि एक व्यक्ति के बजाय वह 9 व्यक्ति कर सकता हैं। उसमें 2 सरकारी व्यक्ति होंगे। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तो केवल सरकारी व्यक्ति की बात कही है। वैसे तो यह आरोप लगाते हैं कि यह सरकार सरकारी अफसरों के इशारे पर काम कर रही है लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकार जन प्रतिनिधियों का है आम लोगों का है उनको भी यह सरकारी कर्मचारियों के हाथ में सुपुर्द कर देना चाहते हैं। पता नहीं कहाँ से इनकी सांठगांठ सरकारी अधिकारियों से चल रही है। जो अध्यादेश जारी हुआ आज इस सदन के सामने आया है। इसको प्रजातांत्रिक रूप देने के लिये। मैं निवेदन करूँगा कि यह फैसला बिल्कुल प्रजातन्त्र को प्रोत्साहित करने और इसकी बाडीज को और सक्रिय बनाने के लिये है। इसलिये मेरा निवेदन है उन तमाम माननीय सदस्यों से जिन्होंने प्रवर समिति को देने की बात कही है या जनता में परिचालित करने की बात कही है, जन-हित में वह अपने प्रस्ताव को वापस ले, इससे प्रजातंत्र और सुदृढ़ होगा इससे कार्य प्रणाली सही होगी और सहकारी आन्दोलन और मजबूत होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनता की राय जानने के लिये एक मास तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन को एक प्रवार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी अर्थात् :—

"(4) (क) जहाँ किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायगी ।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्य कलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में "कमेटी" कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक के स्थान पर कोई कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (4) के, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन नियुक्त किसी प्रशासक को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या उसके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से बढ़ाया नहीं गया था, आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(ग) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाय, वहाँ उसमें एक सभापति और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा और जिनमें कम से कम दो सदस्य सरकारी सेवक होंगे ।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उनका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाय ।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन, यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक, यथास्थिति, समिति का सचिव या प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा ।

स्पष्टीकरण - जहाँ वहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों या घोषित न किये जा सके हों, वहाँ यह समझा जायगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अन्तर्गत नहीं हुआ है ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, ऐसे किसी निदेश के अधीन रहते हुए, जिसे निबन्धक समय-समय पर दें, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा ।

(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी से समिति का प्रबन्ध लेने के लिये इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (4) के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रशासक अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर या 30 जून, 1983 तक इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की व्यवस्था करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाय, जैसा कि उपधारा (4) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहाँ एक वर्ष की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध इस उपधारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण---उपधारा (4) के अधीन प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी, ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जायगी ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**---

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 2 को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित खन्ड 2 रख दिया जाय–

"उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(4) जहाँ किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्धक कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहाँ प्रबन्धक कमेटी इस अधिनियम या नियमों या समिति को उपविधियों में कितने प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी ।

निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र अधिनियम, नियमों और समिति को उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धक कमेटी का पुनर्गठन होने तक समिति के कार्य-कलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासन नियुक्त करेगा, जोकि एक राजकीय कर्मचारी होगा और उसका यह दायित्व होगा कि वह 2 माह के भीतर समिति का निर्वाचन अवश्य करा दे तथा निर्वाचित होने तक उसमें प्रबन्ध कमेटी तथा उसके सभापति के सभी अधिकार में दायित्व निहित समझे जायेंगे ।

इसके बारे में अपने भाषण में तर्क प्रस्तुत कर चुका हूँ । मैंने एक सैद्धान्तिक बात उठाई है । अगर किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो पाये हैं तो उसका पार्टीकरण करने का मैं सख्त विरोधी हूँ । एक कर्मचारी को प्रशासक नियुक्त किया जाये और वह सरकारी हो किसी पार्टी का या गैर सरकारी नहीं होना चाहिए । वह रिटर्निंग आफिसर की हैसियत से काम करे और दो माह के भीतर चुनाव करा दें और उसके बाद नव-निर्वाचित कमेटी को भार सौंप दिया जायेगा । मैं समझता हूँ कि जनता के लिए और प्रजातांत्रिक रूप देने के लिए सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, स्वीकार है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, खेद है । संशोधन स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को निकाल दिया जाये तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 2 रख दिया जाय—

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में उपधारा (4) (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(4) जहाँ किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहाँ प्रबन्धक कमेटी इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी ।

निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धक कमेटी का पुनर्गठन होने तक समिति के कार्य-कलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा, जो कि एक राजकीय कर्मचारी होगा और उसका यह दायित्व होगा कि वह दो माह के

भीतर समिति का निर्वाचन अवश्य करा दे तथा निर्वाचित होने तक उसमें प्रबन्ध कमेटी तथा उसके सभापति के सभी अधिकार व दायित्व निहित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 3, 4, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में,— धारा 35 का संशोधन

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) यदि निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया हो तो वह उसके स्थान पर, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जिसे अवक्रमण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायगा, निम्नलिखित नियुक्त कर सकता है—

(क) एक नई कमेटी जिसमें समिति का एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासकगण जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक राज्य सरकार के अनुमोदन से अवक्रमण की अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु किसी एक बार में बढ़ाई गई अवधि छः मास से अधिक न होगी और कुल बढ़ाई गई अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 3 के खण्ड (क) के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायगा और, यथास्थिति, उसके या उसके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनस्संगठन समय से नहीं हुआ था या अवक्रमण की अवधि या उसके या उनके पद का कार्य-काल सम्यक् रूप से नहीं बढ़ाया गया था, आपत्ति नहीं की जायगी ।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (3) और (4) के अधीन

नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनस्संगठन करने की व्यवस्था करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण जिनका कार्यकाल इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था 30 जून, 1983 तक करेंगे ।"

(ग) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(7) धारा 29 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में लागू होंगे ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 1982 निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम्मान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपलब्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(2) धारा 2 और धारा 3 का खण्ड (ग) 23 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझे जायेंगे, धारा 3 के खण्ड (क) और (ख) 7 अप्रैल, 1982 से प्रवृत्त समझे जायेंगे, और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

*** श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित खण्ड 3 (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के स्थान पर प्रस्तावित उपधारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

(3) की पंक्ति-3 में शब्द "निम्नलिखित नियुक्त कर सकता है" के स्थान पर शब्द "एक प्रशासक, जो राजकीय सेवक होगा, नियुक्त कर सकता है।" रख दिये जाय तथा इसके आगे का सम्पूर्ण भाग निकाल दिया जाय।

मान्यवर, इसके पीछे भी मेरी वही धारणा है क्योंकि कमेटी नियुक्त करने की बात करते हैं ओर निर्धारित समय में चुनाव नहीं करा सके हैं। प्रबन्ध समिति का काम सौंपें, गैर सरकारी प्रशासक हो, दलीय करण न हो जायें और सरकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाय जो कार्यभार सम्हाले और वह उन्हें बाद में सौंप दे। सहकारिता से भिन्न और भी बहुत मामले हैं तो इसमें इसका प्रतिरोध करने का क्या कारण है? मैं इसको नहीं समझ सका हूँ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड—3 (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के स्थान पर प्रस्तावित उपधारा (3) की पंक्ति— 3 में शब्द "निम्नलिखित नियुक्त कर सकता हैं।" के स्थान पर शब्द "एक प्रशासक, जो राजकीय सेवक होगा, नियुक्त कर सकता है।" रख दिये जायें तथा इसके आगे का सम्पूर्ण भाग निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4, खंड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

प्रातः काल जब मैं यहाँ नहीं था तो मा० गुप्ता जी ने इस खादी बोर्ड के बिल के

बारे में कुछ कहा था। मैंने उसकी गम्भीरता को देखा। फिलहाल मैं इसको स्थगित करता हूँ। आगे चलकर इस पर कार्यवाही की जायेगी।

तालियां

संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु वैद्य पाये गये नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन-पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 3 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा नियत तिथि तथा समय दिनांक 4 मार्च, 1983 को अपराह्न 3 बजे की गयी और सब नाम-निदेशन-पत्र वैद्य पाये गये हैं। इस प्रकार उक्त संस्थान में विधिमान्य अभ्यर्थियों के नाम निम्नवत हैं :—

1—डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)
2—श्री मोहम्मद अवरार अहमद (बदायूं)
3—कु० उर्मिला अग्निहोत्री (एटा)
4—श्री दल सिंगार (आजमगढ़)
5—श्री छत्तर सिंह (बुलन्दशहर)
6—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (गोंडा)
7—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी (लखनऊ) तथा
8—श्री हरदेव (बलिया)

नामों की वापसी के लिऐ दिनांक 10 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक का समय नियत है। उक्त संस्थान में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं। अतएव जो अतिरिक्त नाम हैं ये यदि उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो मतदान, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दिनांक 18 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना मा० जटाशंकर सिंह तथा मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त की बहराइच में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक वकील को अपमानित करने के संबंध में है, दूसरी मा० राजेन्द्र अग्निहोत्री की झांसी नगर में विस्फोटक कानून व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष के संबंध में है, तीसरी मा० हरिबंश सहाय तथा मा० नन्दकिशोर जी की जिला सीतापुर के ईंट भट्ठों पर काम करने वाली आदिवासी औरतों के साथ अराजक तत्वों द्वारा बलात्कार किये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना मा० रियासत हुसैन तथा मा० अकबर हुसैन की इलाहाबाद के सोवितियाबाग पोस्ट आफिस के सामते लाश पड़ी मिली रहने के संबंध में हैं, पांचवी सूचना मा० सरदार सिंह जी की मथुरा जनपद के कस्बा राया, गोकुल, महाबन एवं बल्देव में व्याप्त गंदगी से संक्रामक रोग फैलने के संबंध में है। मा० नरेशचन्द्र अग्रवाल तथा मा० राम औतार की

[श्री अध्यक्ष—]

सूचनायें देर से प्राप्त हुई हैं इसलिये अस्वीकार कर दी गयीं। नियम 51 के अन्तर्गत सारी सूचनायें अस्वीकार कर दी गयीं। मा० जटाशंकर सिंह और मा० राजेन्द्र कुमार गुप्ता की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है।

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, तारीख बता दें।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री तारीख बता दें।

संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी—

8 तक तो लगे हैं। 9 या 10 किसी को भी लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष —

9 तारीख ठीक है।

अब हम उठते हैं सोमवार को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 39 मिनट पर सोमवार, 7 मार्च, 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
4 मार्च, 1983

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

प्रत्यावेदन दिनांक 18-11-77	14-2-77 से 19-2-77 तक का अवकाश प्रत्यावेदन शासन द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।
प्रत्यावेदन दिनांक 19-4-79	अवकाश प्रकरण— 11-3-78 — 27-3-78 11-4-78 — 30-4-78 16-8-78 — 27-8-78 प्रत्यावेदन विभागाध्यक्ष को सम्बोधित था शासन को नहीं ।
	श्री तिवारी का मात्र 16-8-78 से 27-8-78 तक के अवकाश का नियमित प्रत्यावेदन दिनांक 20-11-81 शासन में 17-6-82 को प्राप्त हुआ था जिस पर अब विभागाध्यक्ष की आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है व शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जायेगा ।
प्रत्यावेदन दिनांक 31-8-79	76-77 की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रत्यावेदन शासन द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।
प्रत्यावेदन दिनांक 24-1-81	ज्येष्टता निर्धारण व प्रोन्नति श्री तिवारी की चरित्र पंजिका में वर्ष 76-77, 77-78, 80-81 व 81-82 में प्रतिकूल प्रविष्टियां है अतः प्रोन्नति का प्रश्न नहीं है फिर भी प्रोन्नति पर विचार करने हेतु विभागाध्यक्ष को लिखा गया है व प्रोन्नति तथा ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में विभागाध्यक्ष की आख्या प्रतीक्षित है ।
प्रार्थना पत्र दिनांक 16-4-81	यह विभिन्न अवकाश प्रकरणों व अवशेष वेतन भुगतान संबंधी प्रार्थना पत्र था जिसमें सन्दर्भित प्रकरणों में मात्र अगस्त 78 का अवकाष प्रकरण (उक्त 11 पर उल्लिखित) ही शासन में लम्बित है जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।
प्रत्यावेदन दिनांक 27-7-81	वर्ष 80-81 की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन यह नियुक्ति अधिकारी मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को सम्बोधित था अतः शासन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

नत्थी 'ख'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर।

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा के प्रथम सत्र, 1983 के तृतीय शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या–53 से संबंधित विवरण

क्र.सं.	व्यापारी का नाम	वर्ष	वि.अनु.शा. द्वारा सर्वेक्षण की तिथि	सर्वेक्षण के आधार पर निकाली गयी माँग	आदेश पारित होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	–सर्वश्री महाराजा होटल, चारबाग	75–76	3-1-76	13,355=00	28-1-77
2	–सर्वश्री संतोष एण्ड कं० पाण्डेगंज	75–76	16-1-76	65,429=22	28-3-77
3	–सर्वश्री शंकर लाल ब्रिक फील्ड मवैया	75–76	12-3-76	19,230=03	30-11-77
4	–सर्वश्री राजपाल विल्डर्स, मवैया	75–76	13-3-76	23,314=32	28-3-77
5	–मनोरन्जन स्वीट हाउस, चारबाग	75–76	22-3-76	19,127=46	31-1-77
6	–सर्वश्री न्यूभारत रेस्टोरेन्ट, चारबाग	75–76	22-3-76	10,530=11	31-3-77
7	–सर्वश्री राम बहादुर रेवड़ी वाला, पान दरीबा	76–77	24-11-76	1,760=00	28-9-77
8	–सर्वश्री गुप्ता प्रावीजन स्टोर्स, चारबाग	76–77	21-9-76	415=00	28-10-77
9	–सर्वश्री कल्पनाथ जनरल स्टोर्स, चारबाग	76–77	21-9-76	करमुक्त	22-10-77
10	–सर्वश्री नन्हूमल गजक रेवड़ी वाला, चारबाग	76–77	24-11-76	4,643=00	29-12-77
11	–सर्वश्री राम ब्रिक वर्क्स, ब्लन्टस्कवायर	75–76	17-6-76	20,547=12	4-11-77
	–उक्त–	76–77	17-6-76	19,324=35	4-11-77
12	–सर्वश्री वेलवेट ब्रिक फील्ड मवैया	75-76	11-3-76	10,109=47	23-2-78
	–उक्त–	76–77	11-3-76	15,046=99	23-2-78
13	–सर्वश्री अनिल कुमार ब्रिक फील्ड वन्थरा,लखनऊ	75–76	11-1-76	11,423=65	31-10-77
14	–सर्वश्री धर्म सिंह परचूनियाँ, आलमबाग	75–76	1-7-76	1,170=00	30-9-76
15	–सर्वश्री टेडमल ओटनदान, आलमबाग	75–76	23-3-76	11,384=41	31-10-77
16	–सर्वश्री गुरू नानक हार्ड-वेयर स्टोर्स, सरदारीखेड़ा	75–76	21-1-76	12,029=44	3-1-77
17	–सर्वश्री जोर सिंह नमकीन भण्डार,आलमबाग	75–76	13-8-76	कर योग्य सीमा से कम बिक्री मानी गयी।	13-8-76

'नत्थी ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

दि किसान सरकारी चीनी मिल्स लि०, अनूपशहर जिला बुलन्दशहर

क्रम सं०	नाम एवं पद	कार्य की अवधि कब से	कब तक
	सर्व श्री		
1	वी० डी० शर्मा, सहायक लेखाकार (ग० मू० भु०) जिला बुलन्दशहर ।	2-8-76	24-8-82
2	आई० सी० शर्मा, मुख्य गन्ना अधिकारी अनूपशहर ।	3-1-81	कार्यरत
3	एस० पी० एस० वर्मा, मुख्य गन्ना अधिकारी, ननौत, सहारनपुर ।	7-11-79	31-12-80
4	एस० एन० दीक्षित, गन्ना क्रय अधिकारी, बुलन्दशहर ।	9-8-80	कार्यरत
5	आर० डी० दीक्षित, गन्ना अधीक्षक, सरसांवा	9-8-80	25-8-82
6	डी० के० जैन लेखाकार, बिलासपुर (रामपुर)	7-10-78	11-9-82
7	जयपाल सिंह, गन्ना विकास अधिकारी, कायमगंज, फर्रुखाबाद ।	25-10-78	21-5-80
8	पी० एम० गुप्ता, कानपुर ।	22-2-79	24-5-80
9	हरसरन, गन्ना लिपिक	13-12-77	22-11-82
10	सोहनलाल, जिला बुलन्दशहर	9-1-78	22-11-82
11	हरी प्रकाश शर्मा, गन्ना लिपिक, अनूपशहर	17-11-81	22-11-82
12	अशोक कुमार पाराशर, गन्ना लिपिक, जिला बुलन्दशहर ।	13-1-78	7-7-82
13	हरीशचन्द्र, जिला बुलन्दशहर	23-3-78	7-7-82
14	श्रीनिवास, गन्ना लिपिक, जिला मेरठ	22-4-78	7-7-72
15	अन्त राम, गन्ना लिपिक, बुलन्दशहर	8-12-77	12-10-82
16	के० पी० सिंह, गन्ना लिपिक, बुलन्दशहर	22-2-78	24-8-82
17	सोहन पाल सिंह, गन्ना लिपिक, बुलन्दशहर	10-3-78	8-7-82
18	एम० के० भार्गव, उप मुख्य लेखाकार, बीसलपुर, जिला पीलीभीत ।	2-6-79	15-10-80

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर ।)

विकास खण्ड खैराबाद

क्र० सं०	प्रभावित व्यक्ति का नाम	दी गई सहायता की धनराशि अहेतुक सहायता
1	2	3
1	चौधरी पुत्र छेदी	100-00
2	मुल्लू पुत्र छोटकऊ	100-00
3	महावीर पुत्र छोटकऊ	100-00
4	मोती पुत्र महावीर	100-00
5	बूधार पुत्र छोटकऊ	100-00
6	हजारी पुत्र महाबीर	100-00
7	हसन खाँ पुत्र इमाम बक्स	100-00
8	साबिर अली पुत्र हसन खाँ	100-00
9	नूर खां पुत्र इमाम बक्स	100-00
10	अजीज खाँ पुत्र इमाम बक्स	100-00
11	अब्बास अली पुत्र छोटन्न	100-00
12	छिद्दू पुत्र छोटन्न	100-00
13	इस्लाम पुत्र शमशेर	100-00
14	मु० निशां बेवा अलीशेर	100-00
15	मु० वफातन बेवा छोटन्न	100-00
16	हबीब खां पुत्र झब्बू खां	100-00
17	झब्बू पुत्र सादुल्ला खां	100-00
18	रईश खां पुत्र फसल खां	100-00
19	मु० सरवरी बेवा धूरे	100-00
20	मेहदी हसन खां पुत्र चांद खाँ	100-00
21	अब्दुल हसन खां पुत्र चांद खाँ	100-00
22	गजोधर पुत्र पुत्तू	100-00
23	महेश पुत्र पुत्तू	100-00
24	भोला पुत्र गौरी शंकर	100-00
25	रामजीवन पुत्र गौरी शंकर	100-00
26	ईश्वरी पुत्र गोकुल	100-00
27	श्रीपाल पुत्र गोकुल	100-00

1	2	3
28	साहेब पुत्र गोकुल	100-00
29	ठाकुर प्रसाद पुत्र हुलासी	100-00
30	छोटन्ने पुत्र मैकू	100-00
31	गोविन्द उर्फ श्याम लाल पुत्र मैकू	100-00
32	रामलखन पुत्र गिरधारी	100-00
33	रसीर अली पुत्र फैयाज अली	अपात्र होने के कारण सहायता नहीं दी गई
34	इन्सान अली पुत्र अकबर अली	,,
35	बिरजू पुत्र परागी	,,
36	श्रीराम पुत्र सूरज बली	,,
37	बालादीन पुत्र मोहन	,,
38	हरीश पुत्र तेजराम	,,
39	संकटा प्रसाद पुत्र दिलाराम	100-00
40	आशादेवी पत्नी शिवलाल	100-00
41	अशरफ अली पुत्र हसन अली	100-00
42	आशाराम पुत्र रामबिलास	100-00
43	गजोधर पुत्र नेतराम	100-00
44	बाबूराम पुत्र रामऔतार	50-00
45	मुन्ना लाल पुत्र हरिप्रसाद	50-00
46	रमाकान्त पुत्र होरी लाल	50-00
47	पप्पू पुत्र हसीन	50-00
48	ठाकुर प्रसाद पुत्र जालिया सहाय	अपात्र होने के कारण सहायता नहीं दी गई ।
49	मोहम्मद अपरोज पुत्र मो० युनुस	,,
50	महबूब हसन पुत्र चुन्ना मिया	,,
51	मन्जू पुत्र आजम	,,
52	न्यामत उल्ला खां पुत्र किफायत	,,
53	लड्डन पुत्र कल्लन	,,
54	श्रीमती गुलाबा बेबा छोटेलाल	,,
55	गोपी नाम पुत्र हरी प्रसाद	,,
56	सरताज अहमद पुत्र अली मोहम्मद	,,
57	मो० युनुस पुत्र लाल मोहम्मद	,,
58	कलाधर पुत्र रामविलास	,,
59	अबरार पुत्र अहसान हुसेन	,,
60	अजीमुल्ला पुत्र फैजुल्ला	,,
61	मो० अली जैदी पुत्र हसन अली	,,

1	2	3
62	सरदार स्वरूपसिंह पुत्र लाभसिंह	,,
63	रफीक अहमद पुत्र वसीर अहमद	,,
64	अब्दुल हक पुत्र फतेहमोहम्मद	,,
65	मुस्तफा पुत्र अली मोहम्मद	,,
66	बाबूलाल दधीची पुत्र भवानी	,,
67	मुन्ने खां पुत्र नियामत खाँ	,,
68	छोटेलाल पुत्र नेतराम	,,
69	बुद्धा पुत्र उमराव	,,
70	नत्था पुत्र मुन्नू लाल	,,
71	मंशादीन पुत्र सुखलाल	,,
72	रवीकांत पुत्र मंशादीन	,,
73	निजाम हुसेन पुत्र नियाज हुसेन	,,
74	आसिफ पुत्र मेंहदी हसन	,,
75	नूर हसन पुत्र खुटरु	,,
76	रामस्वरूप पुत्र रामविलास	,,
77	कमल किशोर पुत्र नरायन	,,
78	शब्बीर पुत्र छोटे खां	,,
79	हरिप्रसाद पुत्र होरी लाल	,,
80	सुरेश पुत्र चन्दन	,,
81	ज्वाला प्रसाद पुत्र पूरन	अपात्र होने के कारण सहायता नहीं दी गई ।
82	यासीन पुत्र नूर मोहम्मद	50-00
83	जब्बार पुत्र नूर मोहम्मद	50-00
84	सादिक अली पुत्र अब्दुल्ला	50-00
85	रसूल बक्स पुत्र हुसेन बक्स	500-00
86	साकिर हुसेन पुत्र शौकत हुसेन	250-00
87	कृष्ण कुमार पुत्र बल्देव राज	250-00
88	मुन्ना पुत्र अब्दुल रऊफ	250-00
89	सद्दू पुत्र गोबरे	50-00
90	मैकू पुत्र विदेशी	50-00
91	छोटेलाल पुत्र मुन्नू	50-00
92	विदेशी पुत्र परागी	50-00
93	रामकुमार पुत्र भल्लर	100-00
94	हरीप्रसाद पुत्र चौधरी	100-00

1	2	3
95	सुब्बा पुत्र रमई	अपात्र होने के कारण सहायता नहीं दी गई।
96	श्यामलाल पुत्र लछिमन	50-00
97	छोटेलाल पुत्र मंगू	50-00
98	ईश्वर दीन पुत्र मैकू	50-00
99	हरिप्रसाद पुत्र होरी लाल	22-00
100	गुलाबा बेवा छोटे लाल	11-00
101	गजोधर पुत्र नेतराम	11-00
102	मु० रामदेवी बेवा राम लाल	50-00
103	इन्द्रादेवी पत्नी रामदुलारे	50-00
104	रघुनन्दन पुत्र सद्धन	50-00
105	सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह	50-00
106	इन्द्र मोहन पुत्र सियाराम	अपात्र होने के कारण सहायता नहीं दी गई।
107	रमेश पुत्र मुन्नूलाल	,,
108	छैल कुमारी बेवा नन्द किशोर	,,
109	मु० सुमिरता बेवा मुल्लन	,,
110	मुन्ना पुत्र दिल्हा	,,
	कुल योग	5994.00

विकास खन्ड परसेण्डी

क्रम संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	दी गई सहायता की धनराशि	
		अहेतुक सहायता	तकाबी
1	श्री बराती पुत्र सरजू	100-00	
2	श्री लाल जी पुत्र झम्मन लाल	50-00	
3	श्री अहिबरन पुत्र झम्मन लाल	50-00	
4	अमरनाथ पुत्र बंशीधर	50-00	
5	पूरन पुत्र शिवबक्श	50-00	
6	बशीर पुत्र मुझाहेब	50-00	
7	अजीमुल्ला पुत्र वाजिद	50-00	
8	सिद्धेश्वर	अपात्र	
9	राम खेलावन पुत्र विन्द्रा	50-00	

1	2	3	
10	पन्ना पुत्र विन्द्रा	50-00	
11	यासीन पुत्र मो० नूर	50-00	
12	अब्बर पुत्र मो० नूर	50-00	
13	सादिक अली पुत्र अब्दुल्ला	50-00	
14	मखमूल पुत्र मंहगे	50-00	
15	इन्सान अली पुत्र रसूल	50-00	
16	अलीरजा पुत्र रसूल	50-00	
17	सुकालू पुत्र पुत्तू	100-00	
18	पुत्तू पुत्र भिखारी	50-00	
19	तेजी पुत्र मोहन	30-00	
20	राम खेलावन पुत्र विन्द्रा प्रसाद	—	1000-00
21	भिखारी पुत्र तेजी	—	1000-00
22	विन्द्रा पुत्र सरजू	50-00	
23	बेदनाथ पुत्र सरजू	50-00	
24	लल्लू पुत्र गंगा	50-00	
25	जुद्धी पुत्र गंगा	50-00	
26	रामविलास पुत्र गंगा	50-00	
27	राम औतार पुत्र सीताराम	50-00	
28	देबी पुत्र छेद्दू	50-00	
29	नंगा पुत्र छेद्दू	50-00	
30	मनोहर पुत्र छेद्दू	50-00	
31	राम किशुन पुत्र छेद्दू	50-00	
32	परागी पुत्र पुत्तू	50-00	
33	अली हसन पुत्र बहादुर	50-00	
34	अली शेर पुत्र आशिक अली	50-00	
35	मुनवर पुत्र दिलावर	50-00	
36	छंगा पुत्र दिलावर	50-00	
37	मुन्नू पुत्र दिलावर	50-00	
38	करीम पुत्र सुबराती	50-00	
39	मखदूम पुत्र सुबराती	50-00	
40	परवन पुत्र जगन	50-00	
	कुल योग	1930-00	2000-00

विकास खण्ड ऐलिया

क्रम संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	दी गई सहायता की धनराशि	
		अहेतुक सहायता	तकावी
1	2	3	4
1	मु० अवादन बेवा सन्तू	50-00	
2	इस्माइल पुत्र मनकू	100-00	
3	पीरगुलाम पुत्र मनकू	100-00	
4	छोटन्न पुत्र मनकू	100-00	
5	रफीक पुत्र अब्दुल रहमान	100-00	
6	मु० करीमा बेवा रज्जाक	100-00	
7	बादुल्ला पुत्र हाशिम	100-00	
8	बाबू पुत्र बादुल्ला	100-00	
9	मासूम अली पुत्र बादुल्ला	100-00	
10	साबिर अली पुत्र बादुल्ला	100-00	
11	अहमद अली पुत्र इब्राहीम (पत्नी अहमद अली)	100-00	
12	आशिक अली पुत्र इब्राहीम	100-00	
13	अमीर अहमद पुत्र वली मोहम्मद	100-00	
14	अब्दुल गफूर पुत्र छाज	100-00	
15	इमामुद्दीन पुत्र खुदा बक्श	100-00	
16	मुन्ना पुत्र प्रभू	100-00	
17	मु० नजीरा बेवा बदलू	100-00	
18	मोहउद्दीन पुत्र पुत्तू (खैशनिशा पुत्री मोहउद्दीन)	100-00	
19	हबीब पुत्र पुत्तू	100-00	
20	यासीन पुत्र मुन्ना	100-00	
21	मुइनुद्दीन पुत्र हबीब	100-00	
22	मो० युसूफ पुत्र इमाम अली	100-00	
23	मो० इस्माइल पुत्र अलीदीन	100-00	
24	असगर अली पुत्र नूर मोहम्मद	100-00	
25	मो० इसहाक पुत्र नूर मोहम्मद (महरूननिशां पत्नी मो० इसहाक)	100-00	
26	जमील अहमद पुत्र नूर मोहम्मद	100-00	
27	कासिम अली पुत्र असगर अली	100-00	
28	हसन अली पुत्र पीरगुलाम	100-00	

1	2	3	
29	मुल्लू पुत्र छेद्दू	50-00	
30	मूल चन्द्र पुत्र विश्राम	50-00	
31	किशोरी पुत्र बख्तावर	50-02	
32	हरदवारी लाल पुत्र बद्री	50-00	
33	बेचे लाल पुत्र बद्री	50-00	
34	बालकराम पुत्र दुजई	50-00	
35	बनवारी पुत्र लोटन	50-00	
36	मिश्री लाल पुत्र लोटन	50-00	
37	रामकुमार पुत्र चरन्जू लाल	50-00	
38	रामरतन पुत्र गयादीन	50-00	
39	सिरदार पुत्र लाल बिहारी	अपात्र	
40	राम प्रकाश पुत्र भगवानदीन	अपात्र	
41	बद्री पुत्र मोहन	अपात्र	
42	अंगद पुत्र मैकू	50-00	
43	बाबू राम पुत्र लछिमन प्रसाद	अपात्र	
44	मंशा पुत्र सुकई	50-00	
45	रमई पुत्र बुद्धा	50-00	
46	रुपन पुत्र मुन्नू	अपात्र	
47	संकटा प्रसाद पुत्र बच्चू लाल	अपात्र	
48	गौरी शंकर पुत्र प्रभु दयाल	अपात्र	
49	श्रीमती छोटन्नी पुत्री प्रभूदयाल	अपात्र	
50	संकटा प्रसाद पुत्र ईश्वरी	—	2000/-
51	राम लाल पुत्र शंकर	—	2000/-
52	कन्हैया लाल पुत्र राजाराम	—	1000/-
53	संकट प्रसाद पुत्र बच्चू लाल	—	1000/-
54	रुपन पुत्र मुन्नू	—	1000/-
		कुल योग 3400	7000

(नत्थी ङ)

(देखिये अताँराकित प्रश्न संख्या 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनाँक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार अवशेष गन्ना मूल्य का विवरण (लाख रुपयों में)

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	पूर्व वर्ष 77-78	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी क्षेत्र								
1	इकबालपुर	3.24	—	—	—	0.46	—	3.70
2	देवबंद	2.39	—	—	—	—	—	2.39
3	मंसूरपुर	0.73	—	—	—	—	0.16	0.89
4	खतौली	0.30	—	—	—	—	—	0.30
5	दौराला	—	—	—	—	—	—	—
6	मोदीनगर	0.86	—	—	—	—	—	0.86
7	मवाना	0.01	—	—	—	—	0.24	0.25
8	सिम्भौली	—	—	—	—	—	—	—
9	शामली	—	—	—	—	—	—	—
योग पश्चिमी क्षेत्र		7.53	—	—	—	0.46	0.40	8.39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य क्षेत्र								
10	काशीपुर	—	—	—	—	—	0.06	0.06
11	सिवहारा	0.19	—	—	—	—	—	0.19
12	नेवली	4.99	0.66	8.15	—	0.07	23.76	37.63
13	धामपुर	7.01	—	—	—	—	24.83	31.84
14	बहेड़ी	0.01	—	—	—	—	—	0.01
15	पीलीभीत	6.28	—	—	—	—	2.23	8.51
16	रोजा	—	—	—	—	—	7.57	7.57
17	हरगाँव	10.61	—	—	—	—	17.52	28.13
18	बिस्वां	—	—	—	—	—	0.20	0.20
19	गोला	—	—	—	—	—	—	—
20	ऐरा	9.20	—	—	—	—	0.23	9.43
21	पलिया	—	—	—	—	—	6.65	6.65
योग मध्य क्षेत्र		38.29	0.66	8.15	—	0.07	83.05	130.22

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र								
22	मसौधा	1.61	—	0.07	—	—	1.22	2.90
23	शाहगंज	0.13	—	0.34	—	—	37.58	38.05
24	तुलसीपुर	—	—	—	—	—	—	—
25	नवाबगंज	0.17	7.50	—	—	—	29.48	37.15
26	बलरामपुर	0.34	—	—	—	0.68	0.43	1.45
27	खलीलाबाद	—	—	—	—	—	32.08	32.08
28	बस्ती	—	—	—	—	—	—	—
29	वाल्टरगंज	0.20	—	—	—	—	22.66	22.86
30	सरदारनगर	0.12	—	—	—	—	3.60	3.72
31	आनन्दनगर	0.05	0.01	—	—	—	8.88	8.94
32	परतापपुर	—	—	0.34	0.06	0.02	—	0.42
33	गौरी बाजार	—	—	2.50	—	—	—	2.50
34	रामकोला (पी)	—	0.18	—	0.10	—	—	0.28
35	पड़रौना	—	—	—	—	—	25.42	25.42
36	कठकुइयाँ	—	—	—	—	—	—	—
37	कप्तानगंज	—	—	—	—	—	—	—
38	सिसवाबाजार	0.11	1.37	—	—	0.96	84.75	87.19
39	सिवरही	—	—	—	—		—	—
योग पूर्वी क्षेत्र		2.73	9.06	3.25	0.16	2.19	246.10	262.96

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सुगर कारपोरेशन							
40	सकौती टांडा	0.15	—	1.34	—	—	50.59	52.08
41	मोहिउद्दीनपुर	5.71	0.11	0.07	0.04	0.10	27.70	33.73
42	बाराबंकी	1.20	—	—	—	—	68.98	70.18
43	खड्डा	0.60	—	—	—	—	7.78	8.38
44	भटनी	1.37	0.07	0.03	—	—	36.97	38.44
45	किच्छा	0.05	—	—	—	—	16.79	16.84
46	पिपराइच	—	—	—	—	—	18.23	18.23
47	चाँदपुर	—	—	—	—	—	—	—
48	छाता	—	—	—	—	—	28.76	28.76
49	नन्दगंज	—	—	0.01	0.01	0.25	13.13	13.40
50	रायबरेली	—	—	—	—	—	70.19	70.19
51	बुढ़वल	9.08	—	—	—	0.01	55.03	64.12
52	अमरोहा	11.77	2.16	0.75	—	0.22	58.05	72.95
53	रामकाला (के)	5.70	—	—	—	—	0.61	4.31
54	जरवल रोड	17.17	—	0·21	—	0.02	49.16	66.56
55	बिजनौर	6.79	—	—	5.92	—	33.57	46.28
56	रामपुर	17.21	0.09	20.43	—	—	44.96	82.69
57	लक्ष्मीगंज	—	0.05	—	—	—	0.66	0.70
	योग शुगर कार•	74.80	2.47	22.84	5.97	0.60	581.16	687.84

अतिरिक्त प्रति विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अधिकृत नियंत्रक							
58	डोइवाला	1.54	—	—	—	—	4.33	5.87
	शासकीय आदाता							
59	रोहाना	—	—	—	—	—	26.01	26.01
60	सहारनपुर	17.67	—	—	—	5.99	57.04	80.70
61	बुलन्दशहर	4.18	0.25	1.40	0.12	0.52	65.65	70.12
62	बरेली	14.09	—	—	—	3.23	113.05	130.37
63	जसवन्त	22.16	0.01	0.08	—	—	55.97	78.22
64	छितौनी	—	—	—	—	—	21.66	21.66
65	हरदोई	2.20	99.76	—	—	—	78.48	180.44
66	महोली	2.79	—	—	—	—	142.32	145.11
67	मुन्डेरवा	—	—	—	—	—	—	—
68	घुघली	0.09	0.04	—	0.01	—	22.27	22.41
	योग शासकीय आदाता	63.18	100.06	1.48	0.13	9.74	500.45	755.04

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सहकारी चीनी मिलें							
69	बागपत	—	—		—		42.40	42.40
70	मझोला	1.22	—	—	0.29	—	21.16	22.67
71	सरसावा	—	—		—	1.57	—	1.57
72	औराई	0·10	0.06	0·21	—	—	—	0.37
73	बाजपुर	0.06	—		—	—	—	0.06
74	कायमगंज	—	2.22	—	—	0.47	26.90	29.59
74	रसड़ा	—	—	—	—	0.52	0.57	1.89
76	सठियाँव	0.47	0.05	0.75	0.09	1.21	10.69	13.26
77	साथा	—	0.24	0.32	0.18	0.14	33.30	34.18
78	नादेही	—	0.16	0.55	—	—	2.45	3.16
79	बीसलपुर	—	—	2.78	—	—	31.98	34.76
80	अनूपशहर	—	0.02	0.25	0.06	0.21	—	0.54
81	बिलासपुर	—	5.12	—	4.55	—	68.66	78.33
82	बदायूँ	—	—	1.55	0.33	—	85.13	87.61
83	रमाला	—	—	—	—	1.75	0.91	2.66

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	ननौता	—	—	—	—	—	1.46	1.46
85	बेलरायाँ	—	—	—	—	0.03	12.53	12.56
86	विलहर	—	—	—	—	—	84.61	84.61
	योग सहकारी मिलें	1.85	7.87	6.41	5.50	5.90	423.35	450.88
	कस्टोडियन मिलें							
87	लक्सर	3.44	—	11.61	—	—	—	15.05
88	बिलारी	8.86	7.17	0.06	—	—	73.09	89.18
89	बैतालपुर	—	—	—	—	—	1.00	1.00
90	देवरिया	—	—	—	—	—	—	—
91	बभनान	0.18	13.84	12.14	—	—	9.09	35.25
	योग स्टोडियन मिलें	12.48	21.01	23.81	—	—	83.18	140.48
	महायोग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	202.40	141.13	65.94	11.76	18.43	2002.02	2441.68

उत्तर प्रदेश विधान सभा